

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन



सितंबर 2018

खंड 72 अंक 9

संपादन समिति
जनक राज
गौतम चैटर्जी
राजीव रंजन

संपादक
शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2018

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते कि स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
<http://www.bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

भाषण

खुदरा भुगतानों में नवाचार उर्जित आर. पटेल	1
लोक ऋण रजिस्ट्री और माल एवं सेवा कर नेटवर्क: भारत में ऋण को सर्वसुलभ एवं औपचारिक बनाने के लिए लंबे कदम भरना विरल वी. आचार्य	3
शहरी सहकारी बैंकों को प्रासंगिक बनाए रखने में सशक्त गवर्नेंस और सुरक्षित आईटी परिचालनों का महत्व एन.एस. विश्वनाथन	11
राज्य सरकार की बाजार उधारियां- मुद्दे और संभावनाएं बी.पी. कानूनगो	17
बिग डाटा और मापन : महंगाई से विभेद तक रॉबर्टो रिगोबॉन	25
वर्तमान सांख्यिकी	35
हाल के प्रकाशन	79
अनुपूरक	
वार्षिक रिपोर्ट 2017-18	

भाषण

खुदरा भुगतानों में नवाचार
उर्जित आर. पटेल

लोक ऋण रजिस्ट्री और माल एवं सेवा कर नेटवर्क:
भारत में ऋण को सर्वसुलभ एवं औपचारिक बनाने के लिए लंबे कदम भरना
विरल वी. आचार्य

शहरी सहकारी बैंकों को प्रासंगिक बनाए रखने में सशक्त गवर्नेंस और
सुरक्षित आईटी परिचालनों का महत्व
एन.एस. विश्वनाथन

राज्य सरकार की बाजार उधारियां- मुद्दे और संभावनाएं
बी.पी. कानूनगो

बिग डाटा और मापन : महंगाई से विभेद तक
रॉबर्टो रिगोबॉन

खुदरा भुगतानों में नवाचार*

उर्जित आर. पटेल

1. श्री महापात्र, चेयरमैन, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई), श्री नंदन नीलेकणी, श्री दिलीप असबे, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), एनपीसीआई, बैंकर और विशिष्ट अतिथिगण। मुझे आज आपके बीच यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के परिष्कृत संस्करण को लांच करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हाल के वर्षों में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में आरबीआई के योगदान के बारे में नंदन के सुंदर शब्दों ने मुझे अभिभूत कर दिया है। यदि हम पहले के लोगों द्वारा रखी गई पक्की नींव का श्रेय उन्हें नहीं देंगे तो यह हमारी अशिष्टता होगी; क्योंकि उनके द्वारा किए गये कार्य के कारण ही हम तेजी से प्रगति कर सके हैं।

2. भुगतान और निपटान प्रणालियां आधुनिक अर्थव्यवस्था का दिल हैं। यही मानते हुए रिज़र्व बैंक अनेक वर्षों से ऐसे अनेक उपाय करता रहा है जिनके परिणामस्वरूप भारत की भुगतान प्रणालियों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल रही है। भारत को (i) द्वितीय कारक अधिप्रमाणन; (ii) एकीकृत भुगतान संरचना; और (iii) भारत क्विक रेसपॉन्स (क्यूआर) प्रोटोकॉल के लिए अग्रणी माना जाता है। हाल ही में इस क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों के कारण हमारे नागरिकों द्वारा अपनी निधि अंतरण अपेक्षाओं के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणालियों और उत्पादों के प्रयोग में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है।

3. भुगतान और निपटान प्रणालियों के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक का स्वप्न (विजन) समाज के सभी वर्गों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को और अधिक बढ़ावा देने का है। इसके लिए और तेज प्रोसेसिंग के उद्देश्य से सुरक्षा, रक्षा और प्रौद्योगिकीय सोल्यूशन्स के साथ वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करते हुए और साथ ही प्रयोक्ता की सुविधा संबंधी आयामों में सुधार करते हुए अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्यसे एक मजबूत संरचना की स्थापना की गई है। रिज़र्व बैंक जहां मुख्यतः सक्षम बनाने वाले समुचित

विनियमों, मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, उपयुक्त पर्यवेक्षण तथा ग्राहक केंद्रित नीतियाँ बनाने पर ध्यान देना जारी रखेगा, वहीं परिचालनकर्ताओं को साइबर सुरक्षा, प्रभावी ग्राहक शिकायत निवारण व्यवस्था और ग्राहक प्रभारों को तार्किक बनाने पर उचित ध्यान देना चाहिए। परिचालनकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साइबर सुरक्षा के संबंध में कोई कसर बाकी न रखें - वस्तुतः नेटवर्क एनवायरमेंट में हम उतने ही मजबूत होते हैं जिनती हमारे नेटवर्क की सबसे कमजोर कड़ी। हमें स्वयं ध्यान रखना होगा कि हम अपने कामकाज से पूरी की पूरी प्रणाली को संकट में न डालें - इस संबंध में लागत में बचत करने से परहेज करना होगा।

4. इस सबके मूल में संस्था निर्माण और समन्वय की आवश्यकता निहित है। इसी के तहत एनपीसीआई अस्तित्व में आया। आरबीआई ने वर्ष 2008 में 10 मूल प्रवर्तक बैंकों के साथ एनपीसीआई की स्थापना को सुगम बनाया, वर्तमान में यह 56 बैंकों के व्यापक आधार पर स्थित है। एनपीसीआई का मुख्य उद्देश्य सुविधाजनक, 'कभी भी- कहीं भी' भुगतान सेवाओं का प्रावधान करना था, जो सुरक्षित और प्रयोग करने में आसान हों। एक गौण उद्देश्य यह भी था कि एक किफायती भुगतान प्रणाली बनाई जाए, जिसका लाभ आम आदमी उठा सके और साथ ही, वित्तीय समावेशन में तेजी लाई जा सके।

5. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) एनपीसीआई के सबसे सफल उत्पादों में से एक है, जो (किसी भी सहभागी बैंक के) एकल मोबाइल एप्लीकेशन में कोई भी संवेदनशील सूचना दिए बिना अनेक बैंक खातों में निधि अंतरण और विभिन्न प्रकार के भुगतान करने की शक्ति देता है। यह मोबाइल उपकरणों पर 365X24X7 आधार पर भुगतान, यूलिटी बिल भुगतान, 'ओवर द काउंटर' भुगतान, क्यूआर कोड (स्कैन और अदा करें) आधारित भुगतान और इसी प्रकार के अन्य भुगतानों की सुविधा देता है। यूपीआई ने अपनी शुरुआत से ही मात्रा और मूल्य - दोनों ही दृष्टियों से अच्छी खासी संवृद्धि दर्शाते हुए स्वयं को खुदरा निधि अंतरणों के लिए एक विश्वसनीय माध्यम के रूप में स्थापित किया है।

6. मुझे खुशी है कि भारत में डिजिटल भुगतान क्षमताओं का दायरा बढ़ाने के लिए आज यूपीआई का परिष्कृत संस्करण लांच किया जा रहा है। यह नए क्षेत्रों को खोलेगा, जैसे कि कंपनियों के प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग के लिए खुदरा आवेदन, जिसकी प्रोसेसिंग अब यूपीआई के माध्यम

* 16 अगस्त 2018 को मुंबई में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), वर्शन 2 के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए श्री उर्जित आर. पटेल, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक।

से की जा सकती है। मुझे विश्वास है कि यूपीआई 2.0 सरलता, सुरक्षा और सटीकता का उच्चतर स्तर प्राप्त करेगा, जो कि इको सिस्टम के अन्य उत्पादों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में होगा। मुझे जानकारी मिली है कि यूपीआई के इस नए संस्करण में निम्नलिखित वर्धित विशेषताओं को शामिल किया गया है, जैसे:

- i. इनबॉक्स में इनवॉइस : जिस व्यक्ति ने भुगतान करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया है, जैसे बिल या कोई इनवॉइस, तो वह भुगतान प्राधिकृत करने से पहले उसे देख सकता है, ताकि भुगतानकर्ता भुगतान के प्रयोजन के प्रति पूरी तरह जागरूक रहे।
- ii. साइन्ड इन्टेन्ट/ क्यूआर : यह एक व्यक्ति को किसी भी सुसंगत एप्लीकेशन पर यूपीआई को अलग से खोले बिना उसी मोबाइल डिवाइस पर इनीशिएट किए गए भुगतान लेनदेन को प्राधिकृत कर सकता है। इसके फलस्वरूप यह उपयोग में आसान होगा, वह भी सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना।
- iii. फंड ब्लॉक करने के लिए यूपीआई को मॅडेट : यह बार-बार / आवधिक रूप से किए जाने वाले भुगतानों के लिए स्वतः डेबिट मॅडेट के पंजीकरण की अनुमति देता है और यह मैनुअल खाता आधारित परिचालन व्यवस्था में दिए जाने वाले स्थायी अनुदेश जैसा ही होगा; तथा
- iv. ओवरड्राफ्ट खाते के लिए यूपीआई : यह ऐसे ऋण खातों पर लेनदेन की सुविधा देता है जिनका अब तक प्रावधानीकरण न किया गया हो, और इस प्रकार यूपीआई की व्याप्ति को और अधिक बढ़ाया गया है। एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह है कि 'प्रति-लेनदेन' सीमा को इसके वर्तमान ₹1.0 लाख के स्तर से बढ़ाकर ₹2.0 लाख कर दिया गया है। इससे मोबाइल फोन पर बड़ी राशि वाले लेनदेन तत्काल करने में सहायता मिलेगी।

उक्त सभी में यह बताना जरूरी है कि ये सभी वर्धित क्षमताएं यूपीआई के सुरक्षित आधार पर चलेंगी, जो न केवल अच्छी तरह स्टेबलाइज हो गया है, बल्कि यह भुगतान का एक पसंदीदा विश्वसनीय माध्यम बन चुका है।

मुझे बताया गया है कि यूपीआई में और भी सुविधाएं बढ़ाए जाने की संभावनाएं हैं। इनमें से कुछ संभावनाओं में शामिल हैं - इसके मानकीकृत फॉर्मेट और स्वरूप को देखते हुए भविष्य की नई भुगतान प्रणालियों के साथ इसके एकीकरण की क्षमता; देश में विकसित अनेक संभावनाशील ई-कॉमर्स एप्लीकेशन्स के साथ एकीकरण की क्षमता; डिजिटल मोड का प्रयोग करते हुए उभरते नवोन्मेषी सुपुर्दगी माध्यम और ऐसी ही कई अन्य। इससे इसकी विविधता (अपेक्षाकृत कम लागत पर) भी रेखांकित होती है।

7. एनपीसीआई ने अपने अस्तित्व के लगभग एक दशक के दौरान एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान संरचना (एसआईपीआई) की हैसियत प्राप्त कर ली है। हैसियत के साथ साथ-साथ जिम्मेदारी भी आती है और मुझे विश्वास है कि एनपीसीआई एक अग्रणी भुगतान प्रणाली प्रदाता की अपनी भूमिका में और भी उत्कृष्टता लाएगा। मुझे यह भी विश्वास है कि एक प्राधिकृत एसआईपीआई के रूप में एनपीसीआई अच्छे गवर्नेंस, कारोबारी निरंतरता, नवाचार, विश्वसनीयता और सुदृढ़ता के उच्चतम स्तरों को प्राप्त करता रहेगा। इसे अपने कार्यनिष्पादन का एक प्रत्याशित स्तर निर्धारित करते हुए तकनीकी गिरावट, कारोबारी गिरावट, प्रोसेसिंग की गति और क्षमता आदि के संबंध में अपनी प्रणालियों और उत्पादों का निरंतर मूल्यांकन करते रहना चाहिए।

8. अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि भारत में भुगतान प्रणालियों का स्वस्थ विकास हो रहा है। यह रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए सुविचारित दृष्टिकोण का परिणाम है - जिसने प्रारंभिक वर्षों में एक विकासकर्ता की भूमिका में, और बाद के वर्षों में एक प्रेरक एवं सुविधा-प्रदाता के रूप में योगदान किया। आज न केवल हमारी प्रणालियों की तुलना विश्व में कहीं भी प्रचलित प्रणालियों से की जा सकती है, बल्कि उन्होंने ऐसे मानक और अच्छी प्रथाएं अपनायी हैं जो दूसरों के लिए अनुकरणीय बनी हैं। आने वाले समय में भी, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विनियमन के द्वारा प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रोत्साहन मिले। मुझे विश्वास है कि यूपीआई जैसे उत्पाद देश के सभी नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल भुगतान सेवा उपलब्ध कराने के लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। मैं एनपीसीआई को यूपीआई के दूसरे संस्करण की शुरुआत के लिए बधाई देता हूं और इस उत्पाद की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं।

धन्यवाद।

लोक ऋण रजिस्ट्री और माल एवं सेवा कर नेटवर्क: भारत में ऋण को सर्वसुलभ एवं औपचारिक बनाने के लिए लंबे कदम भरना*

विरल वी. आचार्य

मुझे आप सब से मिलकर और हाल की कुछ गतिविधियों पर अपने विचार आपके साथ साझा करने से खुशी हो रही है जिससे हमारे देश में परिवर्तन आने की उम्मीद की जाती है। विशेष रूप से, मैं आपका ध्यान ऋण संबंधी बेहतर डेटा जुटाने एवं उसका विश्लेषण करने के लिए की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जिसका वित्तीय रूप से एक मजबूत भारत का सृजन करने में संभवतः बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।

यह एक ज्ञात तथ्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग अनौपचारिक है। इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण ने हमें एक अनुमान दिया है जिसके लिए अधिकांश जानकारी माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के कार्यान्वयन से जुटाई गई है। यूँ कह सकते हैं कि लगभग 0.6 प्रतिशत फर्म, कर एवं सामाजिक सुरक्षा नेट दोनों के अर्थ में 'कट्टर' औपचारिक क्षेत्र में आते हैं, जिसका कुल कारोबार में 38 प्रतिशत, निर्यात में 87 प्रतिशत एवं जीएसटी¹ देयता में 63 प्रतिशत हिस्सा है। अनुमान से यह भी पता चलता है कि भारत में करीब-करीब 50 प्रतिशत कार्यबल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं²। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्य करने वालों में से कुछ की आय औपचारिक अर्थव्यवस्था के उनके प्रतिपक्षों के समान हो सकती है लेकिन उनके औपचारिक स्वरूप की वजह से अर्थव्यवस्था के इस भाग में लोग एवं कारोबार औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में 'अदृश्य' हो गए हैं। इस 'अदृश्यता' की वजह से औपचारिक ऋण का एक्सेस करने में कमी के कारण वर्तमान आय स्तर में वृद्धि करने की उनकी योग्यता पर बुरा असर पड़ता है।

इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत का जीडीपी की तुलना में ऋण का अनुपात चीन के 208.7 प्रतिशत,

* भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) एवं भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा 20 अगस्त 2018 को मुंबई में आयोजित वार्षिक वैश्विक बैंकिंग सम्मेलन - एफआईबीएसी 2018 में दिया गया भाषण। इस विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 23 जुलाई 2018 को मुंबई में आयोजित 12वें वार्षिक सांख्यिकीय दिवस सम्मेलन में एक थीम टॉक भी रखा गया।

¹ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18, अध्याय 1।

² उक्त।


युनाइटेड किंगडम के 170.5 प्रतिशत एवं संयुक्त राष्ट्र के 152.2 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम अर्थात् 55.7 प्रतिशत है (अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, चौथी तिमाही 2017 डेटा, चार्ट 1 देखें)।³

इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे प्रयोग में लाए जा रहे उन दो बड़े उपायों को साझा करूंगा जिसकी मदद से भारत को, विशेष रूप से अल्प सेवा प्राप्तकर्ताओं को अधिक न्यायसंगत तरीके से एवं समय से ऋण उपलब्ध होगा। चूंकि इन उपायों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है इसलिए ये दोनों मिलकर भारत में ऋण को सर्वसुलभ व औपचारिक बना सकते हैं।

भारत के लिए लोक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर)

पहला कदम है लोक ऋण रजिस्ट्री का निर्माण करना, संक्षेप में कहें तो पीसीआर। पिछले वर्ष आरबीआई में वार्षिक सांख्यिकीय दिवस सम्मेलन में मैंने जो भाषण⁴ दिया था वह भारत में पीसीआर की स्थापना पर केंद्रित था। उस समय तक, हमारे देश में पीसीआर की अवधारणा के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती थी, हालांकि अधिकांश देशों में पीसीआर की स्थापना पहले ही हो चुकी थी या वहां इसकी स्थापना का काम चल रहा था। मुझे खुशी है कि हमने इस दिशा में अब तक जो प्रगति की है, उस बारे में आपके साथ तेजी से यादें ताजा कर पाए। आरबीआई ने 04 अक्टूबर 2017 के अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग बी में श्री वाई.एम. देवस्थली

चार्ट 1: चुनिंदा देशों के जीडीपी में ऋण का अनुपात (ति4:2017)



डेटा स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक

³ <https://stats.bis.org/statx/srs/table/j?m=A> से लिया गया डेटा।

⁴ भारत में लोक ऋण रजिस्ट्री के लिए एक मामला - https://rbi.org.in/scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1042

की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य दल (एचटीएफ) गठित करने की घोषणा की जिसमें विभिन्न जोखिमधारकों से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

जैसा उसके संदर्भ की शर्तों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, एचटीएफ द्वारा ए) ऋण की जानकारी के संबंध में वर्तमान उपलब्धता की समीक्षा की गई और भारत में कमियों का आकलन किया गया जिसे पीसीआर द्वारा पूरा किया जा सकता है; बी) पीसीआर के संबंध में सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का अध्ययन किया गया ताकि भारत के लिए पीसीआर के दायरे एवं लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें और किस प्रकार की जानकारी जुटायी जानी है उसे भी शामिल किया गया है; एवं सी) भारत के लिए एक पारदर्शी, व्यापक एवं एकदम तत्काल पीसीआर विकसित करने के लिए एक नव सूचना प्रणाली की संरचना या पीसीआर के लिए क्या मौजूदा प्रणालियों को मजबूत और एकीकृत किया जा सकता है पर विचार-विमर्श किया गया और इस प्रकार एक रूपरेखा सुझायी गयी, जिसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र शामिल हैं।

उद्देश्य है कि पीसीआर ऋण की उत्पत्ति से लेकर उसके अंत (चुकोती, पुनर्संरचना, चूक, समाधान आदि) तक देश में सभी ऋण उत्पादों के लिए ऋण की जानकारी का एक बृहद डेटाबेस बनकर उभरे, जो सभी ऋणदाता-उधारकर्ता खातों को बिना किसी आकार सीमा के क्रमिक रूप से अपने दायरे में करता है। आज पर्यन्त, बैंकों व गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से उधार, बाजार से कॉर्पोरेट बान्ड्स या डिबेन्चर्स, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बान्ड (एफसीसीबी), मसाला बान्ड एवं अंतर-कॉर्पोरेट उधार के बारे में जानकारी एक सिंगल डेटा रिपोर्टिंजर में उपलब्ध नहीं है। पीसीआर का मुख्य उद्देश्य इस कमी को दूर करना है और भिन्न-भिन्न उधार के बारे में एक उधारकर्ता से जुड़ी समस्त जानकारी हासिल कर उसे एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त, उधार संविदाओं एवं चुकोती इतिहास के इस रजिस्ट्री का अधिकांश भाग सभी जोखिमधारकों को मुहैया होगा बशर्ते वे भी अपने डेटा पीसीआर के साथ साझा करें।

एचटीएफ ने 04 अप्रैल 2018 को अपनी रिपोर्ट⁵ पेश की, जिसमें यह सिफारिश की गई है कि आरबीआई को पीसीआर की स्थापना एक चरणबद्ध एवं आधुनिक विधि से करनी चाहिए। आरबीआई के शीर्ष प्रबंधन ने चर्चा के उपरांत एवं अपने विधि विभाग से उसकी समीक्षा करवाने के बाद

कार्य दल की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखी है। इस प्रॉजेक्ट का नेतृत्व करने का कार्य अब कार्यान्वयन कार्य दल ने अपने जिम्मे ले लिया है।

पीसीआर के लाभ क्या हैं?

यद्यपि एचटीएफ की रिपोर्ट में इन बुनियादी सवालों पर विस्तार से विचार किया गया है, जैसे, (ए) भारत में पीसीआर क्यों आवश्यक है, साथ ही इससे बहुत कुछ मिलता-जुलता सवाल (बी) पीसीआर के कार्य क्या हैं। अब मैं इन पर अपने विचार प्रकट करता हूँ। भारत में पीसीआर की कल्पना एक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में की गई है जिससे पीसीआर की एक्सेस नीति के मुताबिक रिज़र्व बैंक के भीतर एवं बाहर का वित्तीय जगत पीसीआर से डेटा प्राप्त करेगा। प्रत्याशित उपयोगकर्ताओं में बैंक एवं गैर-बैंक जैसे ऋणदाता शामिल होंगे जिसमें 'फिन-टेक' ऋणदाता भी आते हैं और डेटा विश्लेषण करनेवाली रेटिंग एजेंसियां एवं ऋण सूचना कंपनियां और साथ ही विनियामक।

अब मैं आज से 5-6 बरस पहले कॉर्पोरेट अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के संदर्भ में रिज़र्व बैंक के सामने जो समस्याएं आई थीं उसका उल्लेख करता हूँ। कई वर्षों तक निजी क्रेडिट ब्यूरो के होते हुए भी जिन्होंने खुदरा ऋण की रेटिंग में अहम भूमिका निभाई थी, केंद्रीय बैंक समग्र स्तर पर बैंकों के बड़े उधारकर्ताओं के क्रेडिट पोर्टफोलियो की गुणवत्ता से संबंधित डेटा ठीक तरीके से जुटा नहीं सका। यह साफ है कि बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के मामले में डेटा की सूचना ईमानदारी और पूरी जानकारी के साथ नहीं दी गई है। यही है कि 2014 में आरबीआई के बड़े ऋणों की सूचना पर केन्द्रीय निक्षेपागार (सीआरआईएलसी) की स्थापना में भले ही थोड़ा विलंब हुआ हो लेकिन उससे काफी अंतर आया है। सीआरआईएलसी किसी बैंक के बड़े उधारकर्ता के ऋण में कोई हास होने की स्थिति में रिज़र्व बैंक को एवं अन्य बैंकों को जिनसे उस उधारकर्ता ने ऋण प्राप्त किया है समय रहते सूचना प्रदान करता है। अत्यधिक एवं अप्रत्याशित अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से जूझते हमारे बैंकों के बोझ को समाप्त करने के लिए 2015 में की गई आर्थिक गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) पूरी तरह से सीआरआईएलसी डेटा पर आधारित थी। पूर्ण रूप से, ऋण सूचना प्रणाली में इस प्रकार की कई कमियां हैं जिसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है।

मैंने गत वर्ष जुलाई में अपने भाषण में एक और उदाहरण भी दिया था जिसमें मैंने कहा था कि ऋण रजिस्ट्रियों से प्राप्त डेटा पर आधारित अनुसंधान किस प्रकार नीति-निर्माण में बेहतर भूमिका अदा कर सकता है। सितंबर 2008 में लेहमन बंधुओं के पतन के पश्चात कुछ

⁵ https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=44133

लोक ऋण रजिस्ट्री और माल एवं सेवा कर नेटवर्क: भारत में ऋण को सर्वसुलभ एवं औपचारिक बनाने के लिए लंबे कदम भरना

अर्थशास्त्रियों ने बैंक ऋणों में अत्यधिक वृद्धि की ओर संकेत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र में ऋण प्रवाह अप्रभावित था। लेकिन थॉमसन रायटर्स डीलस्कैन डेटा के गरहे विश्लेषण से तुरंत खुलासा हुआ कि इस ऋण वृद्धि के पीछे पूर्णतः कॉर्पोरेट्स का हाथ था जो मौजूदा ऋण तर्जों पर ऋण का आहरण कर रहे थे ('एक किस्म का बैंक रन')। वास्तव में, नए ऋण समाप्त हो चुके थे।

एक अन्य अनुसंधान में, लीमा और डूमन्ड (2015)⁶ ने वित्तीय स्थिरता का आकलन करते समय समग्र डेटा से जुड़ी अपर्याप्तताओं पर चर्चा की और बताया कि किस प्रकार पुर्तगाल के केन्द्रीय ऋण रजिस्टर (सीसीआर) जैसे डेटाबेसों में उपलब्ध सूक्ष्म डेटा एग्रीगेट्स के पीछे के संचलनों के कारणों का आकलन करने में सक्षम हैं और इस प्रकार संभावित असंतुलनों का खुलासा करते हैं जिस प्रकार यूरोपीय सरकारी ऋण संकट धीरे-धीरे उत्पन्न हुआ था और पुर्तगाल को भी प्रभावित किया। भारत अपने आर्थिक अनुसंधान में पीसीआर द्वारा ऋण के संबंध में उपलब्ध कराये जाने वाले एकदम तत्काल एवं व्यापक डेटा का सावधानी से एकसेस करने के जरिए इसी स्तर की विशेषज्ञता ला सकता है।

विश्व बैंक डूइंग बिजनेस 2018⁷ में केवल लोक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर), केवल निजी ऋण ब्यूरो (पीसीबी), एवं पीसीआर तथा पीसीबी दोनों के अस्तित्व के अनुसार वर्गीकृत चुनिंदा देशों में ऋण संबंधी डेटा एकत्रित करने वाली संस्थाओं द्वारा प्रौढ़ जनसंख्या को शामिल करने की सूचना दी गई है (सारणी 1)। यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ देशों ने पर्यवेक्षी उद्देश्य से केवल पीसीआर रखने का विकल्प चुना है, जिसके जरिए वे महज बड़े ऋणों को शामिल करते हैं। यह भी उल्लेख है कि पीसीआर और पीसीबी द्वारा प्रौढ़ जनसंख्या को शामिल करने में विविधता पाई गई है, जो मुख्य रूप से विनियामकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के साथ-साथ इन देशों में विद्यमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है।

व्यापक स्तर पर, पीसीआर सूचना विषमता को कम करने के जरिए ऋणदाता संस्थाओं की दक्षता को बढ़ाती है। पीसीआर की मदद से ऋणदाता उधारकर्ताओं की अन्य बकाया ऋणों और पिछले व्यवहार की संपूर्ण निगरानी (360 डिग्री व्यू) कर सकता है ताकि ऋण देते समय बेहतर परख हो सके एवं ऋण की पूरी अवधि के दौरान उत्कृष्ट जांच की जा सके। यह एक सुपठित तथ्य है और कई अनुसंधान

सारणी 1: लोक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) एवं/ या निजी ऋण ब्यूरो (पीसीबी) वाले देशों की संख्या

पीसीआर एवं पीसीबी दोनों नहीं	केवल पीसीआर	केवल पीसीबी	पीसीआर एवं पीसीबी दोनों
24	52	70	44

स्रोत: वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट: 2018

कार्यों में इसका उल्लेख किया गया है। यह देखा गया है कि पब्लिक रजिस्ट्रियों एवं निजी ब्यूरो के आगमन से पाँच वर्ष की अवधि⁸ के दौरान कई देशों में जीडीपी में निजी ऋण का अनुपात 7 से 8 प्रतिशतता बिंदु बढ़ा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋण रजिस्ट्री व ब्यूरो उधारी की मात्रा में महज वृद्धि नहीं करते बल्कि वे उधारी की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

अभी भारत के पास प्रत्येक नागरिक के लिए आधार के रूप में एक मजबूत एवं विशिष्ट डिजिटल पहचान उपलब्ध है। इसी प्रकार, कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) एवं जीएसटीएन से कारोबारों को पहचान मिलती है। इतना ही नहीं, भारत उन कुछ देशों में से एक है जो इन पहचान सेवाओं के अतिरिक्त अधिप्रमाणन सेवा भी प्रदान करता है। पीसीआर में इन पहचानों की मदद से डेटा की मर्जिंग एवं रेफरेन्सिंग की यथार्थता पर पूरा भरोसा करते हुए विभिन्न संस्थाओं के उधारकर्ताओं के बारे में डेटा संग्रह किया जा सकता है। साथ ही, पीसीआर सूचना का एकमात्र स्रोत होगी जिसकी कोई सत्यता है। इससे लघु वित्तीय संस्थाओं के लिए रिपोर्टिंग में सहूलियत होगी और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं की भिन्न-भिन्न रिपोर्टिंग फार्मेट के समूह से होने वाली असंगतियां भी दूर होंगी।


इस प्रकार के विश्वसनीय डेटा भंडार के होते हुए बैंक एवं अन्य ऋणदाता ऋण के संबंध में बेहतर निर्णय कर पाएंगे। इससे उन्हें अन्य ऋणों के बर्ताव को ध्यान में रखते हुए पूर्व चेतावनी संकेत की पहचान करने में मदद मिल सकती है। पीसीआर को आदान-प्रदान के सिद्धान्त के साथ तैयार किया गया है। कानून के अधिदेशानुसार ऋणदाता संस्थाएं उधारकर्ता के बारे में जानकारी साझा करते हैं और इनमें से अधिकांश स्वैच्छिक रूप से करते हैं क्योंकि वे अन्य ऋणदाताओं से मिलने वाले इस प्रकार के डेटा प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वे ऋण प्रदान करने या रोलओवर का निर्णय कर सकें। साथ ही, ऋणदाता किसी क्षेत्र में सभी ग्राहकों के लिए औसत जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर होने के बजाय अपने-अपने जोखिम प्रोफाइल के आधार पर होइ

⁶ <https://www.bis.org/ifc/publ/ifcb41k.pdf>

⁷ <http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/>

⁸ राष्ट्रीय ऋण ब्यूरो: ए की एनेबलर आफ फाइनेन्शियल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड लेंडिंग इन डेवलपिंग इकॉनमीज़, मेकेन्से वर्किंग पेपर्स आन रिस्क, नंबर 14.

चार्ट 2: प्रस्तावित पीसीआर सूचना संरचना



स्रोत: भारत के लिए पीसीआर पर उच्च-स्तरीय कार्य बल (एचटीएफ) की रिपोर्ट

लगा सकते हैं एवं उधारकर्ताओं को आकर्षक दर पेश कर सकते हैं।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में, जहां कई उधारकर्ताओं के पास कोई ऋण इतिहास नहीं होता कि वे शुरूआत कर सके, ऐसे में पीसीआर अच्छे उधारकर्ताओं को इस योग्य बनाता है कि वे स्वयं को अन्य से अलग कर सके। परिकल्पित भारतीय पीसीआर के अनुसार सभी ऋण संस्थाओं - वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, एमएफआई द्वारा प्रदत्त सभी ऋण सुविधाओं (निधिक एवं गैर-निधिक) के अंतर्गत सभी ऋणों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों की रिकार्डिंग की जाएगी जिसमें अन्य स्रोतों से लिए गए उधार भी शामिल होंगे (चार्ट 2)। इससे प्रतिकूल चयन में कमी आएगी, जिसमें निम्न-जोखिम वाले उधारकर्ताओं से अधिक कीमत वसूली जाती है जबकि उच्च-जोखिम वाले ग्राहक अपने ऋणों के लिए निम्नतर कीमत चुकाते हैं, क्योंकि ऋणदाता उधारकर्ताओं के बीच पर्याप्त फर्क नहीं कर पाते हैं।

पीसीआर - विधिक दृष्टिकोण

अब मैं पीसीआर पर कानूनी दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर संक्षेप में अपनी बात रखूंगा ।

1. **संगठन:** प्रारंभिक तौर पर पीसीआर की स्थापना आरबीआई के मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत की जा रही है। एक सांविधिक निगम होने के नाते रिज़र्व बैंक मात्र उन गतिविधियों में लीन हो सकता है जिसके लिए उसे भारतीय

रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या अन्य विधानों में अनुमति प्राप्त है। अपने मूल केंद्रीय बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक द्वारा कतिपय संवर्धन कार्य भी किया जाता है। तथापि, यह संवर्धन कार्य केवल 'वित्तीय संस्थाओं' तक सीमित है।⁹ प्रस्तावित पीसीआर के लिए कोई वित्तपोषण संबंधी गतिविधि अपेक्षित नहीं है, इसलिए यह मुश्किल होगा कि पीसीआर को एक 'वित्तीय संस्था' का लेबल दे दिया जाए। इससे यह भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत संवर्धन की परिधि से बाहर हो जाती है।

दूसरा विकल्प है कि किसी संगठन को भारतीय रिज़र्व बैंक¹⁰ अधिनियम, 1934 या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या किसी अन्य अधिनियमन के हिस्से के रूप में रिज़र्व बैंक के कार्यों से जुड़े होने के नाते बढ़ावा देना। रिज़र्व बैंक के विनियामक एवं पर्यवेक्षी कार्यों का एक महत्वपूर्ण पहलू है अपने विनियमित संस्थाओं से सूचना एकत्रित करना जिसमें ऋण संबंधी सूचना शामिल है। कोई भिन्न-भिन्न अधिनियमनों में कई प्रावधान पा सकता है जो रिज़र्व बैंक को इस प्रकार की सूचना एकत्रित करने के योग्य बनाता है। यदि पीसीआर के लिए सूचना जुटाने की संभावना को रिज़र्व बैंक की विशिष्ट रूप से अनुमत गतिविधियों के लिए पर्याप्त रूप से प्रासंगिक माना जा सकता है, तो पीसीआर की स्थापना एवं नेतृत्व करने के लिए एक अनुषंगी या विभाग खोलना न्यायसंगत होगा। अन्यथा, पीसीआर के

⁹ देखें: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(8-एए)।

¹⁰ देखें: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(16)।

लोक ऋण रजिस्ट्री और माल एवं सेवा कर नेटवर्क: भारत में ऋण को सर्वसुलभ एवं औपचारिक बनाने के लिए लंबे कदम भरना

कारोबार का संचालन करने के लिए रिज़र्व बैंक को शक्तियां प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में समुचित रूप से संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार विशेष रूप से शक्तियां प्रदान करने से, जिसमें पीसीआर के कार्यों का स्पष्ट उल्लेख हो, उपर्युक्त प्रासंगिक शक्तियों की सीमाएं हट जाएंगी।

2. गोपनीयता संबंधी बाधाएं: पीसीआर की स्थापना के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इससे कई अधिनियमों में गोपनीयता संबंधी प्रवाधानों का उल्लंघन होता है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूचना साझा करने पर रोक लगाता है, जिसमें ऋण संबंधी सूचना भी शामिल है, जबतक कि विशेष तौर पर अनुमति दी गई हो। चूंकि पीसीआर को भिन्न-भिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त करनी होगी, इसलिए इस प्रकार की सूचना साझा करने में स्रोतों की अक्षमता बाधा बन सकती है। अतएव, पीसीआर के लिए *सहमति आधारित* संरचना होनी चाहिए।

किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए नोटिस और चॉइस फ्रेमवर्क डिजिटल अर्थव्यवस्था में डेटा प्रॉसेसिंग प्रथाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति के कर्म पर आधारित है जो उसके डेटा से जुड़े कतिपय कार्यों के लिए सहमति देता है। यह आवश्यक है कि उपयोगकर्ता एक्सेस के लिए अनुरोध करने वाली संस्था (डेटा उपभोक्ता) को डेटा साझा करने से पहले डेटा साझा करने वाली किसी संस्था (डेटा प्रदाता) को सहमति प्रदान करे। पीसीआर की सहमति आधारित संरचना डेटा विषयों की गोपनीयता को यह सुनिश्चित करते हुए मजबूत करेगी कि डेटा का एक्सेस केवल डेटा उपभोक्ता को ही होगा, और वह भी विनिर्दिष्ट समयवधि और विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, जैसा उपयोगकर्ता द्वारा सहमति दी गई है।

3. पीसीआर अधिनियम: उपर्युक्त चर्चित जटिलताओं के संबंध में यह वांछित है कि एक विशेष व्यापक विधान हो, जो पीसीआर के लिए आवश्यक सूचना साझा करने के संबंध में सभी अन्य विधानों में निहित प्रतिबंधों को निरस्त करता हो। अन्यथा, ऐसे सभी विधानों में अलग से संशोधन करना पड़ेगा, जिसमें पीसीआर के साथ सूचना साझा करने के लिए छूट प्रदान की जाए। यह ध्यान देने योग्य है कि लगभग सभी जगह पीसीआर को पीसीआर अधिनियम के विशेष अधिनियमन का समर्थन प्राप्त है। भारत में, पीसीआर अधिनियम की बढौलत हम संपूर्ण गवर्नेन्स मुद्दों से पारदर्शी रूप से निबट सकते हैं, जिसमें विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस अधिकारों के जरिए डेटा अधिग्रहण एवं उसका प्रचार-प्रसार शामिल है।

पीसीआर - अन्य डेटासेटों के साथ संबद्धता

पिछले वर्ष जुलाई के मेरे भाषण में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) के डेटाबेस, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के वित्तीय परिणाम मौजूद होते हैं, से क्रिक् डाटा को लिंक करके कैसे हम सूचना की ताकत को काफी बढ़ा सकते हैं। दूसरे डेटाबेसों से जुड़ने तथा उनका संदर्भ देने में भी पीसीआर से सहायता मिलने की संभावना है। यह कल्पित पीसीआर अपनी शक्तियां आंशिक रूप से इन अनुषंगी सूचना भण्डारों से अपनी संबद्धता के परिणामस्वरूप प्राप्त करेगी। सूचना के अन्य स्रोतों के साथ अपनी संबद्धता का लाभ लेते हुए पीसीआर विनियमित इकाइयों द्वारा रिपोर्ट की गयी क्रेडिट संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी को कैसे जुटाएगी और कैसे यह पूरी की पूरी जानकारी संबंधित हितधारकों को उपलब्ध कराएगी इसकी योजना चार्ट 2 में दर्शायी गयी है। उदाहरणार्थ, सीआईएन के माध्यम से यह कंपनी के वित्तीय विवरणों तक पहुंच बना सकती है। इसके द्वारा कुछ वैकल्पिक आंकड़े भी तैयार किए जाने की संभावना है, यथा यूटिलिटी बिल भुगतान अभिलेख, जिन्हें क्रेडिट संबंधी निर्णय लेने में सहायता हेतु उपलब्ध कराया जा सके। इससे वित्तीय समावेशन को गति मिलेगी और क्रेडिट संबंधी निर्णय उधारकर्ता की नकदी-प्रवाह वाली सभी गतिविधियों, यहाँ तक कि वे गतिविधियाँ भी जिनमें परिसंपत्तियों का भौतिक अर्जन अभी न हुआ हो, के आधार पर लिया जाना संभव बनाया जा सकेगा जिससे क्रेडिट को सर्वसुलभ बनाने में सहायता मिलेगी।

वस्तु और सेवा कर नेटवर्क

अब मैं दूसरे कदम की बात करता हूँ जो प्रकट रूप से तो इससे जुड़ा हुआ नहीं लगता परंतु यह क्रेडिट मार्केट में मौजूद सूचना असंगति की समस्या को दूर करने में सीधे तौर पर सहायक सिद्ध हो सकता है। यह वह कदम है जिससे आप में से अधिकांश लोग पहले से परिचित होंगे। इसलिए इसकी व्याख्या करना समय की बर्बादी होगी, इसके बजाय मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि भारत में क्रेडिट को औपचारिक बनाने की महत्वाकांक्षी यात्रा में कैसे यह पीसीआर के साथ कदम से कदम मिलाकर मंजिल प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

हाँ, मैं वस्तु और सेवा कर नेटवर्क की ही बात कर रहा हूँ। जाहिर तौर पर जीएसटीएन नागरिकों और व्यवसायों के लिए वह माध्यम है जिसके द्वारा वे अपना कर अदा करते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट का अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। हालांकि, जीएसटीएन को मिलान किए हुए बीजकों (इन्वॉइस) के विश्वसनीय भण्डार के रूप में भी देखा जा सकता है। विक्रेता अपने इनवॉयस को इस जीएसटीएन पर

अपलोड करते हैं; क्रेता उनके पक्ष में बिल किए गए इन्वॉइस को अनुमोदित करते हैं। चूंकि आंतरिक व्यापार जीडीपी के लगभग 60 प्रतिशत के बराबर होता है, अतः यह ऐसा डाटासेट है जिसकी अनदेखी हम नहीं कर सकते।

भारत में जीएसटीएन ने अपनी शुरुआत से ही आशातीत परिणाम दिए हैं। वर्ष 2018 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि जीएसटीएन ने 3.4 मिलियन कारोबारियों को कर के दायरे¹¹ में लाते हुए अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वैच्छिक आधार पर कराए जाने वाले पंजीकरणों की संख्या में हुई भारी वृद्धि के कारण ही जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण कराने वालों की संख्या बढ़ी है। छोटी बी2सी फर्मों जीएसटीएन का हिस्सा बनना चाहती हैं क्योंकि वे माल की खरीद बड़े उद्यमियों से करती हैं। वास्तव में, वे अपनी 68 प्रतिशत खरीद मँझोले या बड़े पंजीकृत उद्यमियों से करती हैं, जो कि उनके लिए अपने आप को पंजीकृत कराने का एक बड़ा प्रेरक तत्व होता है क्योंकि ऐसा करके वे अपनी इन खरीदों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अर्जित करती हैं।


इनपुट कर जमा अभिप्रेरण डिजिटाइजेशन और छोटे कारोबार की नियमनिष्ठता के लिए प्रबल प्रेरक है। इसके अतिरिक्त, खरीददारों द्वारा इन्वॉइस स्वीकारने से इन्वॉइस

का एक विश्वसनीय निधान बनता है। हम जानते हैं कि वे केवल अपनी बहियां नहीं बना रहे हैं; बल्कि दूसरी ओर उनके सत्यापित खरीददार हैं, जो इन्वॉइस जेनरेट किए जाने को प्रमाणित करेंगे। इससे उन 10 मिलियन अदृश्य कारोबारों को सशक्त भेदक दृष्टि से देखा जा सकता है, जो अब जीएसटीएन पर हैं और प्रत्येक माह में लगभग 1 बिलियन से भी अधिक इन्वॉइस अपलोड कर रहे हैं।¹²

जीएसटी परितंत्र में करदाता और जीएसटी प्रणाली के बीच एक परत है (चार्ट 3)। जीएसटी सुविधा प्रदाता (जीएसपी) से अपेक्षित है कि करदाताओं तथा अन्य हितधारकों को जीएसटी प्रणाली के साथ पारस्परिक क्रिया करने हेतु नवोन्मेषी और सुविधाजनक तरीके उपलब्ध कराएं। इसमें पारस्परिक क्रिया के लिए दो सेट होंगे, एक ऐप यूजर और जीएसपी के बीच और दूसरा जीएसपी और जीएसटी प्रणाली के बीच। जीएसपी अपने नवोन्मेषी सोल्यूशन्स के द्वारा करदाताओं को जीएसटी अनुपालन में सहायता कर सकते हैं।

जीएसटीएन की संरचना में ही उपयोगकर्ताओं को अपने स्वयं के कारोबार के संबंध में इनवाइसिंग डेटा उपलब्ध कराया गया है। पीसीआर की थीम जारी रखते हुए, हम पहले ही जानते हैं कि किसी भी रजिस्ट्री से विश्वसनीय, सत्यापनीय डेटा ऋण तक पहुंच को काफी सुधारा जा सकता

चार्ट 3: जीएसटी ईकोसिस्टम¹³



¹¹ उक्त

¹² प्राक्कलन के लिए देखें: <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/3-5-billion-invoices-every-month-all-about-the-technology-that-gst-will-bank-on-from-july/articleshow/58907708.cms>

¹³ <https://www.gst.gov.in/>

लोक ऋण रजिस्ट्री और माल एवं सेवा कर नेटवर्क: भारत में ऋण को सर्वसुलभ एवं औपचारिक बनाने के लिए लंबे कदम भरना

है। इसी प्रकार, हम आशा करते हैं कि कारोबारी प्रवाह के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए ऋण उत्पादों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, जैसे जीएसटीएन डेटा पर आधारित इन्वॉइस डिस्काउंटिंग।

पीसीआर और जीएसटीएन का पारस्परिक प्रभाव

अब, पीसीआर किसी उधारकर्ता के संबंध में सूचना एकत्रित करने के लिए किसी ऐसे उधारकर्ता, जो एक कोर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपॉजिटरी का प्रयोग कर रहा है, की सूचना तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच फैली हुई उप-प्रणालियों (उदा. एमसीए डेटाबेस, जीएसटीएन आदि, ऊपर चार्ट 2 देखें) के सेट में पड़ी हुई सूचना का योग कर सकता है। ये उप-प्रणालियां मिल कर सत्यापनीय सूचना का एक विश्व निर्माण करती हैं तथा वित्तीय प्रणाली के सभी महत्वपूर्ण हितधारकों को इस डेटा तक सुरक्षित पहुंच की अनुमति देती हैं। इन संस्थाओं के बारे में विचारणीय यह है कि ये सभी मूलतः डिजिटल हैं। इन्हें डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो कि किसी एक उपयोग मामले के प्रति पक्षपातपूर्ण अथवा अत्यधिक निर्देशात्मक हुए बिना बहुविध उपयोग मामलों को संभालने में समर्थ हैं। यह किसी शून्य में नहीं हो रहा है। ये सब कुछ संभव नहीं हो पाता, यदि डिजिटल बनने के रास्ते में आने वाली अन्य बाधाएं पहले ही दूर न कर ली गई होतीं। अन्य सार्वजनिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, जैसे अपने ग्राहकों को जानने के लिए केवायसी या डिजिटल भुगतानों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) ने उपयोगकर्ताओं को और अधिक डेटा निर्माण करने के लिए प्रेरित किया और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी ऋण-पात्रता सुधारने में सहायता की।

इस इन्फ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने पर हमें उन उपयोगकर्ताओं को इस पर लाने की लागत अपेक्षित है, जो फिलहाल औपचारिक ऋण से बिल्कुल ही वंचित हैं। इस पर बहुत कम औसत लेनदेन आकार पर परिचालन करते हुए बहुत बड़ी संख्या में ग्राहकों को सेवा देना संभव होगा। शीघ्र खपत वाले उपभोक्ता सामान (एफएमसीजी) क्षेत्र की तरह ही बैंकिंग और ऋण तक पहुंच भी "सैश" में मिलने लगेगी, जो आम आदमी के लिए अधिक सुगम और वहनीय होगी। हम यह चाहते हैं कि ऐसे डेटा के आधार पर एक छोटी चाय की दुकान वाला भी उचित दर पर, केवल एक हफ्ते के लिए 500 रुपए का ऋण पाने योग्य बन जाए।

ये बात यहीं पर नहीं रुकती। ये नई संस्थाएं विनियामकों और अनुसंधानकर्ताओं को राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य की निगरानी करने, और उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए भी बेहतर साधन उपलब्ध करा सकती हैं।

अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे देश में, जहां जीडीपी की तुलना में ऋण निम्न स्तर पर हैं, वहन करने का सामर्थ्य कुशलतापूर्वक बढ़ाना और ऋण तक पहुंच सर्वोच्च लक्ष्य हैं। मैं इस बात को लेकर उत्साहित हूं कि जब हमारे छोटे उद्यमियों के लिए पूंजी की कमी नहीं रहेगी, या जब स्वास्थ्य के आघात परिवारों को अतिब्याजी ऋण और गरीबी में नहीं धकेलेंगे, तब हमारी उपलब्धियां कैसी होंगी। पीसीआर और जीएसटीएन दो ऐसी लंबी छलांगें हैं, जो सूचना तक पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास का प्रयोग करती हैं। ये एक साथ मिल कर हमें विश्वास दिलाती हैं कि हम भारत में ऋण को प्रजातांत्रिक और औपचारिक बनाने में समर्थ होंगे।

शहरी सहकारी बैंकों को प्रासंगिक बनाए रखने में सशक्त गवर्नेंस और सुरक्षित आईटी परिचालनों का महत्व*

एन.एस. विश्वनाथन

गुजरात शहरी सहकारी बैंक संघ द्वारा आयोजित सहकार सेतु के इस संस्करण में उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही। गुजरात राज्य में सहकारी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने में फेडरेशन सक्रिय रहा है। फेडरेशन और उसके सदस्य बैंकों के प्रयासों के कारण ही यह संभव हो सका है कि राज्य में सहकारी बैंक माधवपुरा बैंक संकट से निपटते हुए और अधिक मजबूत बनकर खड़े हुए हैं। फेडरेशन ने कई कदम उठाए हैं जिनमें विशेष रूप से शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना शामिल रहा है।

आज मैं यहाँ शहरी सहकारी बैंकों की वर्तमान स्थिति पर अपने कुछ विचार आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ और मेरा प्रयास होगा कि इस दिशा में रिज़र्व बैंक द्वारा अपनायी जा रही कुछेक नीतियों के पीछे का नज़रिया आपके सामने स्पष्ट कर सकूँ। इस क्षेत्र के लिए हमारी भावी योजनाएं क्या हैं, इसकी एक झलक भी मैं आपको देना चाहूंगा।

मैं अपनी बात कुछ आंकड़ों के माध्यम से प्रारंभ करना चाहता हूँ। 31 मार्च 2017 तक, यूसीबी की संख्या 1562 थी और इनमें जमाराशि कुल मिलाकर ₹443,468 करोड़ थी और कुल अग्रिम राशि ₹261,225 करोड़ थी। इस क्षेत्र की जमाराशियाँ बैंकिंग क्षेत्र की कुल जमा का लगभग 3.6 प्रतिशत तथा अग्रिम राशियाँ बैंकिंग क्षेत्र की कुल अग्रिम का 2.9 प्रतिशत थीं। समग्र रूप से देखें तो, वर्ष 2016-17 के दौरान जमा में 13.1 प्रतिशत और अग्रिमों में 6.6 प्रतिशत की सालाना वृद्धि हुई। सकल एनपीए 7 फीसदी से थोड़ा अधिक रहा। आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) 0.77 प्रतिशत था और 9 प्रतिशत से अधिक के जोखिम भारित आस्ति (सीआरएआर) - पूंजी अनुपात के साथ लगभग 91

* *गुजरात शहरी सहकारी बैंक संघ द्वारा 04 अगस्त 2018 को गाँधीनगर में आयोजित कार्यक्रम - सहकार सेतु में उप गवर्नर श्री एन. एस. विश्वनाथन द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषण।

प्रतिशत से अधिक बैंक ऐसे थे जिनमें समुचित पूंजीकरण किया गया था।


जैसा कि आप में से बहुत से लोग यह जानते होंगे कि माधवपुरा बैंक संकट के तुरंत बाद यूसीबी का बाजार हिस्सा लगभग 6.3 प्रतिशत से घटकर 5.8 प्रतिशत के आसपास हो गया। इस क्षेत्र में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा कई उपाय किए गए थे। इनमें राज्य सरकारों के साथ समझौता जापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने और अधिकांश राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों पर टास्क फोर्स (टीएएफसीयूबी) का गठन जैसे कदम शामिल थे। नीचे दिए गए चार्ट में पिछले 10 वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण मानकों पर इस क्षेत्र का कार्यनिष्पादन दर्शाता है।



यूसीबी की आस्ति गुणवत्ता :

साल-दर साल इस क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में लगातार सुधार हुआ है (चार्ट 1)।

यूसीबी का रेटिंग-वार वितरण :

यूसीबी का पर्यवेक्षण कैमैल्स (पूंजी, संपत्ति, प्रबंधन, कमाई, चलनिधि और प्रणालियों) मॉडल के तहत किया जाता है और इस प्रकार किए गए मूल्यांकन के आधार पर, इन्हें ए से डी तक की पर्यवेक्षी रेटिंग दी जाती है, ए उच्चतम रेटिंग होती है और डी निम्नतम। वर्ष 2007 से यह देखा जा रहा है कि ऐसे यूसीबी जिन्हें 'सी' या 'डी' पर्यवेक्षी रेटिंग प्रदान की गयी थी, उनकी संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है (चार्ट 2)।






चार्ट 3 में निचली रेटिंग वाले यूसीबीए की संख्या में आयी प्रतिशत गिरावट दर्शायी गयी है।

यूसीबी का सीआरएआर-वार वितरण :

समग्र रूप से देखें तो 3 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाले यूसीबी की संख्या कम होती जा रही है। इनकी संख्या 31 मार्च 2008 को 224 थी, जो 31 मार्च 2013 को घटकर 160 हो गयी और 31 मार्च 2017 तक यह आंकड़ा और कम होता हुआ 114 तक पहुंच गया (चार्ट 4)। 9 प्रतिशत




से अधिक सीआरएआर के विनियामकीय प्रावधान का पालन करने वाले यूसीबी का प्रतिशत साल दर साल बढ़ा है और यह 31 मार्च 2008 के 82.3 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2013 को 88.1 प्रतिशत और फिर 31 मार्च 2017 को 91.5 प्रतिशत हो गया।

प्रबंधन और लघु वित्त बैंक (एसएसबी) में स्वैच्छिक परिवर्तन बोर्ड

विभिन्न मानकों पर, निःसंदेह, लगातार प्रगति हुई है जिससे इस बात के संकेत मिले हैं कि रिज़र्व बैंक और इस क्षेत्र ने मिलकर सम्मिलित प्रयासों से माधवपुरा बैंक संकट से उपजे मामलों से निपटने में सफलता पायी। लेकिन क्या ये आंकड़े हमें आराम से बैठने की इजाजत देते हैं ? आइए, एक नजर अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के आंकड़ों पर डालते हैं। यूसीबी मुख्य रूप से छोटे-छोटे टिकट अग्रिमों में अपना कारोबार करते हैं, जिसे देखते हुए औसतन 7% का एनपीए उचित नहीं कहा जा सकता। यूसीबी अभी भी बासेल-1 फ्रेमवर्क के तहत काम कर रहे हैं इसलिए केवल सीआरएआर का अनुपालन पर्याप्त नहीं माना जा सकता। जनसाधारण का विश्वास हासिल करने का असली पैमाना है बाजार में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, यूसीबी की बाजार हिस्सेदारी जो वर्ष 2002 में 6.4 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी, वह 2017 तक घटकर 3.3 प्रतिशत रह गयी है।

बाजार हिस्सेदारी में आयी उपर्युक्त गिरावट जैसा कि चार्ट-5 में दर्शाया गया है, को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत



होता है कि इस गिरावट का विश्लेषण किया जाए और इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए कि इस समस्या से निपटने के लिए कौन से कदम उठाए जाने आवश्यक है।

मैं पिछले कुछ समय से बार-बार यह कहता रहा हूं और आज रात को पुनः दोहराने की आवश्यकता है कि बैंकिंग कारोबार जनता के विश्वास पर आधारित होता है क्योंकि बैंकिंग का मुख्य स्रोत जमा राशियां होती हैं और जमा में बढ़ोतरी तभी होगी जब जनसाधारण का विश्वास बैंक में बना रहेगा। हालांकि यह बात बड़ी आसानी से कही जा सकती है यूसीबी की बाजार हिस्सेदारी में आयी कमी का मुख्य कारण बैंकिंग क्षेत्र के भीतर तथा उसके बाहर से भी आए अन्य प्रतिस्पर्धी विकल्पों के कारण है, फिर भी इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि यूसीबी के लिए जरूरी है कि वे अपने जमाकर्ताओं का विश्वास फिर से हासिल करें और उसे बनाए रखें। सामान्यतया इस प्रकार का विश्वास अन्य बातों के साथ साथ इस बात के साक्ष्य स्वरूप आता है कि -

1. बैंक का कारोबार ठीक-ठाक चल रहा है, इसलिए जमा राशि को कोई खतरा नहीं है;
2. अगर कोई संकट आता है तो बैंक उससे निपटने में सक्षम है; और
3. यदि बैंक असफल भी हो जाता है, तो जमाकर्ताओं के हितों को कम से कम प्रभावित किए बिना इसका समाधान हो जाएगा।

इनमें से पहले दो कारक यूसीबी के गवर्नेंस से संबंधित हैं। जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो यूसीबी के बोर्डों में पेशेवर नजरिया विकसित करने की बात सर्वप्रमुख तरीके से उभरकर आती है। कई बार ऐसा होता है कि अज्ञानतावश

या किसी अन्य कारण से ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं पिछले कुछेक वर्षों से इस क्षेत्र के बैंकों ने अपने बोर्डों में प्रोफेशनल्स को रखने की दिशा में प्रयास किए हैं, परंतु बोर्ड की चयन-प्रक्रिया के कारण हमेशा से कुछ अंतर्निहित विरोधाभास उपजते रहे हैं जैसे कि कभी-कभी बोर्ड के कुछ सदस्य ही उसी बैंक के उधारकर्ता भी होते हैं। इस बहुचर्चित दोहरे नियंत्रण का परिणाम यह होता है कि इसके कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने में रिजर्व बैंक की क्षमता अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तेजी से आगे बढ़ते हुए एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के उपरांत इस दिशा में पर्याप्त सुधार हुआ है, परंतु इसकी प्रक्रिया अभी भी अत्यंत जटिल है।

इसके अलावा, यूसीबी द्वारा सहकारिता के सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करवाने वाले गवर्नेंस ढांचे की भूमिका तथा यूसीबी जनता की जमा राशियों से प्राप्त वित्तपोषण के बल पर एक बैंक के रूप में व्यवसाय कर रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करवाने वाली इकाई की भूमिका के बीच उचित विभाजन होना आवश्यक है। हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधन बोर्ड पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए जाने पीछे यही कारण था। मैंने सुना है कि इसके बारे में लोगों ने कुछ गलत धारणाएं भी बना ली हैं। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रबंधन बोर्ड का उद्देश्य यूसीबी के गवर्नेंस में सुधार करना होता है, जिससे क्षेत्र पर लोगों का विश्वास बढ़े। प्रबंधन बोर्ड गवर्नेंस ढांचे में पेशेवर नजरिया विकसित करने के लिए एक संस्थागत फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है जो यूसीबी की बैंकिंग गतिविधियों का प्रबंधन करेगा। जैसा कि आप सब यह जानते हैं कि इस प्रकार का सुझाव बहुत पहले दिया गया था और हम इसे लागू करने के विभिन्न तरीके तलाशते रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि यह सुझाव विभिन्न हितधारकों द्वारा पारस्परिक विचार-विमर्श से उपजा है जिसके कारण विधायी परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता अब नहीं रही है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस बात को समझते होंगे कि प्रस्तावित कदम से यूसीबी में जनता का विश्वास बढ़ेगा और इससे वे बाजार में उनकी हिस्सेदारी फिर से हासिल कर सकेंगे।

जनता का विश्वास हासिल करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के एक हिस्से के रूप में रिजर्व बैंक ने यूसीबी को इस बात की अनुमति देने की अपनी मंशा की घोषणा की है कि वे स्वेच्छा से लघु वित्त बैंक (एसएफबी) के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। वित्तीय समावेशन के व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए देखें एसएफबी की भूमिका यूसीबी की तरह ही होती है। वास्तव में उनको 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) का लक्ष्य प्राप्त करना है और

यह भी सुनिश्चित करना है उनके अग्रिमों का कम से कम 50% हिस्सा टिकट साइज का हो अर्थात् ₹2500000 से कम। कई यूसीबी का असेट प्रोफाइल इस मानदंड का पालन नहीं करता परंतु इससे भी अधिक चिंताजनक यह तथ्य है कुछ यूसीबी तो उनके लिए निर्धारित 40% पीएसएल के लक्ष्य को भी पूरा नहीं करते। इसलिए यूसीबी को एसएफबी में परिवर्तित होने का विकल्प उपलब्ध करा देने से वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इससे यूसीबी में जमाकर्ताओं का विश्वास बढ़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जमाकर्ता इस बात से आश्वस्त हो जाएंगे कि बैंक के पास एक भिन्न फ्रेमवर्क पर अंतर्गत होने का विकल्प है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें बाजार से पूंजी उगाही की क्षमता उपलब्ध होगी जिसके जरिये न केवल वह अपने तुलन-पत्र को सुदृढ़ करते हुए अपना कारोबार बढ़ा सकेगा, बल्कि एक बेहतर समाधान व्यवस्था भी प्राप्त हो सकेगी। बहरहाल, यह पूरी तरह स्वैच्छिक है और किसी भी बैंक के हितधारकों के पास इस प्रकार का विकल्प होना उचित ही है।

मुद्दे और चुनौतियां

आइए, आप कुछ अन्य और चुनौतियों की बात करते हैं।

पूंजी

यूसीबी अभी भी बासेल-1 मानदंडों के अंतर्गत काम करते हैं। जैसा कि आप में से बहुत से लोग यह जानते हैं कि इन मानदंडों के अंतर्गत परिगणित सीआरएआर से बैंकों की सुदृढ़ता और आघातों को सहन करने की उनकी क्षमता का समुचित आकलन नहीं हो पाता। रिजर्व बैंक इस बात को समझता है यूसीबी के समक्ष पूंजी उगाही की समस्या है और इसीलिए यूसीबी को बासेल 1 मानकों के तहत काम करने की छूट दी गई है; हालांकि वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में देखें तो यही बात नए कारोबारी क्षेत्रों में प्रवेश करने और अपनी उपस्थिति में विस्तार करने के मार्ग में यूसीबी के लिए बाधा बनती है। इस क्षेत्र के बहुत से बैंक इतने छोटे हैं कि इनके दबावग्रस्त होने की स्थिति में भी बैंकिंग प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी भले ही कोई बैंक कितना भी छोटा क्यों न हो, उसके असफल होने से बैंकिंग प्रणाली पर जनता का विश्वास कम हो जाता है। यद्यपि ऐसे भी यूसीबी हैं जिनके तुलनपत्र का आकार कुछ वाणिज्यिक बैंकों से भी बड़ा होता है। ऐसे में सभी हितधारकों के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बैंकों का पर्याप्त पूंजीकरण किया जाए और उनमें दबावपूर्ण स्थितियों से निपटने हेतु आवश्यक आघातसहनीयता हो कि वे सकें।

यहाँ मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि बढ़ती सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) के माहौल में बैंकिंग

प्रणाली की आघातसहनीयता के परीक्षण के उद्देश्य से दो मानक विचलनों (एसडी) के माध्यम से कराए गए दबाव-परीक्षणों से यह पता चला कि जहाँ एक ओर प्रणाली स्तर पर देखें तो अनुसूचित यूसीबी (एसयूसीबी) का सीआरएआर विनियामकीय अपेक्षा से ऊपर बना रहा, वहीं बैंक विशेष के स्तर पर विचार करें तो बहुत से एसयूसीबी (54 में से 26) ऐसे थे जो सीआरएआर को लक्ष्यानुरूप बनाए नहीं रख सके। यह ध्यान देने योग्य है कि ये निष्कर्ष बासेल 1 मानकों के आधार पर की गयी गणना पर आधारित हैं। यदि बासेल 2 या बासेल 3 मानकों के आधार पर गणना की जाती तो दबाव परीक्षण के निष्कर्ष इससे भी अधिक गंभीर होते। इसलिए यह अति आवश्यक है कि यूसीबी अपने पूंजी-आधार को और अधिक सशक्त बनाएं। इस क्षेत्र को उच्च गुणवत्ता वाली पूंजी जुटानी होगी, न कि केवल टियर 2 पूंजी।

प्रतिस्पर्धा

एक समय था जब यूसीबी का अपना खास बाजार था। लेकिन आज वैसा नहीं है। कामकाज के पारंपरिक तौर-तरीकों वाले बहुत से बैंक आज उन ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कमर कस चुके हैं जो कभी को-ऑपरेटिव बैंकों के समर्पित ग्राहक हुआ करते थे। प्रौद्योगिकी की सहायता से आज आर्थिक दृष्टि से समाज के निचले तबकों के ग्राहकों को ऋण देना लाभदायक बन चुका है। परंतु यूसीबी को उस चुनौती के विषय में और अधिक जागरूक रहना होगा जो उन्हें नए बैंकों से मिल रही है। अगर देयताओं की बात करें तो एसएफबी और भुगतान बैंक छोटे जमाकर्ताओं को एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराते हैं, वहीं आस्ति पक्ष को देखें तो एसएफबी और एनबीएफसी भी उसी वर्ग के ग्राहकों के लिए कारोबार कर रहे हैं जैसे ग्राहकों के साथ यूसीबी कारोबार करते हैं। हालांकि यह सही है कि भारत में कारोबार की व्यापक संभावनाएं हैं और इस नाते यहां अच्छा व्यवसाय करने वाले सभी कारोबारियों लिए अवसर मौजूद हैं। फिर भी, वर्तमान बाजार में प्रासंगिक बने रहने के लिए यूसीबी को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को अपनाना ही होगा और उन्हें खुद को उस स्तर तक ले जाना होगा जहां वे प्रौद्योगिकी समर्थित बैंकिंग सेवाओं से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के जोखिमों का प्रबंधन कर सकें। इसे देखते हुए यूसीबी के लिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि वे अपनी गवर्नेंस एवं वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाएं।

सूचना प्रौद्योगिकी

आधुनिक बैंकिंग आईटी के बिना संभव नहीं है चाहे वह बैंकों के अपनी हाउसकीपिंग और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) हो अथवा ग्राहकों के साथ संपर्क। आईटी परिचालन गत लागत कम हो जाती है और क्षमता में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती है लेकिन साथ ही साथ

इससे परिचालन गत जोखिम भी काफी बढ़ जाता है जिसका परिणाम यह होता है की इस प्रकार के जोखिम के प्रबंधन आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है प्रोग्राम। डिजिटल बैंकिंग के साथ साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं और उससे जुड़े जोखिम होते हैं। इसीलिए बैंकों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उनकी आईटी प्रणाली सुदृढ़ हो और उसकी नियमित अंतराल पर सूचना प्रणाली आईएस लेखा परीक्षाएं की जाएं। इसके अलावा, बैंकों में आईटी के कार्यान्वयन के पश्चात बैंकों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि उनके पास एक सुदृढ़ आईटी जोखिम प्रबंधन संरचना हो। बैंकों के लिए यह भी जरूरी है कि जोखिम प्रबंधन के लिए पूरी तरह आउटसोर्सिंग पर निर्भर रहने की बजाए उनके पास इस कार्य में कुशल अपने स्टाफ-सदस्य उपलब्ध हों। डिजिटल माध्यमों से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले यूसीबी को चाहिए कि वे ग्राहकों की अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेने-देने से जुड़ी शिकायतों के निवारण को प्राथमिकता दें। जिन यूसीबी के पास जरूरी नियंत्रक ढांचा उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें इस प्रकार के अनधिकृत लेने-देने के लिए आसानी से निशाना बनाया जा सकेगा।

मुझे पता है कि कुछ बड़े यूसीबी ने बहुत ही सशक्त आईटी प्रणाली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, लेकिन मुझे चिंता है उन छोटे 124 यूसीबी की जिनकी जमाराशियों का आकार ₹10 करोड़ से कम है तथा उन 232 बैंकों की जिनकी जमाराशियां ₹10 करोड़ और ₹25 करोड़ के बीच हैं। यह तर्क कि आईटी को अपनाने से परिचालन लागत बढ़ जाती है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईटी समर्थित सेवाएं प्रदान करना आज के समय में प्रासंगिक बने रहने की अनिवार्य शर्त है, साथ ही, हमारे लिए वे सभी उपाय करने आवश्यक हो जाते हैं जो जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु किए जाने हेतु जरूरी हैं। आईटी समर्थित प्रक्रियाओं के इस्तेमाल से धोखाधड़ी पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। इस संबंध में यह चिंताजनक है कि आज भी 171 यूसीबी ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ सीबीएस को पूरी तरह लागू नहीं किया है और उन्हें इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता का उपयोग करना चाहिए।

हाल में उठाए गए कुछ कदम :

जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि हमने हाल ही में गैर-अनुसूचित यूसीबी के लिए रिजर्व बैंक में खाता खोलना आसान बनाया है, पीएसएल दिशानिर्देशों में एकरूपता लायी गयी है, अनुसूचित यूसीबी को सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) व्यवस्था के दायरे में लाया गया है, उन प्रतिपक्षी पार्टियों की सूची में नये नाम जोड़े गए हैं जिनके साथ यूसीबी गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में कारोबार कर सकते हैं और उन्हें उनके निवेश पोर्टफोलियो

में मार्क टु मार्केट (एमटीएम) हानि को चार तिमाहियों में बांटकर दर्शाने की अनुमति दी गयी है, जैसा कि वाणिज्यिक बैंकों के मामले में किया गया है। इस प्रकार हम यूसीबी को और अधिक सशक्त बनाने वाला विनियामकीय फ्रेमवर्क उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वे और अधिक प्रभावी तरीके से कारोबार कर सकें और अपनी भूमिका निभा सकें। लेकिन साथ ही, बैंकों, यूसीबी को भी यह सुनिश्चित करना है कि वे काला धन निरोध / आतंकवाद वित्तपोषण से निपटने संबंधी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन हो क्योंकि इस शृंखला में यदि कोई भी कड़ी कमजोर होगी तो ऐसे लोग उसका दुरुपयोग अवश्य करेंगे जो नियमों का उल्लंघन करते हुए लेन-देन करने की फिराक में रहते हैं।

अब मैं इस क्षेत्र के भावी परिदृश्य पर अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ।

यूसीबी क्षेत्र में समेकन

वर्ष 1992-2004 की अवधि के दौरान रिजर्व बैंक ने लाइसेंस प्रदान करने में उदारता की नीति अपनायी। इस अवधि में यूसीबी की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। गवर्नेंस में पेशेवर नज़रिए की कमी और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के चलते इनमें से बहुत से यूसीबी की वित्तीय हालत खराब है। वर्ष 2005 के विजन दस्तावेज के आधार पर रिजर्व बैंक ने यूसीबी सेक्टर के भीतर विलय की योजना प्रारंभ की और वर्ष 2010 में यूसीबी के वाणिज्यिक बैंकों में विलय संबंधी दिशानिर्देश अलग से जारी किए। इन दिशानिर्देशों में विलय को पूरी तरह स्वैच्छिक और सहकारिता के सिद्धांत एवं भावना के अनुरूप करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार विलय और बहिर्गमन के जैसे विकल्पों के माध्यम से इस क्षेत्र में मजबूती लाने का मार्ग खुला। वर्ष 2005 से लेकर मार्च 2018 तक 127 का विलय हो चुके हैं।

जैसे-जैसे बैंकिंग और अधिक जटिल होगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कार्य-कुशल स्टाफ की आवश्यकता बढ़ेगी, आईटी इनफ्रास्ट्रक्चर में नियमित निवेश अपेक्षित होगा और अनुपालन लागत में वृद्धि होगी। वृद्धि हासिल करने और मध्यावधि में प्रासंगिक बने रहने के लिए इस क्षेत्र में समेकन की आवश्यकता है। अब तक अधिकांश विलय किसी बाध्यता के कारण हुए हैं अर्थात् किसी बैंक के कमजोर पड़ जाने के चलते। मुझे लगता है कि यूसीबी के प्रबंधनकों को चाहिए कि वे कारोबार में बने रहने की अपनी क्षमता और भावी कारोबारी संभावनाओं समीक्षा करें और अगर वे खुद को वर्तमान में मजबूत स्थिति में पाते हों तो भी कम से कम छोटे स्तर पर समेकन पर विचार करें। इस क्षेत्र को इन मुद्दों पर गंभीरता से चिंतन करते हुए कुछ समाधान तलाशने होंगे।

छत्र संगठन

यह बात आपके समक्ष स्पष्ट हो गयी होगी कि इस क्षेत्र के सम्मुख मौजूद कई चुनौतियां संसाधनों की कमी, परिचालन के छोटे दायरे और अनुपालन की बढ़ती अपेक्षाएं जिनके प्रतिस्पर्धी माहौल में और भी बढ़ने की आशंका है, से उत्पन्न हुई हैं। समेकन के अलावा, यूसीबी क्षेत्र के लिए एक छत्र संगठन बनाकर कुछ चुनौतियों से निपटा जा सकता है। यह विचार सर्वप्रथम उस कार्यदल द्वारा व्यक्त किया गया था जिसका गठन 2006 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूसीबी की पूंजी में वृद्धि के उपाय सुझाने के लिए किया गया था। बाद की कई समितियों ने भी इसका समर्थन किया। इस प्रकार का छत्र संगठन बनाने के पीछे मूल विचार यह था कि एक ऐसा संस्थान बनाया जाए जो जरूरत के समय यूसीबी को चलनिधि संबंधी सहारा दे सके, संसाधन, विशेष रूप से आईटी संसाधन शेयर कर सके और प्रबंधकीय सहयोग प्रदान कर सके। ऐसे कई देशों में इस प्रकार की प्रणाली मौजूद है और वहाँ सहकारी बैंकिंग ने अच्छा कारोबार किया है। हालांकि, इस प्रकार के छत्र संगठन की संरचना और इसके कार्यों को लेकर विभिन्न हितधारकों के बीच आम-सहमति नहीं बन सकी। वर्ष 2016 में नैफकब (राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसायटी संघ) ने इससे जुड़े मुद्दों की जांच करते हुए सिफारिशें देने के लिए एक समिति गठित की। रिज़र्व बैंक को उक्त समिति की रिपोर्ट औपचारिक रूप से प्राप्त हो गयी है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम सक्रियतापूर्वक इस समिति की सिफारिशों की जांच कर रहे हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहूं तो यूसीबी वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही, यह भी समझना होगा कि बैंकिंग जहाँ एक ओर दिन-ब-दिन जटिल होती जा रही है, वहीं बाजार के जिस हिस्से पर पहले विशुद्ध रूप से यूसीबी का आधिपत्य हुआ करता था, वहाँ अब प्रतिस्पर्धा का माहौल है। यह प्रतिस्पर्धा पारंपरिक और नये बैंकों से मिल रही है क्योंकि आईटी और फिनटेक ने इस बाजार को उनकी पहुंच के दायरे में ला दिया है। प्रासंगिक बने रहने के लिए यूसीबी क्षेत्र को प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा, आर्टी समर्थित परिचालनों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का सामना करने के लिए कमर कसनी होगी, उपयुक्त गवर्नेंस ढांचा खड़ा करना होगा, कुशल मानव संसाधन का नियोजन करना होगा और सही पैमाने पर परिचालन करना होगा। रिज़र्व बैंक ऐसी नीतियों पर काम करना जारी रखेगा जिनसे यूसीबी में जनसाधारण का विश्वास बढ़े और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि यूसीबी एक साफ-सुथरी बैंकिंग प्रणाली कायम करने की दिशा में हमारे प्रयासों में एक कमजोर कड़ी न साबित हों। मैं आशा करता हूं कि सहकार सेतु के इस संस्करण में होने वाले चिंतन-मनन से ऐसे विचार निकल कर आएंगे जिनसे इस क्षेत्र को और रिज़र्व बैंक को उस दिशा में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी।

मैं इस आयोजन की सफलता की कामना करता हूं।

आप सभी को धन्यवाद।

राज्य सरकार की बाजार उधारियां- मुद्दे और संभावनाएं*

बी.पी. कानूनगो

श्री चंद्रशेखर घोष, अध्यक्ष, बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स, श्री टी. बंदोपाध्याय, देवियों और सज्जनों। मैं बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहां उपस्थित होने और 'राज्य सरकार की उधारियां' विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

शासन की संघीय व्यवस्था जैसी कि हमारे देश में है, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही देश के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए राज्य बजटों का समग्र आकार महत्वपूर्ण है और राज्यों द्वारा किए जा रहे खर्च की प्रकृति विकास के लिए उल्लेखनीय है। चूंकि राज्यों की विकास संबंधी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं इसलिए बजटों का वित्त पोषण करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इस परिदृश्य में, बजट की वर्तमान स्थितियों और राज्य स्तर पर कर्ज प्रबंधन को परखना, मुद्दों की पहचान करना और संभावनाओं पर विचार करना आवश्यक है।



राज्यों के बजट का आकार बढ़ गया है : पिछले एक दशक में राज्य सरकार के बजटों के आकार में तीव्र वृद्धि हुई है और अब वे कुल मिलाकर केंद्रीय सरकार से कहीं अधिक खर्च करते हैं। राज्य सरकारों का समग्र खर्च 2017-18 (संअ) में बढ़कर ₹30,285.1 बिलियन हो गया जबकि 2011-12 में यह ₹12,847.1 बिलियन था और 2018-19 (बअ) में इसके और अधिक बढ़कर ₹33,592.2 बिलियन होने की संभावना है। उनके समग्र खर्च में होने वाली वृद्धि ने वर्ष 2011-12 से प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार की वृद्धि को भी पीछे छोड़ दिया है।

राजकोषीय असंतुलन भी बढ़ रहे हैं : यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकारों के वित्त में राजकोषीय असंतुलन बढ़ने के दिखने लगे हैं। रिज़र्व बैंक ने 'राज्यों के वित्त: 2017-18 के बजटों का अध्ययन' में यह उल्लेख किया है कि राज्यों की समेकित राजकोषीय स्थिति 2015-

16 और 2016-17 के दौरान खराब हुई है। 2017-18 (संअ) में जीएफडी-जीडीपी अनुपात 3.1 प्रतिशत रहा जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) की सीमा से लगातार तीन वर्षों से अधिक बना हुआ है। राज्य सरकारों की बकाया देयताओं में 2012-13 (2014-15 एक अपवाद है) से दो अंकों में वृद्धि हो रही है। राज्य-वार आंकड़े बताते हैं कि 16 राज्यों का कर्ज - जीएसडीपी अनुपात बढ़ गया है। राज्यों की राजकोषीय स्थिति के डाउनसाइड जोखिम में आम चुनावों के पूर्व राजस्व खर्च पर पड़ने वाला दबाव, राज्यों द्वारा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लागू करना और कुछ राज्यों में कृषि ऋणों की माफी आदि शामिल है। केंद्रीय वित्त में भी राजकोषीय चूक देखी गयी है। वैश्विक वित्तीय संकट के प्रतिसाद में 2008-13 के दौरान एफआरबीएम अधिनियम को स्थगित कर दिया गया था और राजकोषीय सहारे ने केंद्र के सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को बढ़ा दिया और इस अवधि के दौरान यह जीडीपी के औसतन 5.6 प्रतिशत पर पहुंच गया। 2013-18 की अवधि के दौरान केंद्र का जीएफडी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में औसतन 3.9 प्रतिशत रहा। जबकि एफआरबीएम अधिनियम में जीएफडी का लक्ष्य जीडीपी का 3 प्रतिशत है। अब इसे 2020-21 तक के लिए आस्थगित कर दिया गया है। पीछे देखें तो केंद्र सरकार ने केवल एक बार वर्ष 2007-08 में इस लक्ष्य को प्राप्त किया था जबकि जीएफडी/जीडीपी अनुपात 2.5 प्रतिशत तक गिर गया था। केंद्र हो या फिर राज्य बढ़ता हुआ असंतुलन सामान्य सरकार के स्तर पर समेकन के प्रयासों को विपथित कर सकता है। जी-20 देशों के बीच भारत का सामान्य सरकार घाटा अत्यधिक ऊंचे स्तर पर बना हुआ है।

राज्यों की बाजार उधारियां में वृद्धि हुई है : बड़ी मात्रा में खर्च और घाटों के परिणामस्वरूप बाजार उधारियों में वृद्धि हुई है जो राज्यों के स्तर पर राजकोषीय असंतुलन और बकाया देयताओं में बढ़ोतरी दर्शाती है। भारतीय राज्य सरकारों की बाजार उधारियां जो उनके सकल राजकोषीय घाटों के वित्त पोषण का मुख्य स्रोत है, में हाल के वर्षों में तीव्र वृद्धि हुई है जो कि केंद्र सरकार की दिनांकित बाजार उधारियों में आयी स्थिरता के विपरीत है। बाजार उधारियों के माध्यम से सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को वित्तपोषित करना 1990 के पूर्व वित्तीयन का महज एक छोटा भाग था जो 2017-18 (बअ) में उल्लेखनीय रूप

* 31 अगस्त 2018 को मुंबई में बंगाल चैंबर ऑफ कामर्स के वित्तीय बाजार कॉन्क्लेव में रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर बी.पी. कानूनगो का संभाषण।



से बढ़कर 74.9 प्रतिशत हो गया करे (चार्ट 1)।

इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि मौजूदा राजकोषीय वर्ष में राज्य सरकारों की अनुमानित सकल और निवल बाजार उधारियां केंद्र सरकार की उधारियों के समान थीं। उज्जवला डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के तहत भी राज्य ऊर्जा प्रदाताओं की देयताओं को अधिगृहीत करने के लिए भी राज्यों ने काफी उधार लिया। समग्र आधार पर राज्यों की सकल उधारियों के बढ़कर ₹5.5 लाख करोड़ या जीडीपी के 2.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है जबकि 2018-19 में निवल उधारियों के बढ़कर ₹4.2 लाख करोड़ या जीडीपी के 2.3 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। राज्यों ने अपने राजकोषीय घाटे के लगभग 91 प्रतिशत हिस्से को बाजार उधारियों के माध्यम से जुटाने का अनुमान लगाया है जबकि केंद्र सरकार द्वारा 66 प्रतिशत का वित्त पोषण इसके माध्यम से किया जाएगा। 2018-19 के दौरान राज्य सरकारों की सकल उधारियों में वर्ष-दर वर्ष आधार पर 28.5 प्रतिशत का इजाफा होने की संभावना है।

वित्तपोषण के मिश्रण में बदलाव हुआ है : राज्यों के वित्तपोषण के मिश्रण में हुए बदलाव ने भी बाजार उधारियों पर निर्भरता बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में अधिकतर सभी राज्य राष्ट्रीय लघु बचत निधियों (एनएसएसएफ) से अलग हो गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, हाल के वर्षों में राज्य सरकारों की बाजार उधारियों पर निर्भरता उल्लेखनीय रूप से बढ़

गई है। मोचनों में बढ़ोतरी से जीएफडी के 0.5 प्रतिशत तक उच्चतर बाजार उधारी हो रही है क्योंकि 2007-08 में वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के झटकों से उबरने के लिए राज्यों को राजकोषीय सहायता प्रदान किया गया था, इसने भी उधारियों¹ को बढ़ाने में अपना योगदान दिया (चार्ट 2)। इसके चलते राज्यों की बाजार उधारियों में वृद्धि की गति केंद्र से ज्यादा हो गयी, जो कि पिछले दो-एक वर्षों से कम या ज्यादा स्थिर ही रही है।

अधिक उधारियों का प्रभाव : लगभग ₹1.3 लाख करोड़ के मोचन दबाव को विचार में रखते हुए राजकोषीय वर्ष 19 में सकल बाजार उधारियों के ₹6 लाख करोड़ से अधिक हो जाने की संभावना है जो केंद्र सरकार की राजकोषीय वर्ष के लिए ली जाने वाली उधारियों से कुछ ज्यादा है। बकाया राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) में बाजार की भागीदारी 2008-09 के 16.59 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 29.06 प्रतिशत हो गई है जबकि इसी अवधि के दौरान भारत सरकार की भागीदारी (सरकारी प्रतिभूतियां और खजाना-बिल) 83.41 प्रतिशत से कम होकर 70.94 प्रतिशत हो गई है। यद्यपि, रिज़र्व बैंक ने केंद्र और राज्य सरकारों की बाजार उधारियों का प्रबंधन सफलता पूर्वक किया है तथापि, राज्यों की बाजार उधारियों पर बढ़ती हुई निर्भरता ने मांग और आपूर्ति

¹ 2007-08 के दौरान राज्यों द्वारा लिया गया सकल उधार पिछले वर्ष लिये गये उधार के दोगुने से अधिक था क्योंकि केन्द्र द्वारा राज्यों को अतिरिक्त आवेदनों की मंजूरी प्रदान की गई थी ताकि 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) में हुयी कमी को पूरा किया जा सके।

दोनों पक्षों की ओर से चिंताओं को बढ़ा दिया है और इसे इस प्रकार प्रबंधित करने की आवश्यकता है कि ताकि प्रतिफलों पर किसी प्रकार के दुष्प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। मैं इनमें से कुछ चिंताओं पर प्रकाश डालूंगा।

- i. **प्रतिफलों का कठोर होना** : केंद्र और राज्यों की बाजार उधारियों पर बढ़ती हुयी निर्भरता से सरकारी प्रतिभूति बाजार में सरकारी दस्तावेजों की अत्यधिक आपूर्ति हो गई है और इससे सरकारी प्रतिफल कठोर हुए हैं। इसकी परिणति एक श्रंखला में होती है, जिसमें बढ़ती हुई बाजार उधारियों के परिणामस्वरूप मोचन का दबाव बढ़ता है जो और अधिक उधारियां लेने को मजबूर करता है ताकि बकाया कर्ज और समेकित ब्याज के बोझ से निजात पायी जा सके। भारत औसत प्रतिफल 2016-17 में 7.48 प्रतिशत था जो 2017-18 में 7.60 प्रतिशत हो गया। केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के समान परिपक्वता की तुलना में एसडीएल का औसत अंतर 2014-15 में 38 आधार अंक था जो 2017-18 में बढ़कर 59 आधार अंक हो गया है जो राज्यों के लिए उधार की लागत में हुई बढ़ोतरी स्पष्ट रूप से दर्शाता है (सारणी)। चूंकि सरकारी प्रतिभूतियों और एसडीएल के लिये निवेशकों का आधार लगभग एक जैसा ही है इसलिए एसडीएल की लगातार और बड़ी मात्रा में होने वाली आपूर्ति से केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफलों में भी कठोरता आ गयी है।
- ii. **कॉर्पोरेट बांड बाजार पर प्रभाव** : भारतीय रिज़र्व बैंक और कैफरल के एक आंतरिक अध्ययन ने कॉर्पोरेट बांड प्रतिफलों पर एसडीएल अंतर के प्रभाव की जांच की है और यह देखा गया कि राज्य सरकारों के दस्तावेजों पर बढ़ते हुये प्रतिफलों ने कॉर्पोरेट बांडों के स्प्रेड पर भी दबाव बनाया है। केंद्रीय सरकार का कर्ज जिस प्रकार

बैंक क्रेडिट के लिए बाधा उत्पन्न (क्राउड आउट) कर देता है उसके विपरीत एसडीएल बांड बाजार में लागत बढ़ोतरी कर कॉर्पोरेट उधारियों के लिए बाधा उत्पन्न कर देता है। जीडीपी की तुलना में राज्य कर्ज के निर्गमों में होने वाली मात्रा एक प्रतिशतता बिंदु की बढ़ोतरी ने वित्त वर्ष 2016 में कॉर्पोरेट बांडों के निर्गमों की मात्रा में 11 प्रतिशत की गिरावट उत्पन्न कर दी थी। लंबी परिपक्वता वाले और उच्च रेटिंग प्राप्त कॉर्पोरेट बांडों में बाजार से बाहर होने की प्रवृत्ति कहीं अधिक होती है क्योंकि एसडीएल उनके संदर्भ में एक विकल्प उत्पन्न कर देता है।

- iii. **वित्तीय बाजारों के अन्य हिस्सों में पड़ने वाला प्रभाव** : बढ़ी हुई आपूर्ति और परिणामी प्रतिफलों की कठोरता का, विशेष रूप से 10 वर्षीय प्रतिभूति बेंचमार्क के मामले में, वित्तीय बाजार के अन्य हिस्सों में ब्याज दरों पर प्रपातिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि अन्य उत्पादों का मूल्यन जोखिम-मुक्त प्रतिफल वक्र पर आधारित होता है। इसका असर इनपुट लागतों के रूप में मुद्रास्फीति पर पड़ता है जिससे प्रतिफल स्तरों में और अधिक वृद्धि हो जाती है परिणामतः एक दुश्चक्र का निर्माण हो जाता है। चूंकि अर्थव्यवस्था उच्चतर संवृद्धि के पथ पर अग्रसरित है इसलिए आने वाले सालों में घरेलू निधीयन के लिए निजी क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है अतः हितधारकों को न केवल स्वयं के ब्याज खर्च के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा वरन् उन्हें वित्तीय क्षेत्र का भी ध्यान रखना होगा।
- iv. **बैंकों से घटती हुयी मांग**: केंद्र और राज्यों की बड़ी उधारी आवश्यकताओं को देखते हुये सरकारी प्रतिभूतियों के लिए संस्थागत मांग का अनुमान लगाना अनिवार्य होता है। आबद्ध वित्तपोषण का उपयोग घट रहा है क्योंकि बैंक एसएलआर अपेक्षाओं

सारणी: भारत सरकार की प्रतिभूतियों की तदनुरूपी अवधि की तुलना में एसडीएल का सकल निर्गम और स्प्रेड

वर्ष	राज्यों की सकल उधारियां (₹ बिलियन में)	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)	भारत सरकार की सकल उधारियां (₹ बिलियन में)	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)	भारत सरकार की तुलना में एसडीएल का और भारत स्प्रेड (बीपीएस)	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)
2014-15	2408.42	22	5920	5	38	49
2015-16	2945.60	22	5850	-1	50	32
2016-17	3819.79	30	5820	-1	60	20
2017-18	4191.00	10	5880	1	59	-2

में कमी लाने के लिये ग्लाइड पथ का अनुसरण कर रहे हैं। एक ऐसा बाजार जिसे एसएलआर के रूप में अग्रक्रयता में कमी, परिपक्वता तक धारिता (एचटीएम) में कमी और बिक्री के लिए चिह्नित (एमटीएम) लेखांकन की अनिवार्यता की मांग करने वाले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों को अपनाने की संभावना का सामना करना पड़ रहा है, वहां सरकारी बांडों की मांग प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद अंतरराष्ट्रीय पूंजी मानकों (बासेल III), जिनका भारत एक सक्रिय सदस्य है, ने उप-सरकारी उधारियों के संबंध में उधार जोखिम भार लगाने का प्रस्ताव किया है। जब कभी भी ये स्वीकार किया जायेगा, इस गतिविधि द्वारा राज्य सरकार की उधारी लागत के प्रभावित होने की संभावना है और बैंक की बहियों में एसडीएल को परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) की पेशकश के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए रखने का आकर्षण भी प्रभावित होगा। इसके अलावा, बासेल III पूंजी अपेक्षा अपने चलनिधि कवरेज अनुपात के तहत उच्च गणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) को भी परिभाषित करना चाहती है। मौजूदा विनियमनों के अनुसार, एसडीएल को चूंकि भारत सरकार की प्रतिभूतियों के समान ही माना जाता है इसलिए उन्हें भी एचक्यूएलए के स्तर 1 के एक भाग के रूप में शामिल किया जाता है क्योंकि उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परोक्ष रूप से सरकारी गारंटी प्राप्त होती है और अपनी बाजार उधारियों के संदर्भ में वे चूक मुक्त स्थिति दर्शाती हैं। भविष्य में इसमें परिवर्तन हो जाएगा, उस मामले में बैंक एसडीएल पर जोखिम भार लगाना प्रारंभ कर सकते हैं। राज्य सरकारों को इस परिस्थिति के लिए अपनी रणनीतियां बनानी होंगी।

- v. *एफपीआई की सीमित प्रतिभागिता* : निवेशक आधार बढ़ाने के उपाय के रूप में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को एसडीएल के प्रति आकर्षित करना आवश्यक होगा ताकि बढ़ी हुई उधारी अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। मध्यावधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) के अनुसार एफपीआई सीमाओं को चरणबद्ध रूप में बढ़ाना था ताकि वे मार्च 2018 तक बकाया स्टॉक के 2 प्रतिशत तक पहुंच जाएं। तथापि, मार्च 2018 को समाप्त तिमाही के लिए

एसडीएल हेतु एफपीआई सीमा का उपयोग केवल 12 प्रतिशत ही रहा और जून 2018 को समाप्त तिमाही के लिए यह निर्धारित सीमा का केवल 10 प्रतिशत ही रहा। पेशकश किए गए प्रतिफलों के बावजूद एसडीएल में एफपीआई का आकर्षण फीका रहा और दो बजटों के बीच राज्यों की वित्तीय स्थिति के संबंध में सूचना का अभाव होना और राज्य सरकारों के परिचालनों में अपारदर्शिता को इसका मुख्य कारण बताया। इसलिए आवश्यक है कि पारदर्शिता बढ़ाकर और राज्य वित्त के संबंध में उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़े सार्वजनिक कर निवेशकों तक पहुंच बनाई जाए।

- vi. *बड़ा नकद शेष और नकारात्मक अग्रोषण*: पिछले दो वर्षों में राज्यों द्वारा रखी गयी अधिशेष नकदी का विश्लेषण यह तथ्य दर्शाता है कि अधिशेष को मध्यवर्ती खज़ाना बिलों (आईटीबी) और खज़ाना बिलों की नीलामी (एटीबी) में निवेशित करने के बावजूद राज्य बाजार से उधारियों का सहारा ले रहे हैं और इस प्रकार के निवेशों का नकारात्मक प्रतिफल (कैरी) होता है। यदि कोई राज्य सरकार 182 या 364 दिनों के बंधित खज़ाना बिलों में निवेश कर रही है तो राज्यों के बाजार उधारी कार्यक्रम की समीक्षा की जानी आवश्यक है। इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा संचित बड़ी मात्रा में अधिशेष नकदी बाजार में चलनिधि की कमी उत्पन्न कर देती है और इस प्रकार यह बाजार में प्रचलित ब्याज दर पर दबाव बनाने में भी अपना योगदान देती है। इसलिए बड़ा नकद अधिशेष रखने वाले राज्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने अधिशेष नकदी शेष के अनुसार ही अपनी उधारियों को युक्तिसंगत बनाएं। 2017-18 के दौरान, सात राज्यों ने वर्ष के लिये स्वीकृत राशि की 85 प्रतिशत से कम उधारी की जो इस तथ्य को दर्शाता है कि इन राज्यों को स्वीकृत राशि की तुलना में कमतर आवश्यकता थी। इन मुद्दों के समाधान के लिए राज्यों को एक ऐसी सुविधा अपनानी होगी जो उनके अधिशेष पर लगातार निगरानी रख सके और उसे उनके बाजार उधारी कार्यक्रम के साथ संपृक्त कर सके। यदि आवश्यक हो तो इसके लिए बाहरी परामर्शदाताओं की मदद भी ली जा सकती है। यह बाजार में बांडों के अंतर्वाह को कम करेगा, प्रतिफलों पर पड़ने वाले दबावों को घटाएगा और केंद्र तथा अन्य राज्यों

दोनों की उधार लागत पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

- vii. **बाजार का सूक्ष्म ढांचा और एसडीएल में चलनिधि:** एसडीएल बाजार तुलनात्मक रूप से ठोस (अतरल) है, खास तौर पर जब इसकी तुलना केंद्र सरकार के बांडों से की जाती है। चलनिधि का प्रीमियम इसके अंतराल (स्प्रेड) में दिखाई देता है। द्वितीयक बाजार में एसडीएल की तरलता जो कुल जी-सेक द्वितीयक बाजार में इसकी हिस्सेदारी से परिलक्षित होती है, उल्लेखनीय रूप से कम रही है (5 प्रतिशत से कम)। तरलता की कमी के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि विभिन्न एसडीएल का बकाया कम स्टॉक, बाजार सूक्ष्म ढांचा संबंधी मुद्दे और बाजार निर्माताओं की कमी। एसडीएल अधिकतर हमेशा नये निर्गमों के रूप में होते हैं और इस कारण से बिखरे हुए होते हैं जिससे उनमें उस मुख्य तत्व की कमी होती है जिससे वे व्यापार मात्रा को प्राप्त कर सकें। 2017-18 में केंद्र सरकार के कुल 159 निर्गमों में से 156 पुनः निर्गम थे जबकि राज्य सरकारों के 411 निर्गमों में से 43 पुनः निर्गम थे। इसलिए राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को पुनः निर्गत किए जाने की आवश्यकता है।

एसडीएल बाजार सूक्ष्म ढांचा भी शायद चलनिधि में कमी को आंशिक रूप से व्याख्यायित कर सकता है। मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार, आधे से अधिक एसडीएल का स्वामित्व बीमा कंपनियों (33.5 प्रतिशत) और भविष्य निधियों (18.1 प्रतिशत) के पास था जो कि बड़े निवेशक हैं और वे बांडों को परिपक्वता तक धारित करते हैं। यहाँ तक कि जो बैंक एसडीएल में निवेश करते हैं वे मूल्यन मानदंडों के कारण ट्रेडिंग से बचते हैं क्योंकि इससे बैंकों की बहियों में एसडीएल के मूल्य में झंझा की सुविधा प्राप्त होती है और परिपक्वता तक धारिता उन्हें बाजार जोखिमों से बचाने की पेशकश भी करती है। बैंकों का बांड पोर्टफोलियो उनका मौजूदा बाजार मूल्यांकन दर्शाए यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि एसडीएल का मूल्यन उनकी अवलोकित (ऑब्ज़र्वड) कीमतों पर आधारित होना चाहिए। यह उपाय बैंकों को निष्क्रिय निवेश करने से संभवतः हतोत्साहित करेगा और एसडीएल की ट्रेडिंग मात्राओं में सुधार करेगा। बाजार द्विपक्षीय कोटेशन प्रदान कर सकने में सक्षम बाजार-निर्माताओं से भी वंचित है, इससे भी चलनिधि प्रभावित होती है।

एसडीएल में जोखिम असमानता

12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद सरकार राजकोषीय वर्ष 06 से राज्य सरकार की उधारियों की मध्यस्थता से हट गई है। ऐसी आशा की गई थी कि बाजार उधारियों की मात्रा में बढ़ोतरी राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य की संवीक्षा बढ़ाएगी और कमतर उधारी लागतों से बेहतर राजकोषीय प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

तथापि, राज्य सरकारों के राजकोषीय निष्पादन में बड़ी भिन्नताओं के बावजूद, किसी भी नीलामी में राज्यों द्वारा जारी एसडीएल के कट ऑफ प्रतिफल निकटवर्ती रूप से क्लस्टर में बने रहे। डेटा पर एक नज़र डालने से संकेत मिलता है कि अंतर-राज्य स्प्रेड में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं रहा है, जो औसतन 5-7 बीपीएस के बीच रहता आया है। बेहतर राजकोषीय मानदंड वाले राज्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि बाजार राजकोषीय मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा है।

राज्यों के बीच जोखिम असमानताओं से संबंधित मुद्दे को नीतिगत ध्यान मिल रहा है, जैसा कि दो रिपोर्टों के अवलोकनों से देखा जा सकता है, नामतः आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 और श्री एन के सिंह की अध्यक्षता में गठित एफआरबीएम समीक्षा समिति रिपोर्ट, 2017।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में कहा गया है कि राज्य सरकार के वित्त के संबंध में वृहत्तर बाजार-आधारित अनुशासन गायब है, इसे राज्य सरकारों के बॉन्ड और उनके ऋण या घाटे की स्थिति के संबंध में स्प्रेड के बीच सह-संबंध की पूर्ण कमी के रूप में देखा जा सकता है। यह देखा गया कि स्प्रेड और राज्यों की ऋण-ग्रस्तता के बीच एक सपाट संबंध है, अतः, राज्यों को उनके कर्ज निष्पादन के लिए न तो पुरस्कृत किया जाता है और न ही दंडित किया जाता है।
- जनवरी 2017 में प्रकाशित 'जिम्मेदार संवृद्धि: 21 वीं शताब्दी के भारत के लिए कर्ज और राजकोषीय ढांचा' नामक एफआरबीएम समीक्षा समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि एसडीएल उधार दरों को बाजार निर्धारित करने के बावजूद, यह महसूस किया गया है कि राज्यों में जोखिम असमानता पर्याप्त रूप से उधारियों की लागत में दिखाई नहीं दे रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अच्छे राजकोषीय निष्पादन वाले भली प्रकार प्रबंधित राज्यों ने व्यक्त किया है कि उन्हें अपने राजकोष के बेहतर प्रबंधन के लिए पर्याप्त रूप से

मुआवजा नहीं दिया गया है और अन्य राज्यों की तुलना में वित्तीय रूप से मजबूत राज्यों द्वारा क्रॉस सब्सिडी के कुछ घटकों का उपयोग किया जा रहा है जो कि वित्त निग्रह के समकक्ष है।'

इस विसंगति को दूर करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई उपाय किए हैं। उपायों में ए) 24 अक्टूबर, 2017 से एसडीएल की साप्ताहिक नीलामी आयोजित करना ताकि निर्गमों की बंचिंग रोकी जा सके, बी) राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बनाए गए बफरों, भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत प्राप्त वित्तीय सुविधाओं के विवरण, बाजार उधारियों और एसडीएल के बकायों से संबंधित उच्च आवृत्ति वाले डेटा का आरबीआई मासिक बुलेटिन में प्रकाशन ताकि एसडीएल बाजार को गहरा बनाने के लिए आवश्यक पारदर्शिता लायी जा सके। सी) समेकित सिंकिंग फंड (सीएसएफ) और गारंटी रिडेम्प्शन फंड (जीआरएफ) के संपार्श्विक के प्रति उधार लेने पर ब्याज दर को कम किया गया है ताकि इन बफरों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जा सके, यह निवेशकों के लिए पुनः राहत देने वाला एक उपाय है। डी) राज्य सरकारें एसडीएल को सार्वजनिक रूप से दर्जा प्रदान कराने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से 'दर्जा प्राप्त' एसडीएल के संपार्श्विक के प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक की रेपो सुविधा की लागत को पुनः युक्ति संगत बनाया गया है ताकि एसडीएल² के संबंध में कम मार्जिन की व्यवस्था की जा सके। ई) बैंकों की बहियों में एसडीएल के उचित मूल्यन के लिए यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अब प्राथमिक या द्वितीयक नीलामी में अवलोकित कीमतों पर किया जाएगा। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कर्ज व्यवहार्यता संकेतकों में सुधार देखा गया है, फिर भी, एसडीएल का समुचित मूल्यन राज्यों की अंतर्निहित वित्तीय स्थितियों को प्रकट करेगा और इसमें राज्यों के राजकोषीय अनुशासन को करने की क्षमता होगी। ये सभी उपाय ऊपर शीर्ष से नीचे तक अपनायी जाने वाली पद्धति का हिस्सा हैं। अब समय आ गया है कि हम ऊर्ध्वगामी पद्धति का उपयोग करें जिसमें राज्य सरकारें स्वयं अग्र-सक्रिय उपाय करेंगी इसमें निवेशक बैठकों के आयोजन द्वारा निवेशकों का जुड़ाव बढ़ाना और स्थानीय तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।

² दर्जाप्राप्त एसडीएल के लिये आरंभिक मार्जिन की अपेक्षा उभी परिपक्वता अवधि वाली अन्य एसडीएल की तुलना में 1.0 प्रतिशत कमतर रखी गयी है अर्थात् यह 1.5 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत के दायरे में है।

भावी दिशा

सरकार के कर्ज प्रबंधक के रूप में, रिज़र्व बैंक को यह सुनिश्चित करना है कि अत्यधिक जोखिम से बचते हुये सरकार की वित्त-पोषण आवश्यकताओं को मध्यम/दीर्घकालिक अवधि में कम लागत पर पूरा किया जाए। हालांकि, बाजार उधारियों की मात्रा में वृद्धि के कारण, केंद्र और राज्य सरकारों की बाजार उधारियों को समन्वित करते हुए कार्यनीति विकसित करना महत्वपूर्ण है।

i. नकदी प्रबंधन में आमूल-चूल परिवर्तन

राज्य सरकारों को अपने नकदी प्रबंधन प्रथाओं पर पुनः विचार करना होगा और नकदी प्रवाह की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए विशेषज्ञता विकसित करनी होगी और डेटा का उपयोग नकदी संतुलन हेतु पूर्वानुमान लगाने के लिए करना होगा ताकि वे अपने संबंधित उधारी कार्यक्रमों समय-निर्धारण कर सकें।

ii. अंतर-राज्यीय ऋण देना उधार लेना

राज्य सरकारें पूर्व में यह मांग करते रहे हैं, और यह सही भी है कि, उनके पास अधिशेष नकदी शेषों का निवेश करने के लिए और अधिक विकल्प मौजूद हों। संभवतः, नकदी अधिशेष वाली राज्य सरकारें बाजार से जुड़ी दर पर घाटे में मौजूद राज्यों को उधार दे सकती हैं। बेशक, इसके लिए बजट बनाने की आवश्यकता होगी।

iii. कंसोलिडेटेड सिंकिंग फाइंड (सीएसएफ) / गारंटी रिडेम्प्शन फंड (जीआरएफ) में निवेश की अनिवार्यता:

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बनाए रखे गए सीएसएफ और जीआरएफ में निवेश, वर्तमान में स्वैच्छिक है। इन रिजर्वों का उद्देश्य भविष्य में पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में राज्य सरकारों को एक कुशन प्रदान करना है। जो राज्य इन फंडों को बनाए रखते हैं, वे अपनी बकाया देनदारियों के संदर्भ में निवेश के विभिन्न स्तर धारण कर रहे हैं। राज्य सरकारों के लिए सीएसएफ और जीआरएफ निवेश अनिवार्य बनाने में योग्यता है और उनकी बकाया देनदारियों के संदर्भ में एक न्यूनतम सीमा निर्दिष्ट की जा सकती है जो निवेशकों को और अधिक राहत प्रदान करेगी। राज्य सरकारों द्वारा इन फंडों को पर्याप्त स्तर

पर बनाए रखने और इन फंडों के तहत निधियों में बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के संबंध में ब्याज दरों को कम करते हुए इसे रेपो दर से 200 आधार अंक के स्थान पर 100 आधार अंक कर दिया है।

iv. *एक स्टैंडअलोन आधार पर रेटिंग एजेंसी द्वारा एसडीएल की रेटिंग*

एसडीएल का कोई क्रेडिट जोखिम नहीं होता है, क्योंकि वे संप्रभु सरकार हैं और संविधान के तहत उनके पास कर लगाने की शक्ति है। क्रेडिट जोखिम की यह अनुपस्थिति इस तथ्य से देखी जा सकती है कि बासेल III पूंजी नियमों के तहत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एसडीएल की धारिता पर लगाया गया जोखिम भार भारत सरकार के बॉन्ड के समान ही अपने सीआरएआर की गणना में शून्य है। चूक की संभावना का आकलन करने के लिए चूक का कोई इतिहास नहीं है। राज्य, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ बाजार उधारियों/देनदारियों के परिशोधन हेतु एक कुशन प्रदान करने के लिए एक समेकित सिंकिंग फंड (सीएसएफ) भी बनाए रखते हैं। सीएसएफ और जीआरएफ होने से राज्यों और निवेशकों को राहत मिलती है कि एसडीएल भुगतान सभी परिस्थितियों में किया जाएगा। दूसरी ओर, जोखिम को इसकी संपूर्णता में देखा जाना चाहिए। राज्य सरकार को निष्पादन मापने के लिए कर्ज व्यवहार्यता और राजकोषीय विवेकशीलता संकेतकों को मापने वाला एक सूचकांक का उपयोग किया जा सकता है। राजकोषीय रूप से मजबूत राज्य सरकारें अनुमोदित स्टैंडअलोन रेटिंग एजेंसियों से ऐसे मानकों पर खुद को दर्जा प्रदान करने के लिए और उन्हें सार्वजनिक बनाने के लिए पहल कर सकती हैं। इससे उन्हें अपने बॉन्ड की नीलामी में बेहतर दरें मिल सकती हैं। ऐसा अभ्यास बेहतर प्रदर्शन करने के लिए राज्यों हेतु एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा। एसडीएल के लिए राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक रेटिंग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, हाल ही में रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि रेडेड एसडीएल के लिए एलएएफ के तहत प्रारंभिक मार्जिन आवश्यकता उसी परिपक्वता अवधि (बकेट) के लिए अन्य एसडीएल की तुलना में 1.0 प्रतिशत कम होगी।

राज्य सरकारों की रेटिंग का सार्वजनिक खुलासा एसडीएल के मूल्य विभेदन में भी मदद कर सकता है।

v. *सुदृढ़ कैलेंडर*

जहां केंद्र सरकार हर छमाही (एचवाई) में प्रकाशित उधारी कैलेंडर का पालन करने के लिए जानी जाती है, वहीं, राज्य सरकारें अपने तिमाही कैलेंडरों का पालन नहीं करते हैं। इस तरह के विचलन बाजार को बाजार-उधारियों के संबंध में अनुमान लगाने के लिए छोड़ देते हैं। बाजार के साथ संप्रेषणीयता और पूर्वानुमेयता उधारी कार्यक्रम की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

vi. *कर्ज का समेकन*

एसडीएल का परिपक्वता पैटर्न इंगित करता है कि 2022-23 से मोचनों का दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा और 2026-27 तक यह जारी रहेगा। मोचन में उछाल आने से आवश्यक है ऋण का समेकन किया जाए। प्रत्येक राज्य सरकार को अपनी संबंधित परिपक्वता प्रोफाइल और नकद प्रवाह के आधार पर पुनर्मूल्यांकन, बायबैक और स्विच की योजना बनानी होगी। यह मात्रा बनाने में मदद करेगा, द्वितीयक बाजार में व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा और प्रतिफल को कम करके राज्य सरकारों को लाभ प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, यह मोचन दबाव को भी मिटाएगा और प्रतिभूतियों की अविशिष्ट परिपक्वता बढ़ाएगा। रिज़र्व बैंक के प्रयासों के कारण, कई राज्यों ने एसडीएल को फिर से निर्गत करना शुरू कर दिया है। हम कर्ज खरीद-वापसी पर भी राज्यों के साथ काम कर रहे हैं और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।

vii. *जानकारी का बेहतर और समय पर खुलासा*

एफआरबीएम विधानों ने बजट रिपोर्टिंग में काफी सुधार किया है, राज्यों के कर्ज और राजकोषीय डेटा आसानी से उपलब्ध नहीं है। पारदर्शिता में सुधार लाने और निवेशकों को जानकारी-युक्त निवेश संबंधी निर्णयों को लेने में मदद के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में (डोमेन) राज्य वित्त पर उच्च आवृत्ति डेटा प्रदान करने की आवश्यकता है। उप-राष्ट्रीय वित्तीय खातों की एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा, प्रमुख राजकोषीय डेटा का आवधिक

रूप से सार्वजनिक प्रकटीकरण, छिपी देनदारियों को उजागर करना और बजट में बजट से इतर देनदारियों को शामिल करना पारदर्शिता में निहित है।

निष्कर्ष

विकास और सुधार एक सतत प्रक्रिया है। नई सहस्राब्दी के दौरान, राज्य सरकारों ने वित्तीय और ऋण प्रबंधन में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। सभी राज्य सरकारों ने राजकोषीय समेकन पथ को शामिल करने वाले अपने वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनों को अधिनियमित किया है। अतः, राजकोषीय समझदारी के लिए एक संस्थागत वचनबद्धता मौजूद है। पारंपरिक कर्ज स्थिरता संकेतक एक मजबूती बनाए हुए हैं। राज्यों के सार्वजनिक कर्ज के कारण कोई महत्वपूर्ण प्रणालीगत जोखिम नहीं हो सकता है। हालांकि, हाल के दिनों में राजकोषीय चूक के कुछ संकेत हैं। कम तरलता और उथले निवेशक आधार वाले राज्यों के बढ़ते हुए घाटे और उधार के समष्टि-आर्थिक प्रभाव

मौजूद हैं। इसलिए, सभी हितधारकों को ऊपर की गई चर्चा के अनुसार उपाय करना महत्वपूर्ण है। मैं बाजार प्रतिभागियों से सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित एसडीएल डेटा का उपयोग करने और एसडीएल में एफपीआई समेत अन्य निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का आग्रह करता हूँ। नागरिकों का आर्थिक और सामाजिक कल्याण राज्यों द्वारा प्रभावी वित्तीय और कर्ज प्रबंधन पर निर्भर है। उभरते जोखिमों का ख्याल रखते हुये मजबूत एसडीएल बाजारों का निर्माण और राज्यों में कर्ज प्रबंधन प्रणालियों दोनों में वृद्धि करना अनिवार्य और जरूरी है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। मैं बाजार प्रतिभागियों से भी इस प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह करता हूँ।

धन्यवाद।

बिग डाटा और मापन : महंगाई से विभेद तक* रॉबर्टो रिगोबॉन

मैं अपनी बात द्वितीय सुरेश तेंदुलकर स्मृति व्याख्यानमाला के अंतर्गत भाषण देने हेतु आमंत्रित किए जाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रति आभार प्रदर्शन के साथ प्रारंभ करना चाहूंगा। प्रोफेसर तेंदुलकर भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली नीति निर्माताओं में से थे। उनके द्वारा किए गए अनेक कार्यों में से एक यह था कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के प्रमुख के रूप में कार्य किया। राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्राधिकारियों द्वारा आंकड़े एकत्र करने के मार्ग में आ रही परेशानियों को कम करना इस तरह के आयोग के लक्ष्यों में से एक था। इसलिए यह उपयुक्त होगा कि मैं इस संपूर्ण व्याख्यान के दौरान मापन और आंकड़े एकत्र करने के बारे में ही बात करूं। जिन लोगों ने यह सोचा हो कि मैं इस विषय पर बात करने वाला हूं कि अमेरिका में और अमेरिकी ब्याज दर के बारे में क्या होने जा रहा है, तो यह बात कहीं और की जा रही होगी। यहां पर हम लोगों में से उन लोगों के एकदम नीरस और अत्यधिक उकताने वाले जीवन के बारे में बात की जाएगी जो आंकड़े एकत्र करने के लिए समर्पित हैं। इस प्रसिद्ध व्याख्यान माला में भाषण देना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। आपका आमंत्रण मैंने विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया है।


इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक में आने का यह मेरे लिए तीसरा अवसर है, किंतु पहली बार है जब क्रिकेट का विश्व कप नहीं देखा जा रहा है और मैं इस बात से थोड़ा दुखी हूं। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 2023 में, जब क्रिकेट विश्व कप सचमुच खेला जाएगा, मैं यहां आऊं। और हां, इस बारे में कोई बहाना नहीं चलेगा।

अब, मैं मुझे अनुसंधानकर्ता के रूप में परिभाषित करने वाली विशेषताओं में से एक को मान्यता प्रदान करते हुए शुरुआत करना चाहूंगा। मुझ पर मापन का जुनून सवार है। मैंने अपनी जिंदगी के विगत 17 वर्ष मापन के बारे में विचार करते हुए गुजारे हैं। क्यों ? प्राथमिक रूप से इसका कारण यह है कि मैं यह महसूस करता हूं कि हम यह कार्य बहुत खराब ढंग से करते हैं।

* द्वितीय सुरेश तेंदुलकर स्मृति व्याख्यानमाला के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में 02 अगस्त 2018 को प्रोफेसर रॉबर्टो रिगोबॉन, एमआईटी स्लोआन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, कैंब्रिज, मैसाचुएट्स, यूएसए का भाषण। इसमें व्यक्त मत एवं विचार सिर्फ लेखक के हैं।

मैं, यह बात और स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा। स्लोआन में मेरी कक्षाओं में हम सामाजिक भलाई तथा मापन संबंधी अपनी समस्याओं से जुड़े मुद्दों के पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रणाली (फ्रेमवर्क) का उपयोग करते हैं। इस प्रणाली को हम पीआरओएमआईएस (प्रॉमिस) कहते हैं। इसमें प्रॉमिस से तात्पर्य यह होता है - व्यक्तिगत (पी), संबंध (आर), संगठन (ओ), बाजार (एम), संस्थान (आई), सामाजिक एवं राजनीतिक (एस) एवं पर्यावरण (ई)। जब आप इनके बारे में विचार करते हैं तो पाएंगे कि किसी भी समाज में भलाई का आकलन करने के वक्त ये सभी आयाम महत्वपूर्ण होते हैं। हम किसी को भी भूलकर यह बहाना नहीं कर सकते कि सब कुछ ठीक है।

हम किसी विशिष्ट पहलू को वहनीय बनाने वाले सिद्धांतों को समझने के फ्रेमवर्क का प्रयोग करते हैं, यह इसके अनुप्रयोगों में से एक है। उदाहरण के लिए, प्रदूषण के संदर्भ में हम प्रणाली में डाले गए प्रदूषण के उससे हटाए जा सकने वाले प्रदूषण की तुलना में कम होने की स्थिति को पसंद करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण अनुप्रयोग मापन विधि की गुणवत्ता को विशेषरूप से दर्शाना है।



पी	• व्यक्तिगत (पर्सनल)
आर	• संबंध (रिलेशनशिप)
ओ	• संगठन, फर्म एवं रोजगार (ऑर्गनाइजेशन, फर्म एंड जॉब्स)
एम	• बाजार एवं अर्थव्यवस्था (मार्केट्स एंड इकोनॉमी)
आई	• संस्थान (इंस्टीट्यूशन्स)
एस	• सामाजिक एवं राजनीतिक (सोसियल एंड पॉलिटिकल)
ई	• पर्यावरण (इन्वायरमेंट)

जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरा मानना है कि मापन के संबंध में हम बहुत भयानक कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, हम संबंधों की गुणवत्ता की माप नहीं करते हैं। ऐसा अधिकांशतः उनके टूट जाने पर। हम अपनी श्रम शक्ति (अथवा उनके मनोबल) के संतुष्टि स्तर की माप नहीं करते हैं, अधिकांशतः उनके निराश होने या काम छोड़ने पर अथवा उनके श्रम अदालतों में शिकायतें दर्ज कराने की स्थिति में होता है। हम इसकी माप नहीं करते हैं हमारा समाज कितना निराश है, उनके विद्रोह करने पर ही इसका पता चलता है। हम किसी विशिष्ट झील पर पड़ने वाले प्रभाव की माप नहीं करते हैं, अधिकांशतः झील को खो देने पर। हम ड्रग्स की खपत की माप नहीं करते हैं, हम सिर्फ ड्रग्स की अधिक खुराक से परेशानी झेल रहे लोगों की गणना करते हैं। बेशक, आर्थिक परिणामों की गणना उनमें से है जिनकी माप हम बेहतरीन ढंग से करते हैं, किंतु जैसे ही हम विशुद्ध रूप से बाजार के परिणामों से इतर जाते हैं, माप की गुणवत्ता खराब होती जाती है।

मेरा मानना है कि "खराब" माप की पाँच विशेषताएँ होती हैं : हम मापन **विलंब से, विषम बारंबारता** पर करते हैं। तकरीबन हमेशा हम **पराकाष्ठा की स्थिति के व्यवहार** पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसमें हमारा आकलन अपनी **मान्यता** पर आधारित होता है, और गलत **सांख्यिकी** दिमाग पर हावी होती है। इसलिए, मैं मानता हूँ कि अगर हम सही निर्णय लेते हैं तो यह अधिकांशतः चमत्कार ही होता है - यह इस बात का प्रमाण है कि कोई दैवीय शक्ति हमारा संरक्षण कर रही है।

उदाहरणार्थ, नारी सशक्तिकरण की माप हम कैसे करते हैं ? हम नारियों की संख्या गिनते हैं या यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या की गणना करते हैं। पहला, दर्ज किए गए "यौन उत्पीड़न के मामले"? लंबे समय से यही परिभाषा है। दूसरा, उनकी गणना अदालत के मामले के सार्वजनिक हो जाने के बाद (यदाकदा) करना। तीसरा, यौन उत्पीड़न शत्रुतापूर्ण माहौल के पराकाष्ठापूर्ण स्थिति होती है। चौथा, हम सिर्फ उन मामलों पर ध्यान देते हैं, जो सुर्खियाँ बनते हैं - क्या आपने महाविद्यालयों के उन मामलों के बारे में सुना है जो 2015 में अनियंत्रित संख्या में थे ? क्या आपने हाल ही में किसी मामले के बारे में सुना है ? 2018 का कोई भी मामला मेरे ध्यान में नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि अब कोई समस्या है ही नहीं अथवा बात यह है कि समाचार पत्रों का रुख हॉलीवुड के अनैतिक आचरणों की तरफ हो गया है ? अंततः, सिर्फ अदालती मामलों पर ध्यान केंद्रित करने से हम यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि अपेक्षाकृत कम मामले घटित हों, किंतु अधिकांश नारियों को जिस शत्रुतापूर्ण माहौल में जीवन यापन करना पड़ता है उसे परिवर्तित करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे होंगे।

मेरा अनुसंधान यह समझने की कोशिश है कि मापन की समस्या को प्रॉमिस के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते

हुए कैसे कम करें। यह एक व्यापक एवं अस्पष्ट कार्य है, और संभवतः जीवन काल में यह समाप्त भी नहीं होगा। यहां पर, मैं कम से कम उन बातों का प्रदर्शन करना चाहूंगा जो हम कर सकते हैं।


संबद्ध का अपूर्ण मापन

मैं उन सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए शुरुआत करना चाहूंगा जिनकी हम मैसाचुएट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में मापन के लिए तलाश कर रहे हैं - मैं इन्हें 'आधुनिक मापन' की आधारशिला (पिल्लर) कहता हूँ। पहली बात कि आंकड़ों के संग्रह के बारे में दो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं : प्रथम सिद्धांत यह है कि यथा समय सूचक तैयार करने के लिए हमें निरंतर मापन की जरूरत होती है। दूसरा, आंकड़ा संग्रह अनुचित हस्तक्षेप रहित, या कम से कम यथासंभव अनुचित हस्तक्षेप रहित होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि आंकड़ों का संग्रह इलेक्ट्रॉनिक रूप में होने की बहुत संभावना है। आंकड़ों के संग्रह का यह एक मात्र रूप है जिसमें हम न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ तेजी से आंकड़े एकत्र कर सकते हैं। अगले दो सिद्धांतों का संबंध सूचकों के प्रसार से है : पहला, कार्यप्रणालियाँ खुले स्रोत के रूप में होनी चाहिए, और माप किए जाने वाले व्यक्तियों, फर्मों तथा समुदायों को इसमें होने वाली गड़बड़ियों या इस संबंध में अपील करने की स्पष्ट और खुली प्रक्रिया उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा, आंकड़े जारी करने में निजता के संरक्षण की जरूरत होती है। चूंकि अभी हमारी सांख्यिकी काफी विलंब से तैयार की जाती है हमें यदाकदा ही महसूस होता है कि आंकड़ों का समेकन निजता के संरक्षण के लिए पर्याप्त है। हालांकि, जैसे ही आंकड़े लगभग वास्तविक समय पर जारी किया जाने लगेगा, निजता संरक्षण के लिए समेकन पर्याप्त नहीं होगा। निजता संरक्षण के लिए अन्य बेहतर प्रक्रियाओं को अपनाया जाना होगा। ये चार सिद्धांत हमें आधुनिक मापन की अंतिम विशेषता की ओर ले जाते हैं, जो यह है कि अपनी संरचना के अनुसार वे अपूर्ण ही रहने वाले हैं।

मैं परेशान नहीं हूँ। मैं सचमुच यह मानता हूँ कि किसी संबद्ध की अपूर्णता के साथ माप करना असंबद्ध की पूर्णता के साथ माप करते रहने से बेहतर है।

माप के इस नए सिद्धांत को साकार रूप देने के क्रम में हमें आंकड़ों के नए स्रोतों की ओर संभवतः नई प्रक्रियाओं की जरूरत है। बॉब ग्रोव्स (अमेरिकी जनगणना के पूर्व प्रमुख) के अनुसार आंकड़ों के दो व्यापक स्रोत होते हैं : इरादे के अनुसार बनाए गए (डिजाइन्ड) आंकड़े और मूलभूत (ऑर्गेनिक) आंकड़े। इनमें से दूसरे को अधिकांश लोग 'बिग डाटा' कहते हैं। इसलिए मेरा विचार है कि पहले वाले को स्माल डाटा कहा जाना चाहिए।

इरादे के अनुसार बनाए गए (डिजाइन्ड) आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो सर्वेक्षणों और प्रशासनिक रिकॉर्डों से लिए जाते हैं। सर्वेक्षणों का कोई उद्देश्य होता है या उसके प्रश्न



होते हैं, और प्रश्नावली इस प्रकार तैयार की जाती है कि इन प्रश्नों के उत्तर से आंकड़े जुटाए जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, प्रशासनिक रिकॉर्ड सर्वेक्षण का एक रूप होते हैं। जनगणना एक सर्वेक्षण है, वित्तीय विवरण सर्वेक्षण होते हैं, कर प्रपत्र सर्वेक्षण होते हैं, इत्यादि। उन सभी के अलग-अलग उद्देश्य होते हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं : देश में व्यक्तियों की संख्या की गणना करना, फर्मों की वित्तीय स्थिति की तुलना करना और उसे समझना, तथा किसी व्यक्ति या फर्म की कर देयता समझना। हम व्यक्तियों और फर्मों को एक विशिष्ट तरीके से जानकारी भरने को कहते हैं, और तब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जानकारी तैयार करता है, जिसे देश में साझा किया जाता है। अंततः, इरादे के अनुसार बनाए गए (डिजाइन्ड) आंकड़े के निम्नलिखित लाभ होते हैं - ये प्रतिनिधि आंकड़े होते हैं, छोटे प्रतिदर्श चयन की समस्याएं होती हैं, इन्हें बेहतर ढंग से समझा जाता है, और इसलिए यह स्पष्ट होता है कि इनमें सुधार कैसे करें। इसकी बारंबारता नहीं होने के कारण इसमें निजता के संरक्षण की प्रवृत्ति होती है। दूसरी ओर, नुकसानपूर्ण स्थिति यह होती है कि आंकड़ों का संकलन महंगा पड़ता है और यह कि सर्वेक्षण बहुत अधिक अनुचित हस्तक्षेपकारी होते हैं - हस्तक्षेप इतना अधिक होता है कि हाल के दशकों में जवाब देने की दर घट रही है और लोग इन सर्वेक्षणों को इस कदर बोझ मानने लगे हैं कि आवश्यक नहीं है वे सच्चाई पूर्वक जवाब दे रहे हों। जनगणना में अभी-अभी शामिल किया गया नागरिकता से जुड़ा प्रश्न इसका एक उदाहरण है। वाणिज्य विभाग से एक चुक हुई और उसके अनुपात में हमें 2020 की जनगणना में अधिक संख्या में बुरे जवाबों का सामना करना पड़ेगा। समय और प्रयासों का यह कैसा अपव्यय है ?

मूलभूत (ऑर्गेनिक) आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो लोगों को इस बात का भान कराए बिना तैयार किए जाते हैं कि वे सर्वेक्षण का हिस्सा हैं। इनका संबंध निम्नलिखित से हो सकता है - आपके फोन में जीपीएस, वेब में आपकी सर्च, आपके नेटवर्क में दोस्त इत्यादि। प्रत्येक बार, जब भी कोई व्यक्ति इनमें से किसी माध्यम से कार्य करता है, वह व्यक्ति स्वयं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। उदाहरण के लिए, ऐसा यदा कदा ही होता है कि लोग विकिपीडिया में ऐसे ही कोई प्रश्न पूछते हों। आमतौर पर लोगों की रुचि जवाब में होती है। इसका मतलब यह है कि विकिपीडिया में की जाने वाली प्रत्येक सर्च, सर्च करने वाले व्यक्ति के बारे में विकिपीडिया कुछ बता देता है। उनके व्यक्तित्व के किसी छोटे पहलू के बारे में कुछ जानकारी देता है। जब आप किसी मूवी की पूरी देखते हैं, तो नेटफ्लिक्स जान जाता है कि आप या आपके घर में कोई उस तरह की मूवी में रुचि रखते हैं। पुनः, आपके रुझानों के बारे में छोटी कितु उपयुक्त जानकारी के बारे में पता चलता है।

दूसरे शब्दों में, जैसा कि सैंडी पेंटलैंड कहते हैं, इन संपर्कों के साथ हम अपनी पसंद के बारे में अवशेष छोड़ते जाते हैं। इस प्रकार से, अवशेषों को एकत्र करते हुए हम व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। अंत में उस व्यक्ति के बारे में थोड़ी बातें जान सकते हैं। यह एक सर्वेक्षण की तरह है, किंतु व्यक्ति को यह पता नहीं चलता की उस पर सर्वेक्षण किया जा रहा है !

वस्तुतः, मूलभूत (ऑर्गेनिक) आंकड़े का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे गैर-बाधाकारी हैं और आंकड़े तैयार करने के संबंध में व्यक्ति की सच्चाई बचायी जाती है। हम

अपने जीपीएस से या गूगल से झूठ नहीं बोलते हैं, या नेटफ्लिक्स से गड़बड़ी की कोशिश नहीं करते हैं। हम अपने जीवन से संबंधित सच्चे अवशेष छोड़ जाते हैं। आंकड़ों के सभी स्रोतों के मामले में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए, फेसबुक में लोग अपनी पहचान नहीं दर्शाते हैं, बल्कि यह दर्शाते हैं कि वे कैसे होना चाहेंगे। फिर भी, यह व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं के बारे में जानकारी तो देता है, किंतु यह नहीं पता चलता कि वे क्या हैं। अतः, सत्यता में अंतर होता है जो उनकी आकांक्षाओं की तीव्रता बनाम आंकड़ों के स्रोत में बदलाव करने के अनुसार बदलती रहती है। हालांकि, मूलभूत आंकड़ों की मुख्य समस्या उनके प्रतिनिधि होने और प्रतिदर्श चयन से संबंधित है। वेब पेजों में सभी लोग बराबर से सहभाग नहीं देते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि आंकड़ों के अनुमानों और निष्कर्ष निकालना मुश्किल होता है। इसके अलावा, अनुमानों के भेदभावपूर्ण होने की संभावना है तथा ये मॉडल अस्थिर एवं अनिश्चित होंगे।

मेरा मानना है कि परिमाण, वेग एवं विविधता अपने आप में अप्रासंगिक होते हैं, इसे नोट किया जाए। वे तभी सार्थक होते हैं जब किसी प्रासंगिक प्रश्न का उत्तर ढूँढने के लिए उनका प्रयोग किया जा सके। दूसरे शब्दों में, आंकड़ों के आकार से अनुमान की त्रुटि कम हो जाती है, किंतु अभिन्न त्रुटि को कम नहीं किया जा सकता। अतः, अनुसंधानकर्ता गलत बातों का अधिक सटीकतापूर्वक अनुमान करते रहते हैं। पुनः, प्रतिनिधिक होने अथवा प्रतिदर्श चयन की कमी की समस्या आदर्श अनिश्चितता को प्रथम श्रेणी का मुद्दा बना देती है। इसलिए, "बिग डाटा" - या मूलभूत डाटा जैसा कि मैं इसे कहना पसंद करता हूँ, के संबंध में कार्य करना सिर्फ सटीकता की समस्या को सुलझाता है। गलत विवरण, आदर्श अनिश्चितता, और आदर्श अस्थिरता के कारण पूर्वाग्रह और अधिक बढ़ जाता है।

दो निष्कर्ष : पहला, किसी भी प्रकार का आंकड़ा पूर्ण नहीं होता है, इसलिए मैं मानता हूँ कि भविष्य में आंकड़ा संग्रह की कार्यप्रणाली एक संकर उपागम को अपरिहार्य बनाती है। हमें डिजाइन किए हुए आंकड़ों को लेते हुए इसे ऑर्गेनिक आंकड़ों से एकीकार करने की जरूरत है, ताकि स्माल डाटा के साथ बिग डाटा में बेहतर लाई जा सके। दूसरे शब्दों में, बिग डाटा से उत्पन्न पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए स्माल डाटा का प्रयोग करें। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले कहा, किसी संबद्ध बात की अपूर्णतापूर्वक माप करना किसी असंबद्ध बात की पूर्ण माप करने से कहीं बेहतर है।

मैं इस चर्चा में ऐसे तीन उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जो इस संबंध में होंगे कि हम मापन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और ऐसा करने के लिए हम आंकड़ों के स्रोतों को एकाकार कर रहे हैं।

बिलियन मूल्यों की परियोजना

बिलियन मूल्य की परियोजना का उद्देश्य महंगाई की वैकल्पिक माप की गणना करना है। दैनिक महंगाई दरों की गणना करने के लिए हम इंटरनेट से प्राप्त मूल्य के आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। 'वेबस्क्रेपिंग' नामक प्रक्रिया का इस्तेमाल करना हमने 14 वर्ष पहले प्रारंभ किया था। सामान्य शब्दों में, वेबस्क्रेपिंग का उद्देश्य मानक वेब पेज में दर्शाई गई जानकारी को लेते हुए उसे डाटाबेस के रूप में व्यवस्थित करना है। कृपया जेईपी में हमारे लेख (अलबर्टो कैवाल्लो के साथ) का अवलोकन करें, जिसमें हमने सूचकांकों के तैयार किए जाने के विवरण का उल्लेख किया है।

हम लोगों ने खाद्य स्फीति पर कार्य 2006 में प्रारंभ किया। आज की स्थिति में वेब पर बहुत से क्षेत्रों का बहुत बढ़िया प्रतिनिधित्व है और हमारे कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक विस्तार हुआ है। वस्तुतः, 2016 में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स द्वारा जिन 26 देशों में यह सर्वेक्षण किया जा रहा था, उन्होंने ऑनलाइन खरीद पर दिलचस्पी दिखाई है। परिमाण की दृष्टि से आज की स्थिति में इसकी दखल 10 वर्ष पूर्व की हमारी स्थिति के तुल्य है। नीचे दी गई तालिका में सभी देशों में प्राप्त उत्तरों का सारांश प्रस्तुत किया गया है, और प्रश्न यह है कि वे खरीद किस जगह पर करना पसंद करेंगे। मैंने इस जानकारी के ढंग को बहुत रोचक पाया। उनके पास जानकारी देश वार उपलब्ध है।

जानकारी की गणना हेतु हमें दो प्रकार की सूचना की आवश्यकता होती है : मूल्य और बास्केट। बास्केट उन भारों (वेट्स) का संग्रह है जो देश के उपभोग समूहों (बंडल) का प्रतिनिधित्व करने के मन्तव्य के साथ तैयार किया जाता

ऑनलाइन बनाम इन-स्टोर खरीद को प्राथमिकता

ऑनलाइन		इन-स्टोर
60%	पुस्तकें, संगीत, फिल्में एवं वीडियो गेम	28%
39%	खिलौने	37%
43%	उपभोग की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं एवं कंप्यूटर	51%
36%	खेल-कूद के उपकरण/आउटडोर	44%
37%	स्वास्थ्य एवं सौंदर्य (प्रसाधन सामग्री)	47%
40%	पहनने के कपड़े एवं फुटवियर	51%
32%	आभूषण/घड़ियां	49%
33%	हाउसहोल्ड उपकरण	56%
30%	डीआईवाई/भवन सुधार	52%
30%	फर्नीचर एवं घरेलू सामग्री	59%
23%	किराने का सामान	70%

है। सांख्यिकी कार्यालय भारों का एकत्रण उपभोक्ता सर्वेक्षणों के माध्यम से करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि टमाटरों, प्याजों, आवास, शिक्षा, आईफोनों पर कितना व्यय किया जाता है। उनके यह समझने के बाद कि उन मूल्यों को भार किस तरह से प्रदान किया जाना चाहिए, वे प्रत्येक माह (अधिकांश देशों में) आंकड़े एकत्र करते हैं और बास्केट की लागत में परिवर्तन की गणना करते हैं।

कीमत तो ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर्स से एकत्र की जा सकती हैं। हालांकि, ऑनलाइन डाटा संग्रह के प्ररप्रेक्ष्य में तीन प्रकार के क्षेत्र हैं - वे क्षेत्र जिनके बारे में उपलब्ध ऑनलाइन जानकारी भयावह है; वे क्षेत्र जिनके बारे में ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी प्रतिनिधिक है और सांख्यिकी कार्यालय द्वारा एकत्र भार उपभोक्ता बास्केट के अनुमान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराते हैं; और वे क्षेत्र जिनके बारे में ऑनलाइन उपलब्ध आंकड़े ऑफलाइन की तुलना में काफी बेहतर हैं, ऐसा विशेष रूप से खरीदे गए उत्पादों की संरचना के संबंध में जानकारी के मामले में है।

उदाहरण के लिए, शिक्षा के मामले में ऑनलाइन एकत्र की गई जानकारी भयावह है। सिर्फ निजी ट्यूशन एवं शिक्षा की लागत को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, यथा गणवेश एवं पुस्तकों की जानकारी ही ऑनलाइन एकत्र की जा सकती है। खाद्य क्षेत्र दूसरे प्रकार के क्षेत्र का उदाहरण है। टमाटरों और प्याजों के बीच हिस्से का एकत्रण सांख्यिकी कार्यालय द्वारा काफी अच्छा किया जाता है। अतः, इनमें भार का अनुमान उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़ों के आधार पर लगाया जाता है। खाद्य क्षेत्र में, बहुत से देशों में ऑनलाइन उपलब्ध कीमतें बहुत प्रतिनिधिक होती हैं। मदवार मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए हम वेब से दैनिक कीमतें ले सकते हैं और आधिकारिक भारों का प्रयोग करते हुए उनका समूहन कर सकते हैं। अंततः, इलेक्ट्रॉनिक्स तौसरे प्रकार का उदाहरण है। आईफोन एक्स और 8 पहले से बाजार में उपलब्ध हैं और अधिकांश सांख्यिकी कार्यालय अभी भी आईफोन 7 की जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। हमें इन क्षेत्रों में बास्केटों की गणना करने और ऑनलाइन स्रोतों से मूल्य एकत्र करने की आवश्यकता है।


जिन क्षेत्रों के बारे में हमारे पास बैड डाटा ही उपलब्ध हैं, हम दैनिक आधार पर अनुमान लगाते हैं कि सांख्यिकी कार्यालय से क्या रिपोर्ट किए जाने की संभावना है - इसलिए, यह वेब में उपलब्ध दैनिक मूल्यों का प्रयोग करते हुए अनुमान लगाने की गतिविधि है। दूसरे प्रकार के क्षेत्रों के लिए हम कीमतें एकत्र करते हैं और उसके बाद आधिकारिक भारों का प्रयोग करते हैं (ये सबसे सरल होते हैं)। तीसरे प्रकार के क्षेत्र के लिए हम वेबपेजों में दर्शाई गई सूचना का प्रयोग करते हुए भारांक का अनुमान लगाते हैं - निश्चितरूप से यहां पर विशिष्ट प्रकार की त्रुटि की शुरुआत होती है।


हमारी मुद्रास्फीति सूचियां आधिकारिक सूचियों के समान नहीं होती हैं। उनके अलग-अलग होने के बहुत से कारण हैं। दो बहुत अंतर्दर्शी स्रोत हैं : पहला, ऑनलाइन

और ऑफलाइन बाजार भिन्न-भिन्न हैं और इसलिए अल्प समयान्तराल में मुद्रास्फीति एक समान नहीं होना चाहिए। संभव है कि दीर्घवधि में ये समान हों, किंतु महीना दर महीना की बारंबारता में तो निश्चितरूप से ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन उपभोक्ताओं के अधिक धनवान और कम धैर्यवान (कम उम्र वाले) होने की प्रवृत्ति होती है, और ऑनलाइन बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति भी होती है। दूसरा, हमारी प्रक्रिया भी भिन्न होती है - इसलिए मुद्रास्फीति दरें अलग-अलग होना आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिए। हालांकि, 14 वर्षों से हम दैनिक मुद्रास्फीति दरों की गणना करते आए हैं, किंतु उनका आधिकारिक दरों के बहुत करीब होना बहुत उल्लेखनीय रहा है।

अगले तीन ग्राफों में, नारंगी रेखा आधिकारिक सांख्यिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) को और नीली रेखा ऑनलाइन दैनिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को दर्शाती है। यूएस और यूके को देखें तो हम पाएंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मुद्रास्फीति एक दूसरे के बहुत करीब हैं।

सभी देशों में ऐसा नहीं दिखाई देता है। हम लोगों ने अर्जेंटीना में 2007 में शुरुआत की क्योंकि सांख्यिकी कार्यालय में 2006 में हस्तक्षेप किया गया। उस समय के दौरान हमारी विसंगतियां बहुत अधिक थीं। 9 वर्षों की आधिकारिक संचयी मुद्रास्फीति 120 प्रतिशत है, किंतु हमारे आंकड़े इसे 640 प्रतिशत दर्शाते हैं। रोचक बात है कि मई





2016 से, जब से सांख्यिकी कार्यालय ने बिना किसी जोड़-तोड़ के मुद्रास्फीति की गणना प्रारंभ की है, आधिकारिक और ऑनलाइन मुद्रास्फीति काफी करीब रही हैं (इस ग्राफ में आधिकारिक सोपीआई को हमें पुनः सामान्य बनाने की आवश्यकता पड़ी ताकि मई 2016 में इसे ऑनलाइन स्फीति के अनुरूप बनाया जा सके - हालांकि, पुनः सामान्य बनाए जाने के बाद दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं)। 120 बनाम 640 प्रतिशत ! यह जोड़-तोड़ का वह आकार है जिसके अंतर्गत किर्चनर सरकार ने उनके नागरिकों पर करारोपड़ किया। मजदूरी को आधिकारिक मुद्रास्फीति के साथ सूचीबद्ध किया गया है, पेंशन को आधिकारिक मुद्रास्फीति के साथ सूचीबद्ध किया गया है किंतु जीवन यापन के मानक वास्तविक महंगाई से प्रभावित होते हैं। 500 प्रतिशत का स्वामित्वहरण पूर्णतः झूठ पर आधारित है। मुझे खुशी है कि नई सरकार ने केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया।

अर्थव्यवस्था के हालात तीव्रतापूर्वक तक काफी परिशुद्धता से जानने के लिए ऑनलाइन कीमतों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, ऑनलाइन कीमतों में ऑफलाइन कीमतों की तुलना में तेजी से परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है (बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी है) और इसलिए ऑनलाइन माध्यम को आधिकारिक सूचनाओं के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। विकसित देशों में 2 से 3 महीनों का पूर्वानुमान लगाया जाता है, जबकि उभरते बाजारों में लगभग 1 से 2 महीने का ही अनुमान लगाया जाता है।

हम लोग लगभग 20 देशों के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़े तैयार करते आए हैं। और यह घोषित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस वर्ष के अंत तक हम भारत की मुद्रास्फीति की गणना भी करने लगेंगे।

थाउजेंड बिग मैक इन्डैक्स

मैं दूसरी परियोजना का रुख करना चाहूंगा : वास्तविक विनिमय दर या क्रय शक्ति साम्यता (पीपीपी) के मापन की कोशिश करना।


पीपीपी के मामले के दो मानक हैं। एक तो विश्व बैंक (डब्लूबी) का बड़ा प्रयास है जो पीपीपी के अनुसार समायोजित माप तैयार करने के लिए 105 सांख्यिकीय अधिकारियों को एक साथ काम पर लगाए हुए है। और हमारे पास द इकोनॉमिस्ट का बिग मैक इन्डैक्स है जो संभवतः अब तक तैयार की गई सबसे आसान सांख्यिकी है। निराशा की बात है कि विश्व बैंक की नज़र में द बिग मैक महज पीपीपी के समान ही है।

बिग मैक इन्डैक्स की आलोचना करने के बारे में बहुत सी बातें हैं। इसके बारे में आपकी राय से इतर, इसकी सरलता बहुत बेहतरीन है। यह पूरे संसार के लिए एक समान है। मुझे पता है कि अब इसका इस्तेमाल कोई नहीं करता, किंतु यह वही पुराना इन्डैक्स है। डब्लूबी डाटा में एक समान मर्दों का मिलान करना बड़ी समस्या रही है। डब्लूबी का लाभ यह है कि इसमें एक से अधिक मर्दें होती हैं। परन्तु इसकी लागत और जटिलता के कारण इसको समझना और कठिन हो जाता है, और इससे भी खराब बात यह है कि इन कारणों से यह अप्रासंगिक भी हो सकते हैं।

अलबर्टो कैवालो और मैं ने इन दो सूचकांकों के बीच किसी सूचकांक तैयार करने का निर्णय लिया। हमारा उद्देश्य दुनिया भर के उन एक समान उत्पादों की तुलना करना, जिनकी सक्रियतापूर्वक खरीद की जा रही हो, और सूचकांक का आधार एक से अधिक मद को बनाना था।

यह हम कैसे करते हैं ? वेबपेजों में उपलब्ध एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आईडी की मद से संबंधित है। उसी खुदरा विक्रेता (वेबपेज) के लिए आईडी की मद से संबंधित उत्पाद की विशिष्ट जानकारी सभी विभिन्न भौगोलिक स्थानों, अर्थात् देशों के संबंध में उपलब्ध होती है। यह यूपीसी या बारकोड कोड से बेहतर है क्योंकि वे कोड देश विशेष से संबंधित हैं। वस्तुतः ये भाषा विशेष से संबंधित हैं - कनाडा में कोक की किसी बोतल का यूपीसी भिन्न : या तो फ्रांसीसी या अंग्रेजी में, होता है जो पैकेजिंग पर निर्भर होता है। स्टोर्स इन मर्दों की आईडी का प्रयोग अपनी आपूर्ति शृंखला के प्रबंधन में करते हैं, और इसलिए एक समान मर्दों को ऐसा ही - एक समान- मानते हैं, चाहे किसी में क्रिसमस का लेबल लगा हो या दूसरे में नहीं लगा हो। हम इन मर्दों की आईडी से दुनिया भर की हजारों मर्दों का मिलान और उनकी तुलना कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, पारदर्शिता के संदर्भ में धरती पर उपलब्ध दो सबसे बेहतरीन वेबपेज ज़ारा और एचएंडएम हैं। मैं उनके उत्पाद पसंद भी करता हूँ। पुरुषों के लिए, फास्ट




फैशन, यंग, जैकेट, डेनिम जैसी चीजों के लिए हम सामानों की खोज दो अलग-अलग देशों के स्टोर्स में भी कर सकते हैं (मैंने यहां पर यूएस को बाईं ओर तथा यूके को दाईं ओर दिखाया है)। हम लोगों ने कर को अलग किया और मूल्यों के अनुपात की गणना की। यह एचएंडएम जैकेट की अंतर्निहित सांकेतिक विनिमय दर होती है। प्रत्येक मद के संबंध में ऐसा करने के बाद हम उन हजारों उत्पादों पर काम करते हैं, प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उनका भार तय करते हैं और देश के संबंध में सूची तैयार करते हैं। देखिए, द बिग मैक इंडेक्स का नया वर्धित रूप आपके समक्ष है।

इस सूचकांक की बहुत सी विशेषताएं हैं। इसका कोई रखरखाव नहीं करना पड़ता, इसमें एक भी गैर-व्यापार योग्य उत्पाद नहीं है, और लगभग सभी सामानों का व्यापार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसके अलावा, ये मदें वे हैं जो लोग सचमुच में खरीदते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों, निजी देखभाल की वस्तुओं, गैसोलिन इत्यादि पर विचार करें। हमारी सूची में इन मदों को शामिल किया गया है।

मैं, नीचे दिए गए आरेख में यूके-यूएस के सूचकांकों को दर्शा रहा हूं। बैंगनी रेखा सांकेतिक विनिमय दर (वित्तीय

सांकेतिक विनिमय दर बनाम पीपीपी



बाजारों से) है, जिसमें गिरावट मूल्यहास को इंगित करती है। हरी रेखा तुलनात्मक मूल्यों (यूएस को यूके से विभाजित किया गया) को इंगित करती है। इसलिए, नीचे की ओर जाने का तात्पर्य इस एक समान व्यापार योग्य उत्पाद समूह के लिए यूके में महंगाई दर अमेरिका में महंगाई दर की तुलना में अधिक है।

दो बातें महसूस करने की हैं। पहली, ब्रेक्सिट के पहले यह उल्लेखनीय है कि दोनों रेखाओं में किस प्रकार समानता है। वस्तुतः, यह बताना मुश्किल है कि किस बात का कारण क्या है उस समय विनिमय दर में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव (10 प्रतिशत से अधिक) हो रहे थे और खुदरा विक्रेताओं ने उन प्रवृत्तियों का करीब से अनुसरण किया। दूसरी, रोचक ढंग से वह पैटर्न ब्रेक्सिट के समय बदल गया।

दाईं ओर दर्शाया गया आरेख ब्रेक्सिट के मतदान के बाद की महज सूचियां हैं। काफी अधिक मूल्यहास हुआ है (जून में ब्रेक्सिट मतदान होने, और अक्टूबर में थेरसा के यह कहने के बाद कि वह धारा 50 को लागू करने जा रही हैं) किंतु यूके के खुदरा विक्रेता यूएस की तुलना में अधिक तेजी से मूल्य नहीं बढ़ाते हैं। आखिर क्यों ? इसकी दो व्याख्या संभव हैं : या तो उपभोक्ताओं में मुद्रास्फीति के संदर्भ में परिणामों की बहुत अधिक जागरूकता थी और वे कीमत वृद्धि (टोब्लेरोन का मामला इसका प्रमाण है) को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं थे या मांग इतनी कम थी कि मूल्य वृद्धि होने पर मांग बनी नहीं रह सकती थी। दोनों ही मामलों में बड़ा अंतराल तैयार होता है। आयात योग्य सामान (इनमें से अधिकांश वस्तुएं आयातित हैं) की मांग

अपेक्षाकृत कम रहने के कारण चालू खाते में सुधार होने की जरूरत है (जो सचमुच में हुआ) और सांकेतिक विनिमय दर में सुधार होना ही चाहिए (जो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ऐसा हुआ)। यहां पर हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ यूएस की तुलना में यूके में आयात के लिए समग्र मांग की स्थिति की माप कर रहे हैं। यह होता है, और अधिकांश आर्थिक मॉडल यह भविष्यवाणी करेंगे कि मांग में इस तरह के परिवर्तन का चालू खाते एवं विनिमय दर पर प्रभाव पड़ने की आवश्यकता होती है।


हमारे पास अभी तक सिर्फ नौ देश ही हैं, किंतु और देश इसमें शामिल होंगे।


समग्र अव्यवस्था परियोजना (कन्फ्यूजन प्रोजेक्ट)

अंततः, मेरी नई परियोजना फर्मा के नैतिक व्यवहार की माप के संबंध में है : इसे समग्र अव्यवस्था परियोजना कहा जाता है और यह कार्य जूनिअनकोइल्बेल एवं फ्लोरिअन बर्ग के साथ संयुक्त कार्य है। यह महज शुरुआत है (2 से 3 वर्ष हो रहे हैं) ।

एक दशक से अधिक समय से, वित्तीय बाजारों की रुचि पर्यावरणीय, सामाजिक एवं अभिशासन (ईएसजी) के बहुत से पहलुओं का फर्मा पर पड़ने वाले प्रभाव का समझने में रही है। कारण यह है कि निवेशक यह चाहेंगे कि उनके निवेशों का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। इसके कारण फर्मा के बर्ताव की माप करने के मन्तव्य के साथ डाटा उपलब्ध कराने वालों के विस्तार की शुरुआत हुई है।

हालांकि, डाटा उपलब्ध कराने वालों ने अविश्वसनीय ढंग से एकरूप रेटिंग तैयार किया है। उदाहरण के लिए, नीचे





दिए गए रेखा-चित्र में हम यह दर्शाए हैं कि ईएसजी की शीर्ष दस रेटिंग एजेंसियों में से दो एजेंसियों द्वारा उसी फर्म को रेटिंग दी गई है। जैसा कि देखा जा सकता है, सहसंबंध धनात्मक है हालांकि यह बहुत कम है (30 प्रतिशत से कम)।

असंगति का स्रोत क्या है ? इस उद्देश्य के लिए, हम लोगों ने कच्चे आंकड़े बहुत सी रेटिंग एजेंसियों से लिया तथा उनकी रेटिंग प्रक्रिया पर विपरीत दिशा में कार्य किया। हम लोगों ने तीन स्रोतों में गलतियों को सुधारा। पहला, उन विशेषताओं का वर्गीकरण किया जिनकी माप की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, जल प्रबंधन, श्रमिक प्रथाएं, महिलाओं का सशक्तिकरण, बोर्ड की संरचना इत्यादि / इसके बाद, हम लोगों ने श्रेणियों अथवा विशेषताओं के विभिन्न संकेतक निर्धारित किया। पहला कदम उन संकेतकों के बीच असंगति को समझना था, जो उन विशेषताओं को समाहित करते हैं। हम लोग इसे 'माप की त्रुटि' कहते हैं। एक बार साझा विशेषताओं की तुलना कर लेने के बाद हम लोगों ने यह नोट किया कि रेटिंग एजेंसियां विभिन्न विशेषताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं। यह संभव है कि कोई रेटिंग एजेंसी किसी एक विशेषता की भी माप नहीं करती हो। बेशक, इसके कारण असंगति उत्पन्न होती है। इस स्रोत को हम लोग "सूचना समुच्चय त्रुटि" कहते हैं। अंततः, हम समेकन के विभिन्न नियमों का अवलोकन करते हैं और वे नियम भी असंगति उत्पन्न कर सकते हैं। इसकी पहचान "समेकन त्रुटि" के साथ की जाती है।

आंकड़ों का एक बार अवलोकन करने और चार रेटिंग एजेंसियों के बीच असंगतियों का विश्लेषण करने के बाद हम लोगों ने पाया कि असंगतियां लगभग 70 प्रतिशत माप, 25 प्रतिशत सूचना समुच्चय, और 5 प्रतिशत समेकन नियमों के कारण उत्पन्न हो रही थीं। ये अभी भी शुरुआती परिणाम हैं। अंतिम लक्ष्य ईएसजी की बेहतर माप करने में सक्षम होने का है, जो स्वतंत्र हों और सभी लोग उसका उपयोग कर सकें।

कुछ सीख

अंत में, मैं उन कुछ मिली सीख का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा जो इन वैकल्पिक आंकड़ों के स्रोत पर काम करते हुए प्राप्त हुईं। उम्मीद है कि ये सीख केंद्रीय बैंकों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पहली सीख, मूलभूत आंकड़े का सबसे बड़ा फायदा इनकी सत्यता होती है। यह फायदा इसके आकार में नहीं बल्कि गति, विविधता इत्यादि में निहित होता है। यह तथ्य है कि लोगों में सत्यतापूर्वक उत्तर देने की प्रवृत्ति होती है और मेरा मानना है कि इसके कारण ये आंकड़े अद्वितीय होते हैं। इस संबंध में, आकांक्षापूर्ण के स्थान पर व्यावहारिक आंकड़े एकत्र करने से प्रत्येक प्रेक्षण के सूचना-परक मूल्य में वृद्धि होती है। इसलिए, क्रेडिट कार्ड से होने वाले लेन-देन या जीपीएस लोकेशन से संबंधित आंकड़े ट्वीट किए जाने वाले अथवा फेसबुक स्टेटस के आंकड़ों की तुलना में अधिक सार्थक होते हैं।

दूसरी सीख, मूलभूत आंकड़े को भूगोल या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित नहीं किया जाता

है। इसे बर्ताव के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। हम लोग भूगोल एवं सामाजिक परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सदियों से (वस्तुतः) सर्वेक्षण का संग्रह करते रहे हैं। सांख्यिकी कार्यालयों के लिए अर्थव्यवस्था और समाज को समझने के लिए यही प्रतिमान मार्गदर्शी ढांचे के रूप में उपलब्ध हैं। मेरी समझ से इस मत को चुनौती दी जाएगी।

तीसरी सीख, मूलभूत आंकड़े का सबसे नकारात्मक पहलू यह है कि ये आंकड़े प्रतिनिधिक नहीं होते हैं। व्यापक अनुमान लगाना असंभव है - हालांकि, आंकड़ों के इन स्रोतों पर आधारित गणना के सहसंबंधों के आधार पर व्यापक अनुमान लगाना लोगों को बहुत पसंद है। गैर-प्रतिनिधिकता तथा बहुत बड़े आंकड़ों के समुच्चय का संयोग एक खतरनाक घटना है। लोग बहुत अधिक परिशुद्धता पूर्वक भयानक समाश्रयण का अनुमान लगाते हैं। किसी तुच्छ बात पर जोर देना महत्वपूर्ण हो सकता है - किंतु यह बात आमतौर पर भुला दी जाती है। आंकड़े के आकार के कारण अनुमान की त्रुटि कम हो जाती है, किंतु पूर्वाग्रह समाप्त नहीं होते हैं !

चौथी सीख, आंकड़े के तात्कालिक होने की स्थिति में, उनके समेकित होने पर भी, निजता भंग होना अपरिहार्य

हो सकता है। हमें इन समस्याओं के बारे में जागरूक होने की जरूरत है क्योंकि हम लोगों ने कभी इनका सामना नहीं किया है। हम लोगों ने समुच्चयों के अपने तिमाही अनुमानों के आधार पर खुद को सुरक्षित महसूस किया है। इसके, उप-समुच्चय के दैनिक अनुमानों में परिवर्तित होने पर हमारी निजता संबंधी जरूरतों की चिंताएं अधिक होनी चाहिए।

अंततः, क्या आंकड़ों के नए स्रोत सांख्यिकी कार्यालयों को प्रतिस्थापित करने वाले हैं ? नहीं, कोई संभावना नहीं है। यह उनको परिवर्तित होने के लिए बाध्य करेगा, किंतु वे समाप्त नहीं होंगे। भविष्य में सांख्यिकी कार्यालयों को उन्नत उपागमों को अपनाना होगा। आंकड़ों का कुछ हिस्सा मूलभूत आंकड़ों के प्रयोग से जुटाया जाएगा और कुछ हिस्सा सर्वेक्षणों के माध्यम से। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मूलभूत आंकड़ों में अंतर्निहित पूर्वाग्रहों में सुधार करने के लिए सर्वेक्षणों का उपयोग किया जाने वाला है। सार रूप में, बड़े, तीव्र किंतु गैर-प्रतिनिधिक आंकड़ों की मरम्मत करने के लिए छोटे, धीमे किंतु प्रतिनिधिक आंकड़ों का प्रयोग किया जाएगा।

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा और बैंकिंग
मूल्य और उत्पादन
सरकारी खाते और खज़ाना बिल
वित्तीय बाजार
बाह्य क्षेत्र
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
अवसरिक श्रृंखलाएं

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	37
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	38
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	39
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डालर का क्रय/विक्रय	40
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	41
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	41
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	42
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	43
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	44
9	कुल चलनिधि राशियां	44
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	45
11	आरक्षित मुद्रा- घटक और स्रोत	45
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	46
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	46
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	47
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन	48
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	49
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	50
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	51
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	51
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	51
21	थोक मूल्य सूचकांक	52
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	55
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	55
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	56
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	56
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	57
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	58
28	वाणिज्यिक पत्र	58
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	58
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	59

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	60
32	विदेशी मुद्रा भंडार	60
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	60
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	61
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	61
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	62
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार	62
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	63
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (बिलियन ₹)	64
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	65
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (बिलियन ₹ में)	66
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	67
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	68
	अवसरिक श्रृंखलाएं	
44	लघु बचत	69
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	70
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	71
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	72
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	73
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	74

टिप्पणियां: .. = उपलब्ध नहीं।

- = शून्य/नगण्य

प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम

आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1: चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2017-18	2016-17	2017-18		2018-19
		ति4	ति1	ति4	ति1
	1	2	3	4	5
1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	6.5	6.0	5.6	7.6	8.0
1.1.1 कृषि	3.4	7.1	3.0	4.5	5.3
1.1.2 उद्योग	5.5	8.1	-0.4	8.0	10.8
1.1.3 सेवाएं	7.6	4.9	8.5	8.2	7.5
1.1क अंतिम खपत व्यय	7.2	6.4	8.7	8.1	8.4
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	7.6	6.0	0.8	14.4	10.0
	2017-18	2017		2018	
		जून	जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	4.3	-0.3	1.0	7.0	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	6.2	12.8	9.5	6.8	8.4
2.1.2 ऋण	10.0	8.2	5.7	10.9	12.0
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	10.2	9.0	6.5	10.9	12.2
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	9.5	18.2	16.1	6.0	6.5
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	27.4	-5.1	-6.2	21.1	20.6
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	9.6	7.0	6.7	9.8	9.9
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	19.50	20.00	20.00	19.50	19.50
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.1	5.1	4.8	4.9	4.7
3.4 ऋण-जमा अनुपात	75.5	72.6	72.3	75.4	74.7
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	117.3	**	**	65.7	-44.0
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.0	30.1	30.5	29.9	30.0
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	43.0	*	*	169.3	182.0
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	6.00	6.25	6.25	6.25	6.25
4.2 रिवर्स रिपो दर	5.75	6.00	6.00	6.00	6.00
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	6.25	6.50	6.50	6.50	6.50
4.4 बैंक दर	6.25	6.50	6.50	6.50	6.50
4.5 आधार दर	8.65/9.45	9.10/9.60	9.00/9.55	8.70/9.45	8.75/9.45
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	7.80/7.95	7.75/8.10	7.75/8.10	7.80/8.05	7.90/8.05
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	6.25/6.75	6.25/6.90	6.25/6.90	6.25/7.00	6.25/7.00
4.8 बचत जमा दर	3.50/4.00	4.00	4.00	3.50/4.00	3.50/4.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	5.94	6.07	6.08	6.17	6.21
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.11	6.27	6.15	6.52	6.69
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.33	6.33	6.25	6.89	6.97
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.49	6.38	6.29	7.13	7.27
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	7.42	6.57	6.56	7.98	7.76
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिया					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	65.04	64.74	64.15	68.58	68.70
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	80.62	74.00	74.98	79.85	79.78
5.3 फारवर्ड प्रीमिया अमेरिकी डालर 1-माह (%)	4.61	5.19	4.68	4.46	4.37
3-माह (%)	4.37	4.76	4.61	4.37	4.37
6-माह (%)	4.21	4.70	4.60	4.39	4.40
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	3.6	1.5	2.4	4.9	4.2
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	3.1	1.1	1.8	3.9	5.6
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	2.9	0.9	1.9	5.8	5.1
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	1.4	-4.2	0.6	5.3	1.7
6.3.2 ईंधन और पावर	8.2	5.2	4.4	16.2	18.1
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	2.7	2.4	2.1	4.2	4.3
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	16.2	19.9	16.8	20.9	28.0
7.2 निर्यात	5.7	1.6	2.8	18.8	16.1

टिप्पणी : 10 जुलाई 2018 से फाइनेंसियल बैंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है।

** हर और अंश नकारात्मक है।

* हर नकारात्मक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2: भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(बिलियन ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2017-18	2017	2018				
			अग	जुला 27	अग 10	अग 17	अग 24
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	18,044.21	15,400.49	18,968.03	19,104.73	19,171.29	19,130.51	19,019.37
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	0.15	0.15	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	18,044.35	15,400.65	18,968.14	19,104.84	19,171.40	19,130.62	19,019.50
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	733.81	669.69	743.49	718.55	718.55	718.55	720.80
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	17,303.70	14,725.82	18,215.32	18,376.97	18,443.54	18,402.80	18,289.47
1.2.3 रुपया सिक्का	6.83	5.14	9.33	9.32	9.31	9.27	9.24
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	9,854.75	8,843.46	5,835.36	6,050.58	6,176.27	6,000.39	6,315.62
2.1.1.1 केंद्र सरकार	68.08	13.93	1.00	1.01	1.00	1.00	1.00
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	-	946.73	-	-	-	-	-
2.1.1.3 राज्य सरकारें	6.51	8.38	0.42	0.42	0.43	0.43	0.42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	5,256.86	4,535.45	4,738.57	4,726.87	4,631.80	4,855.78	4,754.61
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	48.28	37.76	35.17	38.77	39.13	35.70	36.37
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	25.49	17.54	20.12	20.06	20.96	19.98	19.11
2.1.1.7 अन्य बैंक	305.66	257.96	271.68	273.28	285.02	277.31	276.48
2.1.1.8 अन्य	4,143.89	3,025.70	768.39	990.16	1,197.93	810.19	1,220.55
2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	7.07
2.1.2 अन्य देयताएं	9,141.27	8,428.05	10,363.28	9,760.69	10,276.43	10,327.88	10,622.14
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	18,996.03	17,271.50	16,198.64	15,811.27	16,452.70	16,328.27	16,937.76
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	0.15	0.15	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13
2.2.2 विदेश में रखे शेष	8,887.95	9,265.92	8,065.31	7,806.61	8,217.11	8,251.20	8,619.82
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	-	-	241.35	201.36	30.00	439.92
2.2.3.2 राज्य सरकारें	7.39	11.29	1.71	18.26	55.51	2.86	4.45
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	2,739.78	32.70	762.95	464.73	693.98	755.06	616.61
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.35	-	-	0.35	0.35	0.35	0.35
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.7 एक्विजम बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	106.75	43.78	62.82	62.32	63.12	63.12	61.87
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	7.07
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	6,369.76	7,285.96	6,433.51	6,455.30	6,455.81	6,456.31	6,416.08
2.2.6 अन्य आस्तियां	883.90	631.70	872.23	762.24	765.35	769.26	771.46
2.2.6.1 सोना	673.37	608.25	710.41	701.05	703.54	706.04	709.22

* डाटा अर्न्तम है।

सं. 3: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(बिलियन ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाज़ार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर				विक्रय	क्रय	
जुला 2, 2018	38.71	425.44	-	195.18	6.00	-	-	-	-	-575.91
जुला 3, 2018	38.41	452.91	68.42	231.13	1.56	-	-	-	-	-575.65
जुला 4, 2018	38.97	544.32	-	185.55	14.50	-	-	-	-	-676.40
जुला 5, 2018	38.96	464.25	-	147.76	3.15	-	-	-	-	-569.90
जुला 6, 2018	44.92	202.66	54.30	200.02	39.12	-	-	-	-	-264.34
जुला 7, 2018	126.92	40.26	-	-	13.50	-	-	-	-	100.16
जुला 9, 2018	78.06	85.59	-	34.57	3.03	-	-	-	-	-39.07
जुला 10, 2018	86.88	9.21	149.00	50.51	33.27	-	-	-	-	209.43
जुला 11, 2018	66.46	68.78	-	74.77	4.20	-	-	-	-	-72.89
जुला 12, 2018	61.43	108.60	-	138.84	0.55	-2.84	-	-	-	-188.30
जुला 13, 2018	69.28	103.41	121.98	-	1.15	3.24	-	-	-	92.24
जुला 16, 2018	134.68	85.79	-	29.36	9.25	-	-	-	-	28.78
जुला 17, 2018	41.58	115.70	220.06	75.62	2.45	-	-	-	-	72.77
जुला 18, 2018	38.73	52.80	-	108.75	0.70	-	-	-	-	-122.12
जुला 19, 2018	37.96	104.80	-	159.70	0.73	-	-	-	-	-225.81
जुला 20, 2018	163.81	114.56	99.34	-	29.82	-	-	-	100.00	278.41
जुला 21, 2018	74.60	40.89	-	-	7.00	-	-	-	-	40.71
जुला 23, 2018	223.59	68.62	-	-	11.20	-	-	-	-	166.17
जुला 24, 2018	246.23	70.29	225.08	-	1.65	-2.20	-	-	-	400.47
जुला 25, 2018	161.56	104.45	150.03	-	0.21	0.85	-	-	-	208.20
जुला 26, 2018	49.23	86.86	-	128.29	0.20	1.35	-	-	-	-164.37
जुला 27, 2018	115.18	190.29	135.75	94.84	6.00	-	-	-	-	-28.20
जुला 30, 2018	156.66	197.61	-	60.93	21.15	-	-	-	-	-80.73
जुला 31, 2018	143.01	152.21	225.06	140.00	0.10	-	-	-	-	75.96

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डालर का क्रय/विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में परिचालन

मद	2017-18	2017	2018	
		जुला	जून	जुला
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डालर) (1.1-1.2)	33,689.00	2,953.00	-6,184.00	-1,874.00
1.1 क्रय (+)	52,068.00	4,893.00	4,020.00	4,129.00
1.2 विक्रय (-)	18,379.00	1,940.00	10,204.00	6,003.00
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (बिलियन ₹)	2,228.28	192.54	-424.00	-136.00
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डालर)	33,689.00	11,816.00	-14,434.00	-16,308.00
(बिलियन ₹)	2,228.27	777.80	-976.19	-1,112.19
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डालर)	20,853.00	26,450.00	10,689.00	10,689.00

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2017-18	2017	2018	
		जुला	जून	जुला
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डालर) (1.1-1.2)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 क्रय (+)	3,935.00	0.00	1,714.00	692.00
1.2 विक्रय (-)	3,935.00	0.00	1,714.00	692.00
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डालर)	0.00	0.00	-692.00	0.00

सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	31 जुलाई 2018 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	2,530	786	1,744
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	1,557	527	1,030
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	10,285	2,370	7,915
4. 1 वर्ष से अधिक	0	0	0
कुल (1+2+3+4)	14,372	3,683	10,689

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2017-18	2017	2018					अग 31
			अग 18	मार्च 30	अप्रैल 27	मई 25	जून 22	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	—	3.5	—	31.2	—	20.4	29.8	1.3
2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त								
2.1 सीमा	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2 बकाया	—	—	—	—	—	—	—	—
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
3.2 बकाया	25.4	18.1	25.4	23.5	23.3	23.9	24.3	23.9
4 अन्य								
4.1 सीमा	—	—	—	—	—	—	—	—
4.2 बकाया	—	—	—	—	—	—	—	—
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	25.4	21.5	25.4	54.7	23.3	44.4	54.2	25.1

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2017-18	2017	2018		
		जुला 21	जून 22	जुला 6	जुला 20
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	17,597.1	14,694.9	18,767.6	18,732.2	18,589.3
1.1 संचलन में नोट	18,037.0	15,226.7	19,316.8	19,241.1	19,109.3
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	249.1	245.7	249.7	249.6	249.6
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
1.4 बैंकों के पास नकदी	696.4	784.9	806.3	765.9	777.0
2 जनता की जमाराशियां	15,076.2	12,193.4	13,123.7	13,222.3	12,989.1
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	14,837.1	12,013.8	12,898.5	12,978.2	12,759.1
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	239.1	179.6	225.2	244.1	230.0
3 एम ₁ (1+2)	32,673.3	26,888.4	31,891.3	31,954.5	31,578.5
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	1,066.9	958.9	1,066.9	1,066.9	1,066.9
5 एम ₂ (3+4)	33,740.3	27,847.3	32,958.3	33,021.4	32,645.4
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	106,952.6	101,192.7	108,141.0	109,441.1	109,150.2
7 एम ₃ (3+6)	139,625.9	128,081.0	140,032.3	141,395.6	140,728.6
8 कुल डाकघर जमाराशियां	2,954.0	2,683.0	2,954.0	2,954.0	2,954.0
9 एम ₄ (7+8)	142,579.8	130,764.1	142,986.2	144,349.5	143,682.6

सं. 7: मुद्रा स्टॉक (एम₃) का स्रोत

(बिलियन ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2017-18	2017	2018		
		जुला 21	जून 22	जुला 6	जुला 20
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	40,014.0	41,145.4	42,210.0	44,015.6	43,313.7
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	4,759.6	6,462.7	6,188.4	7,268.3	6,624.8
1.1.1 सरकार पर दावे	6,435.6	7,410.8	6,336.9	7,269.8	6,626.3
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	6,418.4	7,401.9	6,336.5	7,238.6	6,626.3
1.1.1.2 राज्य सरकारें	17.2	9.0	0.4	31.2	0.0
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमा राशियां	1,676.0	948.2	148.5	1.4	1.4
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	1,675.6	947.7	148.1	1.0	1.0
1.1.2.2 राज्य सरकारें	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	35,254.4	34,682.7	36,021.6	36,747.2	36,688.8
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	92,137.2	82,283.4	92,026.8	92,470.9	92,006.3
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	140.3	68.7	95.4	93.6	95.6
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	91,996.9	82,214.6	91,931.4	92,377.3	91,910.8
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	86,254.2	76,599.0	86,144.2	86,566.2	86,097.4
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	5,666.0	5,530.0	5,704.3	5,697.3	5,690.2
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	76.7	85.6	82.9	113.8	123.2
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	29,223.0	26,291.2	29,212.4	29,523.3	29,467.0
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	27,607.8	25,156.7	27,597.3	27,908.1	27,851.8
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	27,609.9	25,158.6	27,599.4	27,910.3	27,854.0
3.1.2 विदेशी देयताएं	2.1	1.9	2.1	2.1	2.1
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	1,615.1	1,134.5	1,615.1	1,615.1	1,615.1
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	256.5	253.1	257.1	257.0	257.0
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	22,004.8	21,892.0	23,674.2	24,871.2	24,315.3
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	9,069.9	8,810.5	9,785.8	10,241.4	10,321.9
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	12,934.9	13,081.6	13,888.4	14,629.7	13,993.5
एम₃ (1+2+3+4-5)	139,625.9	128,081.0	140,032.3	141,395.6	140,728.6

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2017-18	2017		2018	
			जुला 21	जून 22	जुला 6
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम ₁ (1.1 + 1.2.1+1.3)	32,673.3	26,888.4	31,891.3	31,954.5	31,578.5
एन एम ₂ (एन एम ₁ + 1.2.2.1)	80,142.1	71,806.3	79,849.7	80,485.2	79,974.8
एन एम ₃ (एन एम ₂ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)	141,816.7	129,642.1	142,310.9	143,407.6	142,652.1
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	17,597.1	14,694.9	18,767.6	18,732.2	18,589.3
1.2 निवासियों की कुल जमाराशियां	120,323.4	111,831.4	119,472.8	120,824.2	120,306.6
1.2.1 मांग जमाराशियां	14,837.1	12,013.8	12,898.5	12,978.2	12,759.1
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	105,486.3	99,817.6	106,574.3	107,846.0	107,547.5
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	47,468.8	44,917.9	47,958.4	48,530.7	48,396.4
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	1,931.1	1,239.6	1,797.8	1,733.7	1,709.9
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	58,017.4	54,899.7	58,615.9	59,315.3	59,151.1
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	239.1	179.6	225.2	244.1	230.0
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	3,657.1	2,936.1	3,845.3	3,607.1	3,526.2
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	139,941.3	130,387.3	142,746.1	144,733.9	143,686.5
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	40,014.0	41,145.4	42,210.0	44,015.6	43,313.7
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	4,759.6	6,462.7	6,188.4	7,268.3	6,624.8
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	35,254.4	34,682.7	36,021.6	36,747.2	36,688.8
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	99,927.3	89,241.9	100,536.0	100,718.3	100,372.9
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	140.3	68.7	95.4	93.6	95.6
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	99,787.1	89,173.2	100,440.6	100,624.7	100,277.3
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	7,728.5	6,883.6	8,429.7	8,154.9	8,256.5
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	256.5	253.1	257.1	257.0	257.0
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	26,931.6	24,623.8	26,373.0	26,482.9	26,285.8
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	27,607.8	25,156.7	27,597.3	27,908.1	27,851.8
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-676.2	-532.9	-1,224.2	-1,425.2	-1,566.1
2.4 पूंजी खाता	20,705.2	19,198.8	21,805.2	22,285.3	22,295.3
2.5 अन्य मदें (निवल)	4,607.6	6,423.4	5,260.2	5,780.9	5,281.8

सं. 9: कुल चलनिधि राशियां

(बिलियन ₹)

समुच्चय	2017-18	2018			
		जुला	मई	जून	जुला
	1	2	3	4	5
1 एन एम₃	141,816.7	129,642.1	141,970.9	142,310.9	142,652.1
2 डाकघर जमाराशियां	2,954.0	2,683.0	2,954.0	2,954.0	2,954.0
3 एल₁ (1 + 2)	144,770.6	132,325.1	144,924.9	145,264.9	145,606.1
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3
4.1 सावधि मुद्रा उधार	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
4.3 सावधि जमाराशियां	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5 एल₂ (3 + 4)	144,799.9	132,354.4	144,954.2	145,294.2	145,635.4
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	313.6	313.6	..
7 एल₃ (5 + 6)	145,113.5	145,607.8	..

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2017-18	2017	2018		
		जुला 21	जून 22	जुला 6	जुला 20
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	18,293.5	15,479.8	19,573.9	19,498.1	19,366.3
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	5,655.3	4,612.2	5,177.0	5,130.1	5,169.3
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	5,269.1	4,306.3	4,851.3	4,802.2	4,832.3
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	239.1	179.6	225.2	244.1	230.0
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	24,187.8	20,271.6	24,976.1	24,872.3	24,765.7
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	5,393.4	3,672.2	6,907.4	6,948.6	6,978.7
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	4,759.6	6,462.7	6,188.4	7,268.3	6,624.8
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	4,742.9	6,454.1	6,188.4	7,237.5	6,625.3
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	46.9	-	931.4	217.7
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	6,411.5	7,349.3	6,327.3	6,297.9	6,399.3
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	6,411.5	7,349.3	6,327.3	6,297.9	6,399.3
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	6.9	5.7	9.2	9.3	9.3
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	1,675.6	947.7	148.1	1.0	1.0
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	16.8	8.5	-	30.8	-0.4
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	493.5	-2,859.2	623.6	-413.4	258.3
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	493.5	-2,859.2	623.6	-413.4	258.3
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	140.3	68.7	95.4	93.6	95.6
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	25.4	15.4	23.9	23.9	24.3
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	256.5	253.1	257.1	257.0	257.0
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	27,607.8	25,156.7	27,597.3	27,908.1	27,851.8
2.3.1 सोना	1,397.4	1,317.4	1,438.9	1,442.8	1,449.7
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	26,210.6	23,839.5	26,158.5	26,465.5	26,402.3
2.4 पूंजी खाता	8,584.3	7,784.5	9,261.0	9,720.7	9,656.8
2.5 अन्य मदें (निवल)	485.6	1,026.0	524.8	520.8	665.1

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया						
	2017-18	2017	2018				
		जुला 28	जून 29	जुला 6	जुला 13	जुला 20	जुला 27
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	24,187.8	20,331.5	24,916.4	24,872.3	24,854.4	24,765.7	24,522.4
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	18,293.5	15,411.6	19,431.3	19,498.1	19,569.1	19,366.3	19,225.0
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	5,655.3	4,738.8	5,252.0	5,130.1	5,055.6	5,169.3	5,065.6
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	239.1	181.2	233.0	244.1	229.8	230.0	231.9
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	4,759.6	6,269.3	6,595.3	7,268.3	6,834.3	6,624.8	6,335.7
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	493.5	-2,639.1	277.5	-413.4	23.1	258.3	349.5
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	140.3	70.1	95.9	93.6	96.8	95.6	96.3
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	27,607.8	25,197.5	27,786.7	27,908.1	27,680.6	27,851.8	27,732.4
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	256.5	253.8	257.0	257.0	257.0	257.0	257.0
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	9,069.9	8,820.0	10,096.0	10,241.4	10,037.4	10,321.9	10,248.5

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार / माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2017-18	2017	2018		
		जुला 21	जून 22	जुला 6	जुला 20
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	112,794.2	104,381.1	111,963.2	113,288.2	112,768.6
1.1.1 मांग जमाराशियां	13,702.8	10,869.4	11,763.3	11,840.3	11,622.0
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	99,091.4	93,511.7	100,199.8	101,447.9	101,146.7
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	44,591.1	42,080.3	45,089.9	45,651.6	45,516.0
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	1,931.1	1,239.6	1,797.8	1,733.7	1,709.9
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	54,500.3	51,431.4	55,109.9	55,796.4	55,630.7
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	3,657.1	2,936.1	3,845.3	3,607.1	3,526.2
स्रोत					
2.1 देशी ऋण	127,142.0	116,079.5	128,532.0	129,444.9	129,050.4
2.1.1 सरकार को ऋण	33,174.1	32,588.4	33,955.1	34,677.2	34,622.9
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	93,967.9	83,491.2	94,576.9	94,767.6	94,427.5
2.1.2.1 बैंक ऋण	86,254.2	76,599.0	86,144.2	86,566.2	86,097.4
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	86,086.9	76,074.7	85,518.8	85,974.9	85,591.0
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	64.3	77.5	82.1	95.1	112.6
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	10.5	20.6	10.6	41.0	50.5
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	7,638.9	6,794.0	8,340.0	8,065.3	8,166.9
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-676.2	-532.9	-1,224.2	-1,425.2	-1,566.1
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	2,018.0	1,541.4	1,532.3	1,514.7	1,363.6
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	1,466.3	1,375.1	1,566.7	1,595.1	1,602.7
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	1,227.9	699.2	1,189.9	1,344.8	1,327.0
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	5,321.8	7,846.4	4,935.4	5,882.1	5,249.5
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	5,256.9	4,306.3	4,851.3	4,802.2	4,832.3
2.3.2 उपलब्ध नकदी	600.6	681.0	707.7	666.5	675.5
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	535.7	-2,859.2	623.6	-413.4	258.3
2.4 पूंजी खाता	11,879.3	11,172.6	12,302.5	12,322.9	12,396.8
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	3,457.1	4,903.3	4,132.2	4,683.5	4,042.2
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	4,360.8	4,064.6	3,586.4	3,456.8	3,336.8
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	-268.2	-299.0	-357.7	-349.0	-413.2

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(बिलियन ₹)

मद	30 मार्च, 2018 की स्थिति	2017	2018		
		जुला 21	जून 22	जुला 6	जुला 20
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	33,184.5	32,609.0	33,965.6	34,718.2	34,673.5
2 वाणिज्यिक पत्र	1,159.4	1,136.5	1,274.2	1,118.9	1,187.6
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेष					
3.1 सरकारी उद्यम	118.7	97.3	118.4	118.4	117.8
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	745.3	643.1	743.0	745.0	744.6
3.3 अन्य	42.1	46.8	42.8	42.6	42.5
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	1,399.7	1,063.5	1,293.8	1,221.7	1,230.1
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	2,222.3	1,616.9	2,213.0	2,267.3	2,253.9
4.3 अन्य	994.6	735.1	1,130.4	1,096.8	1,126.4
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	177.3	794.9	715.4	671.4	695.4
5.2 वित्तीय संस्थाएं	895.8	771.5	809.5	783.2	768.7

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /नियत शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2017-18	2017	2018		2017-18	2017	2018	
		जुला	जून	जुला		जुला	जून	जुला
	1	2	3	4	5	6	7	8
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	223	215	223	223	149	144	149	149
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	2,344.9	2,102.7	2,254.4	2,338.1	2,282.0	2,045.2	2,207.1	2,291.7
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	1,667.5	1,574.2	1,570.9	1,659.9	1,615.6	1,518.6	1,526.3	1,615.6
1.2 बैंकों से उधार राशि	611.7	482.5	587.8	609.7	601.2	482.0	586.9	609.4
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	65.7	46.0	95.7	68.5	65.2	44.6	94.0	66.7
2 अन्य के प्रति देयताएं	126,658.9	117,086.6	127,282.9	127,095.9	123,506.3	114,155.8	124,125.5	123,921.2
2.1 कुल जमाराशियां	117,285.4	108,930.8	117,986.7	118,031.5	114,260.5	106,114.0	114,982.2	114,995.6
2.1.1 मांग	13,994.8	11,391.6	12,919.8	12,588.8	13,702.8	11,119.1	12,632.6	12,288.1
2.1.2 मीयादी	103,290.6	97,539.1	105,066.9	105,442.7	100,557.7	94,994.9	102,349.6	102,707.6
2.2 उधार	3,693.9	3,462.9	4,006.4	4,160.6	3,657.1	3,429.5	3,946.3	4,111.6
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	5,679.7	4,692.9	5,289.7	4,903.8	5,588.7	4,612.4	5,197.0	4,814.0
3 रिज़र्व बैंक से उधार	2,740.1	17.4	918.3	763.0	2,739.8	17.4	918.3	763.0
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	2,740.1	17.4	918.3	763.0	2,739.8	17.4	918.3	763.0
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	6,029.2	5,244.7	5,775.1	5,591.6	5,857.5	5,101.0	5,632.6	5,450.5
4.1 उपलब्ध नकदी	616.3	692.1	728.9	732.5	600.65	668.4	710.5	711.9
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	5,412.9	4,552.6	5,046.1	4,859.1	5,256.9	4,432.6	4,922.1	4,738.6
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	3,011.8	2,768.2	3,063.4	3,188.2	2,614.6	2,344.0	2,678.4	2,807.0
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	2,041.9	1,874.0	2,064.1	2,183.6	1,860.5	1,684.9	1,893.7	2,020.7
5.1.1 चालू खाते में	156.0	129.2	122.5	157.3	123.1	108.0	95.1	138.6
5.1.2 अन्य खातों में	1,885.9	1,744.8	1,941.7	2,026.4	1,737.4	1,576.9	1,798.5	1,882.0
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	360.5	259.3	339.7	316.1	182.4	113.9	175.1	151.2
5.3 बैंकों को अग्रिम	284.1	327.1	369.3	382.4	282.0	326.3	361.6	372.6
5.4 अन्य आस्तियां	325.3	307.8	290.3	306.1	289.6	218.9	248.0	262.5
6 निवेश	34,124.7	33,290.4	35,352.4	35,472.4	33,184.5	32,416.6	34,404.3	34,530.9
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	34,067.4	33,265.6	35,292.3	35,398.9	33,174.1	32,398.0	34,396.1	34,511.9
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	57.3	24.8	60.1	73.6	10.5	18.6	8.1	19.0
7 बैंक ऋण	88,785.3	79,007.7	89,289.1	88,480.1	86,254.2	76,702.2	86,728.1	85,930.8
7क खाद्यान्न ऋण	611.4	739.6	823.3	739.0	419.9	547.2	593.0	508.8
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	86,451.5	76,923.6	87,038.5	86,284.8	83,984.8	74,678.8	84,531.4	83,783.8
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	230.3	198.4	224.1	212.9	203.9	184.5	203.6	195.5
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	1,417.3	1,314.5	1,381.9	1,379.8	1,387.5	1,273.0	1,355.8	1,355.7
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	266.0	207.4	250.6	237.5	263.0	206.1	248.4	235.7
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	420.3	363.9	394.0	365.2	415.0	359.8	388.8	360.1

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(बिलियन ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 30, 2018	2017	2018		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष 2018
		जुला 21	जून 22	जुला 20		
	1	2	3	4	5	6
1 सकल बैंक ऋण	77,303	69,452	76,949	76,734	-0.7	10.5
1.1 खाद्यान्न ऋण	419	456	624	458	9.5	0.6
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	76,884	68,996	76,325	76,276	-0.8	10.6
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	10,302	9,743	10,355	10,385	0.8	6.6
1.2.2 उद्योग	26,993	26,280	26,417	26,371	-2.3	0.3
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	3,730	3,593	3,641	3,594	-3.6	0.0
1.2.2.2 मझौले	1,037	1,005	1,029	1,035	-0.2	2.9
1.2.2.3 बड़े	22,226	21,681	21,747	21,741	-2.2	0.3
1.2.3 सेवाएं	20,505	16,316	20,218	20,075	-2.1	23.0
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	1,213	1,107	1,223	1,243	2.5	12.3
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	186	174	183	181	-2.6	4.1
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	365	360	366	362	-0.7	0.6
1.2.3.4 नौवहन	63	72	67	66	5.3	-7.1
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	1,554	1,322	1,536	1,549	-0.3	17.1
1.2.3.6 व्यापार	4,669	4,059	4,700	4,625	-0.9	14.0
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	2,052	1,773	2,049	2,029	-1.1	14.4
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	2,618	2,286	2,651	2,597	-0.8	13.6
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	1,858	1,774	1,863	1,818	-2.2	2.4
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)	4,964	3,375	4,616	4,735	-4.6	40.3
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	5,633	4,073	5,663	5,496	-2.4	34.9
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	19,085	16,657	19,336	19,445	1.9	16.7
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	197	172	203	205	3.9	18.9
1.2.4.2 आवास	9,746	8,636	9,983	10,063	3.3	16.5
1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	725	579	679	644	-11.2	11.2
1.2.4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	56	52	57	60	7.1	15.0
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	686	568	744	743	8.2	30.8
1.2.4.6 शिक्षा	697	701	686	689	-1.2	-1.7
1.2.4.7 वाहन ऋण	1,898	1,726	1,906	1,918	1.1	11.2
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	5,080	4,224	5,078	5,124	0.9	21.3
1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	25,532	23,547	24,975	25,324	-0.8	7.5
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	10,216	9,725	10,292	10,322	1.0	6.1
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	9,964	8,726	9,572	9,717	-2.5	11.4
1.2अ.2.1 विनिर्माण	3,730	3,593	3,641	3,594	-3.6	0.0
1.2अ.2.2 सेवाएं	6,234	5,132	5,930	6,122	-1.8	19.3
1.2अ.3 आवास	3,756	3,572	3,739	3,893	3.6	9.0
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	264	150	211	208	-21.2	38.2
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	607	587	563	574	-5.4	-2.1
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	3	3	3	4	18.2	35.7
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	5,690	5,502	5,765	5,825	2.4	5.9
1.2अ.8 निर्यात ऋण	283	412	223	219	-22.7	-46.8

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन

(बिलियन ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 30, 2018	2017	2018		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			जुला 21	जून 22		
	1	2	3	4	5	6
1 उद्योग	26,993	26,280	26,417	26,371	-2.3	0.3
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	413	333	399	415	0.5	24.6
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	1,554	1,446	1,498	1,466	-5.6	1.4
1.2.1 चीनी	290	285	276	272	-5.9	-4.3
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	211	184	212	215	1.9	16.9
1.2.3 चाय	45	43	49	51	15.6	19.1
1.2.4 अन्य	1,008	934	961	927	-8.0	-0.7
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	156	174	140	136	-12.9	-22.1
1.4 वस्त्र	2,099	1,933	2,033	2,015	-4.0	4.2
1.4.1 सूती वस्त्र	1,057	971	1,008	1,010	-4.5	4.0
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	22	27	22	21	-7.0	-25.2
1.4.3 मानव - निर्मित वस्त्र	243	222	239	241	-0.7	8.7
1.4.4 अन्य वस्त्र	776	713	764	743	-4.2	4.3
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	113	106	111	111	-1.5	5.1
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	109	101	111	111	2.5	10.1
1.7 कागज़ और कागज़ से बने उत्पाद	306	318	304	302	-1.5	-5.0
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	651	548	640	580	-11.0	5.9
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	1,630	1,550	1,571	1,627	-0.2	4.9
1.9.1 उर्वरक	306	263	272	274	-10.3	4.2
1.9.2 औषधि और दवाइयां	484	449	495	496	2.4	10.4
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	387	432	349	365	-5.7	-15.6
1.9.4 अन्य	453	406	456	492	8.5	21.2
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	424	386	415	416	-1.9	7.6
1.11 कांच और कांच के सामान	85	76	90	98	15.6	28.6
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	526	546	520	520	-1.2	-4.8
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	4,160	4,155	3,925	3,808	-8.5	-8.3
1.13.1 लोहा और स्टील	3,262	3,241	3,005	2,905	-10.9	-10.4
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	898	914	920	904	0.6	-1.2
1.14 सभी अभियांत्रिकी	1,553	1,474	1,526	1,537	-1.0	4.3
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	344	318	337	339	-1.4	6.6
1.14.2 अन्य	1,210	1,156	1,189	1,198	-0.9	3.7
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	787	708	748	751	-4.7	6.0
1.16 रत्न और आभूषण	727	680	681	681	-6.3	0.1
1.17 निर्माण	901	816	911	902	0.1	10.5
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	8,909	8,884	8,912	9,077	1.9	2.2
1.18.1 पावर	5,196	5,247	5,140	5,268	1.4	0.4
1.18.2 दूरसंचार	846	830	883	909	7.5	9.5
1.18.3 सड़क	1,665	1,710	1,624	1,618	-2.9	-5.4
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	1,202	1,098	1,265	1,282	6.7	16.8
1.19 अन्य उद्योग	1,890	2,045	1,882	1,819	-3.8	-11.0

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति									
	2017-18	2017		2018					जून 22	जून 29
		जून 30	अप्रैल 13	अप्रैल 27	मई 11	मई 25	जून 08			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	31	31	31	31	31	31	30	31	30	
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	540.9	509.2	573.3	581.5	555.5	559.4	527.5	558.0	533.6	
2 मांग और मीयादी देयताएं										
2.1 मांग देयताएं	158.0	157.1	156.1	164.3	169.2	169.3	159.7	172.1	167.4	
2.1.1 जमाराशियां										
2.1.1.1 अंतर-बैंक	41.7	30.9	42.4	44.3	43.7	48.8	44.2	40.9	49.0	
2.1.1.2 अन्य	89.9	96.5	86.3	91.7	83.7	88.8	77.5	93.3	83.2	
2.1.2 बैंकों से उधार	1.2	0.0	3.3	2.6	3.5	6.1	6.6	11.9	8.7	
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	25.2	29.7	24.1	25.8	38.2	25.5	31.5	25.9	26.5	
2.2 मीयादी देयताएं	797.9	873.4	934.2	934.8	914.5	904.3	882.3	897.8	872.3	
2.2.1 जमाराशियां										
2.2.1.1 अंतर-बैंक	336.5	453.6	434.6	429.8	430.4	424.7	420.6	417.8	415.0	
2.2.1.2 अन्य	451.0	412.7	487.0	489.9	471.8	470.5	450.0	464.7	450.4	
2.2.2 बैंकों से उधार	3.1	0.0	4.0	6.6	5.8	2.4	5.4	8.6	0.0	
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	7.3	7.1	8.5	8.4	6.6	6.7	6.4	6.6	6.8	
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	404.8	465.9	436.4	436.7	439.3	435.7	429.2	425.0	429.8	
4.1 मांग	112.3	178.8	150.4	144.2	146.2	146.4	146.4	145.4	152.6	
4.2 मीयादी	292.5	287.1	286.0	292.5	293.1	289.3	282.8	279.6	277.3	
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	55.6	46.5	45.4	52.9	47.7	47.6	47.1	47.4	47.5	
5.1 उपलब्ध नकदी	2.8	3.1	2.4	2.9	2.8	3.0	2.6	3.0	3.1	
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	52.8	43.4	43.0	50.0	44.8	44.5	44.5	44.4	44.4	
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	15.0	7.3	12.3	8.4	8.0	7.4	6.2	8.2	10.4	
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	295.6	312.6	322.7	320.3	321.5	322.8	315.7	316.4	311.4	
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	208.8	224.2	189.2	199.5	197.5	200.0	182.9	193.6	186.8	
9 बैंक ऋण (10.1+11)	434.4	487.1	555.8	552.6	558.9	553.5	539.0	551.6	546.5	
10 अग्रिम										
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	434.4	487.1	555.7	552.6	558.9	553.5	539.0	551.5	546.5	
10.2 बैंकों से प्राप्त राशि	668.5	732.2	716.3	712.2	705.3	701.8	693.4	692.8	693.3	
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2017-18			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	जुला 17	जून 18	जुला 18	जुला 17	जून 18	जुला 18	जुला 17	जून 18	जुला 18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	138.6	137.4	138.1	138.5	140.0	142.0	139.8	138.4	140.3	139.0	139.4	141.4
1.1 अनाज और उत्पाद	135.2	133.7	134.7	134.0	137.6	138.4	132.8	135.3	135.6	133.6	136.9	137.5
1.2 मांस और मछली	142.7	143.8	143.1	144.2	148.1	149.2	148.4	149.7	148.6	145.7	148.7	149.0
1.3 अंडा	134.4	134.1	134.3	129.8	136.7	139.3	129.4	133.9	139.1	129.6	135.6	139.2
1.4 दूध और उत्पाद	140.3	138.6	139.6	139.0	143.2	143.5	137.7	140.8	141.0	138.5	142.3	142.6
1.5 तेल और चर्बी	121.7	114.8	119.2	120.9	124.0	124.2	113.4	116.6	116.7	118.1	121.3	121.4
1.6 फल	146.2	137.0	141.9	143.9	154.1	153.2	139.4	152.2	149.9	141.8	153.2	151.7
1.7 सब्जी	146.8	154.3	149.3	151.5	143.5	154.2	175.1	144.0	159.4	159.5	143.7	156.0
1.8 दाल और उत्पाद	136.4	123.6	132.1	138.1	126.0	126.4	124.7	112.3	112.5	133.6	121.4	121.7
1.9 चीनी और उत्पाद	119.8	120.2	119.9	120.0	112.4	114.4	121.5	108.4	111.8	120.5	111.1	113.5
1.10 मसाले	135.0	139.2	136.4	133.9	137.6	138.1	137.8	140.0	140.3	135.2	138.4	138.8
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	131.1	125.0	128.5	131.4	132.8	132.8	124.4	126.7	126.8	128.5	130.3	130.3
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	149.4	145.1	147.4	147.7	154.3	154.8	143.7	149.0	149.4	145.8	151.8	152.3
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	150.0	153.8	151.0	147.4	157.3	156.2	150.5	161.0	161.5	148.2	158.3	157.6
3 कपड़ा और जूते	145.3	132.4	140.2	143.5	150.3	150.6	130.4	137.4	137.9	138.3	145.2	145.6
3.1 कपड़ा	146.1	133.8	141.3	144.3	151.3	151.6	131.6	138.9	139.5	139.3	146.4	146.8
3.2 जूते	140.0	124.7	133.7	138.1	144.7	145.1	123.7	128.7	128.9	132.1	138.1	138.4
4 आवास	--	136.4	136.4	--	--	--	132.6	142.5	143.6	132.6	142.5	143.6
5 ईंधन और लाइट	138.6	123.0	132.7	135.3	145.1	146.8	119.7	126.5	128.1	129.4	138.1	139.7
6 विविध	130.4	124.4	127.5	128.6	135.6	136.0	123.0	129.5	130.2	125.9	132.6	133.2
6.1 घरेलू सामान और सेवा	137.7	128.2	133.2	136.1	142.2	143.1	127.2	133.1	133.6	131.9	137.9	138.6
6.2 स्वास्थ्य	133.9	126.6	131.1	132.1	138.4	138.9	125.0	132.6	133.5	129.4	136.2	136.9
6.3 परिवहन और संचार	121.2	115.3	118.0	119.1	127.4	127.5	113.2	120.4	120.1	116.0	123.7	123.6
6.4 मनोरंजन	132.1	124.6	127.9	130.6	137.8	138.4	123.5	128.5	128.9	126.6	132.6	133.0
6.5 शिक्षा	139.7	135.9	137.4	138.6	145.1	145.8	135.5	141.2	143.9	136.8	142.8	144.7
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	126.5	124.1	125.5	124.4	131.4	131.4	122.4	128.2	128.2	123.6	130.1	130.1
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	137.2	132.5	135.0	136.2	140.5	141.8	131.8	136.2	137.5	134.2	138.5	139.8

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2017-18	2017		2018	
				जुला	जून	जुला	जुला
	1	2	3	4	5	6	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2001	4.63	284	285	291	301	
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	889	884	894	902	
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	895	890	902	910	

स्रोत: श्रम व्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2017-18		2017		2018	
			जुला		जुला	
	1	2	3	4	5	6
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	29,300	28,170	30,707	30,097		
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	39,072	37,404	39,907	38,592		

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि. मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारिक	2017-18	2018			
			जुला	मई	जून (अ)	जुला (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	100.000	114.9	113.9	118.3	119.2	119.7
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	130.6	132.6	131.4	133.2	134.9
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	143.2	147.9	140.3	141.7	144.7
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)	3.462	142.6	143.2	140.8	141.0	142.7
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	155.9	176.8	141.1	145.8	155.5
1.1.1.3 दूध	4.440	139.7	139.2	141.8	142.5	143.2
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	135.7	138.1	136.6	138.2	139.3
1.1.1.5 मसाले	0.529	125.2	119.6	128.4	128.2	130.6
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	144.0	140.0	144.2	142.4	140.8
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	119.6	118.8	120.3	122.5	123.5
1.1.2.1 फाइबर	0.839	119.0	119.6	118.5	127.3	129.9
1.1.2.2 तिलहन	1.115	129.9	125.7	137.8	137.3	138.1
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	110.9	114.0	109.4	110.6	109.6
1.1.2.4 फूल	0.204	148.7	124.3	137.6	136.1	151.4
1.1.3 खनिज	0.833	122.5	119.5	129.6	140.2	129.6
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	109.1	105.1	114.9	128.0	114.9
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	169.3	169.9	181.2	182.8	181.2
1.1.3.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	73.0	64.5	95.1	95.2	94.4
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	93.3	88.4	102.4	104.1	104.4
1.2.1 कोल	2.138	118.7	117.5	123.0	123.0	123.0
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	134.1	135.5	132.0	132.0	132.0
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	112.5	110.7	119.0	119.0	119.0
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	104.2	95.0	120.0	120.0	120.0
1.2.2 खनिज तेल	7.950	82.5	75.3	93.6	96.9	97.5
1.2.3 बिजली	3.064	103.7	102.0	110.7	109.6	109.6
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	113.8	112.6	116.9	117.3	117.4
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	127.4	126.8	127.2	128.5	129.0
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	134.4	134.1	137.0	137.6	137.5
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	128.1	123.5	126.2	124.4	123.6
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	119.1	119.5	116.3	118.2	117.2
1.3.1.4 सब्जियाँ और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	109.4	105.9	120.0	120.4	120.3
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	142.1	142.4	138.5	138.9	137.4
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	137.4	136.4	137.7	137.7	138.5
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	112.6	111.8	110.6	110.1	110.4
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	128.8	129.2	127.5	127.9	128.9
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	128.0	133.0	104.0	110.5	114.3
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	126.1	125.4	123.6	124.0	125.9
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	131.4	131.0	128.3	132.3	133.6
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	129.1	130.6	138.6	142.3	143.2
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	118.2	115.6	119.3	121.3	119.7
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	127.2	127.1	125.8	126.6	129.0
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	141.1	143.8	137.6	138.9	139.8
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	153.0	153.4	152.3	153.5	154.9
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	118.9	119.3	119.2	119.9	119.6
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	113.8	114.6	111.9	112.1	112.6
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	117.9	117.6	118.3	119.4	119.8
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	127.4	127.8	130.8	131.8	129.8
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	148.4	145.3	149.8	150.3	149.3
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	148.4	145.3	149.8	150.3	149.3
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	113.4	113.3	115.7	115.9	117.1
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	106.2	106.5	108.4	108.7	109.9
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	122.0	121.0	125.4	124.9	126.5
1.3.4.3 बुने हुए और क्रांचिडेट फेब्रिक्स	0.193	108.6	109.5	111.6	112.2	114.3
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	124.6	124.3	125.7	126.5	126.8
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	141.7	142.2	137.1	137.6	138.5
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	117.5	116.4	115.9	117.0	116.5
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	136.9	135.7	139.8	139.2	138.2
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	137.8	137.9	139.9	139.2	139.4
1.3.5.2 बुने हुए क्रांचिडेट वस्त्र	0.221	134.5	129.8	139.5	138.9	135.2

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2017-18	2017	2018		
			जुला	मई	जून (अ)	जुला (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	0.535	120.1	120.7	122.3	121.9	123.0
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	110.9	113.4	115.8	114.8	116.5
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	131.2	129.3	133.8	133.3	134.2
1.3.6.3 जूते चप्पल	0.318	121.6	121.9	122.5	122.3	123.3
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	0.772	131.5	131.7	133.4	133.1	132.0
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	120.5	119.5	123.7	122.9	122.7
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	131.5	131.2	135.3	135.1	134.1
1.3.7.3 बिल्डिंगों की बढ़ईगीरी	0.036	159.8	163.3	157.4	158.3	156.5
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	134.5	137.4	128.5	127.8	125.8
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	1.113	118.9	118.9	121.6	120.7	121.8
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	122.3	120.9	126.0	126.3	126.7
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	116.1	119.1	116.4	114.1	116.3
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	116.2	115.4	119.9	118.3	119.5
1.3.9 मुद्रण और रिकार्ड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	143.7	142.8	146.3	146.4	145.3
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	143.7	142.8	146.3	146.4	145.3
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	112.5	111.1	117.4	118.0	118.1
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	111.2	107.9	122.4	123.7	124.2
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	117.1	116.0	118.8	118.6	119.0
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	113.0	111.8	118.1	118.9	118.1
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एगोकेमिकल उत्पाद	0.454	115.3	115.3	118.2	119.9	119.1
1.3.10.5 पेन्ट, वानिश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	108.6	109.0	112.0	111.6	110.3
1.3.10.6 साबुन और डिटरजेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	115.2	115.1	114.5	115.2	115.8
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	110.1	108.4	114.7	115.9	116.2
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	97.5	95.5	103.1	103.6	104.5
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	121.2	120.0	122.3	121.9	121.8
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	121.2	120.0	122.3	121.9	121.8
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	107.6	107.3	108.5	109.0	109.4
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	100.3	99.9	97.4	97.7	97.9
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	91.0	91.5	90.2	90.7	91.6
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	113.9	113.5	116.8	117.4	117.7
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	112.7	112.0	115.6	115.2	115.7
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	117.2	116.4	118.5	118.2	118.7
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	113.2	116.1	110.5	112.0	110.8
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	94.0	94.6	101.4	98.1	90.2
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	112.5	112.3	112.5	112.5	112.4
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	113.8	113.8	114.4	113.6	114.4
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	118.9	118.7	121.8	121.3	122.3
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	117.2	116.1	117.9	119.2	118.9
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	89.9	76.0	129.0	129.3	136.9
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	101.4	97.0	112.2	113.0	112.1
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	98.2	93.6	111.6	113.1	113.5
1.3.14.2 मेटलिक आयरन	0.653	99.4	90.4	119.6	119.2	117.5
1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	93.2	91.8	99.8	100.6	99.5
1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद	1.081	95.6	91.6	109.8	110.7	110.5
1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद	1.144	104.9	98.3	120.5	120.5	120.9
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	97.3	92.4	111.7	111.3	110.3
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	98.2	93.5	116.4	116.6	113.6
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	116.1	110.4	123.4	126.4	124.8
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	107.9	104.0	114.1	114.7	113.8
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	104.8	101.2	106.1	107.7	107.1
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	118.4	118.1	118.5	120.3	112.5
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	109.5	107.7	112.6	114.0	114.6
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	105.9	104.8	109.5	110.5	111.5
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	122.6	118.4	125.3	128.3	128.0
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलर्स को छोड़कर	0.145	109.0	109.4	108.5	108.5	108.5
1.3.15.4 धातु की फॉर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	90.7	90.0	92.1	93.3	94.1
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	102.3	109.7	99.5	99.9	99.5
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	114.8	110.6	120.6	121.7	123.0
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	110.1	109.2	111.3	111.3	110.9
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	103.7	103.7	102.6	101.5	101.3
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	127.4	127.4	127.3	127.3	127.3

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2017-18	2017	2018		
			जुला	मई	जून (अ)	जुला (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	110.6	104.7	116.3	116.3	116.4
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	103.1	103.4	103.6	104.9	103.7
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	106.9	106.1	111.4	109.2	109.2
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	137.8	137.2	137.4	137.4	137.4
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	102.9	102.2	102.0	102.0	103.0
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	108.0	106.8	111.8	111.8	111.8
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	109.6	109.6	110.8	111.6	111.7
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	105.8	106.0	105.6	107.3	107.3
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	117.4	115.4	117.3	117.4	117.4
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	116.5	123.6	126.0	126.0	127.3
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	105.7	103.5	110.6	111.2	111.6
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	109.9	111.6	109.2	108.1	108.9
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	121.3	121.4	122.8	122.4	122.9
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	107.2	105.5	107.0	108.0	107.3
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	108.9	107.9	109.9	110.3	110.5
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	102.3	102.4	101.1	102.2	102.6
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	115.3	115.2	117.2	117.8	117.3
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	108.6	108.5	108.7	108.7	107.2
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	109.0	105.7	112.5	111.6	112.1
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर भट्टियां	0.008	78.5	79.2	79.6	79.3	79.1
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने - उतारने वाले उपकरण	0.285	105.8	103.7	109.8	111.6	111.5
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	127.3	126.5	128.6	129.8	130.1
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	112.8	111.9	114.2	114.0	115.3
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	99.6	98.6	97.5	97.4	99.0
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.0	76.1	73.8	74.1	73.9
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	121.1	116.6	121.5	123.5	121.9
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	117.4	114.9	120.2	120.1	122.4
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	119.5	117.9	123.2	123.2	123.1
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	70.4	70.9	68.8	68.6	67.0
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रैलर और अर्ध-ट्रैलरों का विनिर्माण	4.969	110.7	110.3	112.1	111.9	112.5
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	112.6	112.5	112.4	112.3	113.1
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	108.6	107.9	111.7	111.4	111.8
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	110.2	109.1	110.4	110.5	110.8
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली - वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.8	158.8	158.8
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	104.0	103.8	105.2	105.2	105.3
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	105.3	104.2	105.2	105.3	105.6
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	121.3	119.8	124.7	125.2	125.8
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	119.9	120.3	121.6	121.3	121.6
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	120.3	119.0	126.2	127.5	125.1
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	120.3	119.0	126.2	127.5	125.1
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	109.2	113.3	106.9	106.9	104.7
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	106.7	111.1	103.8	103.8	101.8
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	171.0	174.0	178.7	173.7	167.9
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	126.0	126.6	126.5	126.4	126.3
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	128.2	128.4	131.7	132.0	129.8
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	151.9	152.0	160.0	160.0	154.9
2 खाद्य सूचकांक	24.378	137.3	140.0	135.4	136.8	138.8

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारंक	2016-17	2017-18	अप्रैल-जून		जून	
				2017-18	2018-19	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	120.0	125.3	120.5	126.8	119.3	127.7
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	102.5	104.9	99.7	105.1	98.5	105.0
1.2 विनिर्माण	77.63	121.0	126.6	121.1	127.4	120.3	128.6
1.3 बिजली	7.99	141.6	149.2	152.0	159.4	147.4	159.9
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	117.5	121.8	118.3	125.3	116.4	127.2
2.2 पूंजीगत माल	8.22	101.5	105.6	96.1	105.2	99.8	109.4
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	122.3	125.1	121.0	122.9	120.0	122.9
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	125.0	132.0	128.7	138.6	130.2	141.3
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	122.6	123.6	120.8	130.4	117.6	133.0
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	126.5	139.9	130.9	133.3	128.2	128.8

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल - जुलाई			
	2018-19 (बजट अनुमान)	2018-19 (वास्तविक)	2017-18 (वास्तविक)	बजट अनुमान का प्रतिशत	
				2018-19	2017-18
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	17,257.4	3,357.4	2,910.2	19.5	19.2
1.1 कर राजस्व (निवल)	14,806.5	2,926.1	2,578.8	19.8	21.0
1.2 करेतर राजस्व	2,450.9	431.3	331.4	17.6	11.5
2 पूंजीगत प्राप्तियां	7,164.8	5,539.9	5,174.0	77.3	82.0
2.1 ऋण की वसूली	122.0	45.1	41.8	37.0	35.0
2.2 अन्य प्राप्तियां	800.0	92.2	83.2	11.5	11.5
2.3 उधारियां और अन्य देयताएं	6,242.8	5,402.6	5,049.0	86.5	92.4
3 कुल प्राप्तियां (1+2)	24,422.1	8,897.2	8,084.2	36.4	37.7
4 राजस्व व्यय	21,417.7	7,783.9	7,132.9	36.3	38.8
4.1 ब्याज भुगतान	5,758.0	1,808.4	1,608.4	31.4	30.7
5 पूंजी व्यय	3,004.4	1,113.4	951.3	37.1	30.7
6 कुल व्यय (4+5)	24,422.1	8,897.2	8,084.2	36.4	37.7
7 राजस्व घाटा (4-1)	4,160.3	4,426.5	4,222.7	106.4	131.5
8 राजकोषीय घाटा {6-(1+2+3)}	6,242.8	5,402.6	5,049.0	86.5	92.4
9 सकल प्राथमिक घाटा [8-4.1]	484.8	3,594.1	3,440.6	741.3	1466.9

स्रोत: महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(बिलियन ₹)

मद	2016-17	2017		2018				
		जुला 28	जून 22	जून 29	जुला 6	जुला 13	जुला 20	जुला 27
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	323.7	260.5	503.3	514.9	473.9	501.0	470.9	511.7
1.2 प्राथमिक व्यापारी	243.5	167.0	164.7	156.5	111.8	141.5	162.1	212.2
1.3 राज्य सरकारें	146.2	676.8	718.1	718.1	518.0	688.0	708.6	784.1
1.4 अन्य	343.4	819.1	376.4	370.4	488.3	461.5	500.2	437.9
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	216.2	372.2	290.2	321.1	313.4	337.6	326.6	326.5
2.2 प्राथमिक व्यापारी	316.5	242.7	401.0	439.5	408.6	403.0	406.2	442.2
2.3 राज्य सरकारें	193.6	218.8	327.9	352.9	352.9	352.9	332.9	352.9
2.4 अन्य	120.9	99.4	244.8	195.2	231.9	223.2	230.4	204.2
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	512.3	595.5	381.4	407.6	405.7	433.7	399.2	401.0
3.2 प्राथमिक व्यापारी	551.8	476.8	683.2	757.8	667.1	768.7	722.1	799.7
3.3 राज्य सरकारें	26.3	29.7	149.5	149.5	149.5	149.5	149.4	149.4
3.4 अन्य	326.4	317.3	510.5	446.7	521.6	432.0	493.3	451.4
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 प्राथमिक व्यापारी	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 राज्य सरकारें	1,560.6	1,421.0	1,307.4	1,322.5	1,172.9	879.1	1,421.4	1,335.5
4.4 अन्य	5.1	5.2	12.3	3.0	2.4	6.3	7.4	5.9
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	3,320.8	4,275.9	4,750.9	4,830.1	4,642.6	4,892.6	4,901.8	5,073.4

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं हैं। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि बिलियन ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	संख्या	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
			कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2018-19										
जून 27	70	53	912.31	37.00	21	70.00	37.00	107.00	98.40	6.5219
जुला 4	100	53	1,073.42	15.66	8	100.00	15.66	115.66	98.41	6.4805
जुला 11	100	44	432.38	228.06	23	100.00	228.06	328.06	98.40	6.5219
जुला 18	100	52	511.97	40.00	29	100.00	40.00	140.00	98.40	6.5219
जुला 25	100	66	374.57	143.04	37	100.00	143.04	243.04	98.36	6.6877
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2018-19										
जून 27	40	44	187.09	25.00	19	40.00	25.00	65.00	96.68	6.8869
जुला 4	40	47	144.11	0.00	27	40.00	0.00	40.00	96.67	6.9083
जुला 11	40	43	142.03	0.00	20	40.00	0.00	40.00	96.66	6.9298
जुला 18	40	43	166.55	0.00	14	40.00	0.00	40.00	96.66	6.9298
जुला 25	40	44	190.20	20.00	25	40.00	20.00	60.00	96.64	6.9727
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2018-19										
जून 27	40	55	111.42	0.00	26	40.00	0.00	40.00	93.36	7.1318
जुला 4	40	58	108.83	0.00	34	40.00	0.00	40.00	93.33	7.1663
जुला 11	40	58	110.02	0.00	31	40.00	0.00	40.00	93.30	7.2009
जुला 18	40	65	161.90	0.00	26	40.00	0.00	40.00	93.29	7.2124
जुला 25	40	55	141.58	0.00	32	40.00	0.00	40.00	93.24	7.2700

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार		दरों का दायरा	
		भारित औसत दरें	
		उधार लेना/उधार देना	उधार लेना/उधार देना
		1	2
जुलाई	2, 2018	4.90-6.75	6.13
जुलाई	3, 2018	4.90-6.60	6.11
जुलाई	4, 2018	4.90-6.50	6.09
जुलाई	5, 2018	4.80-6.55	6.07
जुलाई	6, 2018	4.80-6.35	6.14
जुलाई	7, 2018	4.70-6.40	6.23
जुलाई	9, 2018	4.90-6.35	6.18
जुलाई	10, 2018	4.90-6.35	6.15
जुलाई	11, 2018	4.90-6.35	6.17
जुलाई	12, 2018	4.90-6.35	6.14
जुलाई	13, 2018	4.90-6.45	6.16
जुलाई	16, 2018	4.90-6.30	6.18
जुलाई	17, 2018	4.90-6.50	6.12
जुलाई	18, 2018	4.90-6.50	6.14
जुलाई	19, 2018	4.90-6.50	6.13
जुलाई	20, 2018	4.90-6.50	6.19
जुलाई	21, 2018	4.70-6.21	5.81
जुलाई	23, 2018	5.00-6.55	6.23
जुलाई	24, 2018	5.00-6.80	6.27
जुलाई	25, 2018	5.10-6.80	6.24
जुलाई	26, 2018	5.00-6.60	6.20
जुलाई	27, 2018	5.00-6.32	6.14
जुलाई	30, 2018	5.00-6.35	6.19
जुलाई	31, 2018	4.90-6.35	6.16
अगस्त	1, 2018	4.90-6.35	6.17
अगस्त	2, 2018	5.20-6.50	6.34
अगस्त	3, 2018	5.20-6.50	6.34
अगस्त	4, 2018	5.00-6.50	5.95
अगस्त	6, 2018	5.10-6.50	6.28
अगस्त	7, 2018	5.10-6.50	6.32
अगस्त	8, 2018	5.10-6.65	6.42
अगस्त	9, 2018	5.20-6.55	6.37
अगस्त	10, 2018	5.20-6.55	6.38
अगस्त	13, 2018	5.00-6.50	6.34
अगस्त	14, 2018	5.10-6.50	6.37

सं. 27: जमा प्रमाणपत्र

मद	2017	2018			
	जुला 21	जून 8	जून 22	जुला 6	जुला 20
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (बिलियन ₹)	1,226.2	1,861.5	1,745.0	1,688.4	1,638.5
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (बिलियन ₹)	200.7	123.1	212.0	254.8	97.4
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.25-6.75	7.05-8.20	6.80-8.50	6.25-9.65	6.65-8.60

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2017	2018			
	जुला 31	जून 15	जून 30	जुला 15	जुला 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (बिलियन ₹)	3,255.2	5,076.1	4,918.3	5,630.9	6,395.3
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (बिलियन ₹)	329.4	1,341.6	1,267.3	995.5	1,677.1
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.11-11.96	6.25-15.86	6.16-11.19	6.03-10.71	6.19-12.47

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(बिलियन ₹)

मद	2017-18	2017	2018					
		जुला 28	जून 22	जून 29	जुला 6	जुला 13	जुला 20	जुला 27
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	245.5	211.4	428.6	263.0	214.2	261.6	245.9	259.7
2 नोटिस मुद्रा	36.6	54.0	3.3	47.5	74.9	3.0	96.0	3.7
3 मीयादी मुद्रा	9	9.1	7.0	7.1	13.2	9.2	13.9	7.5
4 सीबीएलओ	2,130.1	2,204.8	2,237.9	2,659.3	2,078.6	2,057.9	2,322.5	2,108.8
5 बाजार रिपो	1,921.8	1,821.7	2,491.1	2,146.3	1,965.5	1,723.4	2,034.1	1,642.4
6 कापरिट बांड में रिपो	3.8	3.0	7.6	3.6	7.0	3.0	1.9	2.6
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	55,345	59,928	62,202	74,203	58,122	56,411	57,246	66,402
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	808.7	1,170.2	623.9	479.0	410.5	395.0	766.9	498.0
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	45.3	94.4	29.5	29.9	17.6	22.4	45.6	34.0
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	35.5	44.4	44.9	34.3	16.3	16.8	36.0	30.8
10.2 182-दिवसीय	10.2	8.1	4.5	12.0	10.0	16.2	8.6	4.3
10.3 364-दिवसीय	10.3	2.4	9.0	2.7	4.3	4.0	11.3	6.3
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	13	26.8	13.2	23.5	15.6	57.6	15.4	10.9
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	923.0	1,346.4	725.0	581.3	474.3	512.0	883.8	584.3
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	-	6.3	20.1	1.3	0.4	2.2	20.3	0.0

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि बिलियन ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2017-18		2017-18(अप्रैल-जुला)		2018-19(अप्रैल-जुला.)*		जुला. 2017		जुला . 2018 *	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	214	679.9	45	82.3	57	103.1	13	11.1	13	50.6
1ए प्रीमियम	211	657.8	45	79.1	56	100.5	13	10.6	13	49.5
1.1 पब्लिक	193	466.0	41	75.4	53	91.9	12	9.1	11	40.8
1.1.1 प्रीमियम	190	448.7	41	72.9	52	90.0	12	8.7	11	40.5
1.2 राइट्स	21	213.9	4	6.9	4	11.3	1	2.0	2	9.8
1.2.1 प्रीमियम	21	209.1	4	6.2	4	10.5	1	1.9	2	9.0
2 अधिमान शेयर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 डिबेंचर	7	49.5	3	36.8	6	190.7	2	17.1	1	36.5
3.1 परिवर्तनीय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अपरिवर्तनीय	7	49.5	3	36.8	6	190.7	2	17.1	1	36.5
3.2.1 पब्लिक	7	49.5	3	36.8	6	190.7	2	17.1	1	36.5
3.2.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 कुल (1+2+3+4)	221	729.5	48	119.1	63	293.8	15	28.2	14	87.1
5.1 पब्लिक	200	515.6	44	112.2	59	282.5	14	26.2	12	77.3
5.2 राइट्स	21	213.9	4	6.9	4	11.3	1	2.0	2	9.8

*: आंकड़े अनंतिम हैं।

टिप्पणी: अप्रैल 2018 से मासिक डाटा का समेकन निर्गम की समाप्ति की तारीख के आधार पर की जाती है जबकि पूर्व में समेकन का कार्य निर्गम चालू होने की तारीख के आधार पर किया जाता था।

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2017-18		2017		2018				
				जुला	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुला	
		1	2	3	4	5	6	7		
1 निर्यात	बिलियन ₹	19,555.4	1,436.9	1,896.5	1,683.1	1,957.9	1,852.8	1,778.6		
	अमेरिकी मिलियन डालर	303,376.2	22,292.2	29,167.0	25,642.8	28,988.9	27,330.0	25,892.2		
1.1 तेल	बिलियन ₹	2,413.8	171.9	214.0	177.4	354.5	274.3	274.8		
	अमेरिकी मिलियन डालर	37,456.6	2,667.5	3,292.0	2,702.9	5,249.3	4,045.5	4,000.3		
1.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	17,141.6	1,264.9	1,682.4	1,505.7	1,603.4	1,578.5	1,503.8		
	अमेरिकी मिलियन डालर	265,919.6	19,624.7	25,875.1	22,940.0	23,739.6	23,284.5	21,891.9		
2 आयात	बिलियन ₹	30,010.2	2,205.4	2,783.0	2,599.5	2,964.6	3,037.8	3,007.9		
	अमेरिकी मिलियन डालर	465,578.3	34,215.2	42,801.2	39,604.4	43,894.3	44,810.3	43,786.9		
2.1 तेल	बिलियन ₹	7,003.2	495.8	722.9	685.1	779.0	865.6	848.3		
	अमेरिकी मिलियन डालर	108,658.6	7,691.6	11,117.7	10,438.6	11,534.1	12,768.7	12,348.9		
2.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	23,007.0	1,709.6	2,060.1	1,914.3	2,185.6	2,172.2	2,159.6		
	अमेरिकी मिलियन डालर	356,919.7	26,523.6	31,683.5	29,165.9	32,360.2	32,041.6	31,438.0		
3 व्यापार शेष	बिलियन ₹	-10,454.7	-768.5	-886.5	-916.4	-1,006.7	-1,185.0	-1,229.2		
	अमेरिकी मिलियन डालर	-162,202.1	-11,923.0	-13,634.1	-13,961.6	-14,905.4	-17,480.3	-17,894.6		
3.1 तेल	बिलियन ₹	-4,589.4	-323.8	-508.8	-507.7	-424.5	-591.4	-573.5		
	अमेरिकी मिलियन डालर	-71,202.0	-5,024.1	-7,825.7	-7,735.7	-6,284.8	-8,723.2	-8,348.5		
3.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	-5,865.3	-444.7	-377.7	-408.6	-582.2	-593.7	-655.8		
	अमेरिकी मिलियन डालर	-91,000.1	-6,898.9	-5,808.5	-6,225.9	-8,620.6	-8,757.1	-9,546.1		

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2017		2018				
		अग. 18	जुला. 13	जुला. 20	जुला. 27	अग. 3	अग. 10	अग. 17
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	बिलियन ₹	25,215	27,702	27,873	27,754	27,686	27,621	28,101
	अमेरिकी मिलियन डालर	393,402	405,076	405,143	404,193	402,703	400,881	400,848
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	बिलियन ₹	23,695	25,983	26,151	26,028	26,005	25,931	26,404
	अमेरिकी मिलियन डालर	369,691	380,003	380,050	379,037	378,215	376,265	376,205
1.2 स्वर्ण	बिलियन ₹	1,278	1,448	1,450	1,454	1,410	1,420	1,422
	अमेरिकी मिलियन डालर	19,944	21,115	21,140	21,201	20,546	20,691	20,728
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1,063	1,057	1,057	1,057	1,057	1,054	1,054
	बिलियन ₹	96	101	102	102	102	101	103
	अमेरिकी मिलियन डालर	1,498	1,481	1,480	1,480	1,476	1,466	1,463
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	बिलियन ₹	146	169	170	170	170	170	172
	अमेरिकी मिलियन डालर	2,270	2,476	2,474	2,475	2,467	2,458	2,452

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(अमेरिकी मिलियन डालर)

योजना	बकाया				प्रवाह		
	2017-18	2017		2018		2017-18	2018-19
		जुला	जून	जुला	जुला	अप्रैल-जुला	अप्रैल-जुला
	1	2	3	4	5	6	
1 एनआरआई जमाराशियां	126,182	119,245	124,256	124,447	1,339	3,893	
1.1 एफसीएनआर (बी)	22,026	20,830	22,568	22,727	-172	702	
1.2 एनआर (ई) आरए	90,035	85,541	87,836	87,769	1,426	2,598	
1.3 एनआरओ	14,121	12,873	13,852	13,951	85	593	

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(अमेरिकी मिलियन डालर)

मद	2017-18	2017-18	2018-19	2017	2018	
		अप्रैल-जुला	अप्रैल-जुला	जुला	जून	जुला
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	30,286	11,343	11,677	4,199	1,697	1,981
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	39,431	14,890	16,079	4,742	2,974	3,076
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	60,974	20,769	21,190	6,171	4,252	4,354
1.1.1.1.1 इक्विटी	45,521	15,444	15,730	4,881	2,942	2,823
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	7,797	391	1,544	125	236	3
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	29,569	12,396	12,016	3,935	1,972	1,978
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	7,491	2,448	1,961	767	683	788
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	664	209	209	54	52	54
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	12,542	3,939	4,234	1,014	1,073	1,014
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	2,911	1,386	1,226	276	237	516
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	21,544	5,878	5,111	1,429	1,278	1,278
1.1.1.2.1 इक्विटी	21,325	5,745	5,095	1,418	1,274	1,274
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	219	133	16	11	4	4
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	9,144	3,547	4,402	543	1,278	1,096
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	5,254	2,063	2,816	303	867	584
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	2,853	951	966	238	243	238
1.1.2.3 अन्य पूंजी	4,525	1,597	987	358	259	366
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	3,487	1,063	368	356	92	92
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	22,115	13,338	-7,520	887	-3,882	625
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	22,165	12,932	-8,801	1,010	-4,202	305
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	50	-407	-1,281	124	-320	-320
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	52,401	24,681	4,157	5,086	-2,185	2,606

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	2017-18	2017	2018		
		जुला	मई	जून	जुला
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	11,333.6	880.0	996.1	1,030.6	1,222.9
1.1 जमाराशियां	414.9	23.3	31.0	25.8	33.3
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	89.6	3.6	8.2	7.7	5.6
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	441.8	28.0	26.5	25.2	27.6
1.4 उपहार	1,169.7	77.9	118.6	107.8	113.4
1.5 दान	8.5	0.5	0.2	0.6	0.4
1.6 यात्रा	4,022.1	342.8	364.7	380.5	449.8
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2,937.4	211.8	248.8	208.5	232.5
1.8 चिकित्सा उपचार	27.5	1.7	2.1	2.1	2.5
1.9 विदेश में शिक्षा	2,021.4	179.0	178.0	257.2	343.6
1.10 अन्य	200.6	11.4	17.9	15.2	14.3

सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)

मद	2016-17	2017-18	2017	2018	
			अगस्त	जुलाई	अगस्त
	1	2	3	4	5
36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	74.65	76.94	77.45	73.87	73.37
1.2 रीर	114.51	119.71	121.14	115.32	114.54
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	76.38	78.89	79.36	75.54	75.10
2.2 रीर	116.44	121.94	123.59	117.10	116.42
6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक					
1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100					
1.1 नीर	66.86	68.13	68.62	64.24	64.04
1.2 रीर	125.17	129.87	131.38	122.98	122.70
2 आधार : 2016-17 (अप्रैल-मार्च) =100					
2.1 नीर	100.00	101.90	102.63	96.08	95.78
2.2 रीर	100.00	103.75	104.96	98.25	98.02

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार – पंजीकरण

(राशि अमेरिकी मिलियन डालर में)

मद	2017-18	2017	2018	
		जुला	जून	जुला
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	769	55	85	85
1.2 राशि	20,397	1,244	2,714	1,175
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	38	2	-	1
2.2 राशि	8,471	650	-	1,000
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	807	57	85	86
3.2 राशि	28,868	1,894	2,714	2,175
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)				
	6.10	7.10	5.10	5.20
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.34	1.11	1.35	1.33
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-12.25	0.00-11.00	0.30-11.00	0.00-12.00

सं. 38: भारत का समय भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	जन.-मार्च 2017 (आं.सं)			जन.-मार्च 2018 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	284,017	276,705	7,312	329,455	316,218	13,237
1 चालू खाता (1.1+1.2)	139,362	141,935	-2,573	156,683	169,750	-13,066
1.1 पण्य	77,354	107,076	-29,722	82,218	123,841	-41,623
1.2 अक्षय मर्दे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	62,008	34,859	27,149	74,466	45,909	28,557
1.2.1 सेवाएं	41,791	23,265	18,525	51,585	31,421	20,164
1.2.1.1 यात्रा	6,720	3,655	3,065	7,710	4,728	2,983
1.2.1.2 परिवहन	4,226	3,694	533	4,688	4,941	-253
1.2.1.3 बीमा	591	439	153	638	370	268
1.2.1.4 जीएनआईई	136	146	-10	179	305	-126
1.2.1.5 विविध	30,117	15,332	14,785	38,370	21,076	17,293
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	18,514	974	17,540	19,906	1,345	18,561
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	8,320	8,239	81	9,936	9,433	503
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1,007	1,431	-424	1,686	1,171	515
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	666	204	462	600	263	337
1.2.2 अंतरण	15,735	1,549	14,186	18,100	1,887	16,213
1.2.2.1 आधिकारिक	34	216	-183	30	219	-190
1.2.2.2 निजी	15,701	1,333	14,368	18,070	1,668	16,402
1.2.3 आय	4,482	10,045	-5,562	4,781	12,601	-7,820
1.2.3.1 निवेश आय	3,366	9,399	-6,033	3,651	11,984	-8,333
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षति पूर्ति	1,116	646	470	1,129	617	513
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	145,128	134,770	10,357	171,492	146,468	25,024
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	85,079	69,283	15,796	85,777	77,094	8,683
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	13,999	9,001	4,997	13,840	7,432	6,408
2.1.1.1 भारत में	12,342	3,201	9,141	13,097	4,492	8,605
2.1.1.1.1 इन्विटी	7,968	2,818	5,149	9,096	4,458	4,638
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3,241	-	3,241	3,393	-	3,393
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1,133	383	750	608	34	574
2.1.1.2 विदेश में	1,657	5,800	-4,143	743	2,941	-2,198
2.1.1.2.1 इन्विटी	1,657	3,471	-1,814	743	1,263	-520
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	731	-731	0	713	-713
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1,598	-1,598	0	964	-964
2.1.2 संविभाग निवेश	71,080	60,282	10,799	71,937	69,661	2,276
2.1.2.1 भारत में	70,858	59,727	11,131	71,802	69,427	2,376
2.1.2.1.1 एफआईआई	70,858	59,727	11,131	71,802	69,427	2,376
2.1.2.1.1.1 इन्विटी	57,118	50,678	6,440	58,274	56,148	2,126
2.1.2.1.1.2 ऋण	13,739	9,049	4,691	13,528	13,279	249
2.1.2.1.2 एडीआई /जीडीआई	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	223	554	-332	135	235	-100
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	34,267	30,279	3,987	40,835	33,870	6,965
2.2.1 बाह्य सहायता	2,020	1,154	866	2,686	1,257	1,430
2.2.1.1 भारत द्वारा	14	58	-43	14	31	-17
2.2.1.2 भारत को	2,005	1,096	909	2,673	1,225	1,447
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	6,976	7,851	-875	13,581	12,589	992
2.2.2.1 भारत द्वारा	1,736	1,675	61	6,134	6,098	36
2.2.2.2 भारत को	5,240	6,176	-936	7,447	6,491	956
2.2.3 भारत को अत्यावधि	25,270	21,274	3,996	24,568	20,025	4,543
2.2.3.1 अपूर्तिर्कत का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	24,645	21,274	3,371	22,951	20,025	2,926
2.2.3.2 अपूर्तिर्कत का 180 दिन तक का ऋण	625	0	625	1,617	0	1,617
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	16,039	29,081	-13,042	31,834	27,205	4,629
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	16,034	29,081	-13,047	31,751	27,205	4,547
2.3.1.1 अस्तित्व	163	11,215	-11,053	7,132	10,960	-3,829
2.3.1.2 देयताएं	15,872	17,866	-1,994	24,620	16,244	8,375
2.3.1.2.1 अनिवासी जमा राशियां	15,006	12,308	2,698	20,068	15,432	4,636
2.3.2 अन्य	5	0	5	83	0	83
2.4 रुपया ऋण चुकीती	-	48	-48	-	50	-50
2.5 अन्य पूंजी	9,743	6,080	3,663	13,045	8,250	4,795
3 मूल-वृद्ध	-472	-	-472	1,279	-	1,279
4 मौद्रिक नतिवियां (4.1+4.2)	0	7,312	-7,312	0	13,237	-13,237
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	7,312	-7,312	0	13,237	-13,237

सं. 39: भारत का समय भुगतान संतुलन

(बिलियन ₹)

मद	जन.-मार्च 2017 (आं.सं)			जन.-मार्च 2018 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	19,032	18,542	490	21,198	20,347	852
1 चालू खाता (1.1+1.2)	9,339	9,511	-172	10,082	10,922	-841
1.1 पण्य	5,184	7,175	-1,992	5,290	7,968	-2,678
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	4,155	2,336	1,819	4,791	2,954	1,837
1.2.1 सेवाएं	2,800	1,559	1,241	3,319	2,022	1,297
1.2.1.1 यात्रा	450	245	205	496	304	192
1.2.1.2 परिवहन	283	248	36	302	318	-16
1.2.1.3 बीमा	40	29	10	41	24	17
1.2.1.4 जीएनआईई	9	10	-1	12	20	-8
1.2.1.5 विविध	2,018	1,027	991	2,469	1,356	1,113
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	1,241	65	1,175	1,281	87	1,194
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	558	552	5	639	607	32
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	67	96	-28	108	75	33
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	45	14	31	39	17	22
1.2.2 अंतरण	1,054	104	951	1,165	121	1,043
1.2.2.1 आधिकारिक	2	14	-12	2	14	-12
1.2.2.2 निजी	1,052	89	963	1,163	107	1,055
1.2.3 आय	300	673	-373	308	811	-503
1.2.3.1 निवेश आय	226	630	-404	235	771	-536
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	75	43	32	73	40	33
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	9,725	9,031	694	11,034	9,424	1,610
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	5,701	4,643	1,059	5,519	4,961	559
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	938	603	335	891	478	412
2.1.1.1 भारत में	827	214	613	843	289	554
2.1.1.1.1 इन्विटी	534	189	345	585	287	298
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	217	0	217	218	0	218
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	76	26	50	39	2	37
2.1.1.2 विदेश में	111	389	-278	48	189	-141
2.1.1.2.1 इन्विटी	111	233	-122	48	81	-33
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	49	-49	0	46	-46
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	107	-107	0	62	-62
2.1.2 संविभाग निवेश	4,763	4,040	724	4,629	4,482	146
2.1.2.1 भारत में	4,748	4,002	746	4,620	4,467	153
2.1.2.1.1 एफआईआई	4,748	4,002	746	4,620	4,467	153
2.1.2.1.1.1 इन्विटी	3,828	3,396	432	3,750	3,613	137
2.1.2.1.1.2 ऋण	921	606	314	870	854	16
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	15	37	-22	9	15	-6
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	2,296	2,029	267	2,628	2,179	448
2.2.1 बाह्य सहायता	135	77	58	173	81	92
2.2.1.1 भारत द्वारा	1	4	-3	1	2	-1
2.2.1.2 भारत को	134	73	61	172	79	93
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	467	526	-59	874	810	64
2.2.2.1 भारत द्वारा	116	112	4	395	392	2
2.2.2.2 भारत को	351	414	-63	479	418	62
2.2.3 भारत को अल्पावधि	1,693	1,426	268	1,581	1,288	292
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	1,652	1,426	226	1,477	1,288	188
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	42	0	42	104	0	104
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	1,075	1,949	-874	2,048	1,750	298
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	1,074	1,949	-874	2,043	1,750	293
2.3.1.1 आस्तियां	11	752	-741	459	705	-246
2.3.1.2 देयताएं	1,064	1,197	-134	1,584	1,045	539
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	1,006	825	181	1,291	993	298
2.3.2 अन्य	0	0	0	5	0	5
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	3	-3	0	3	-3
2.5 अन्य पूंजी	653	407	245	839	531	309
3 भूल-चूक	-32	0	-32	82	0	82
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	490	-490	0	852	-852
4.1 आईएमएफ	0	0	0	-	-	-
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	490	-490	0	852	-852

सं. 40: बीपीएम6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	जन.-मार्च 2017 (आं.स)			जन.-मार्च 2018 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	139,361	141,915	-2,554	156,683	169,730	-13,047
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	119,145	130,341	-11,196	133,803	155,262	-21,459
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	77,354	107,076	-29,722	82,218	123,841	-41,623
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	77,623	97,379	-19,756	82,872	116,776	-33,904
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	-268	0	-268	-655	0	-655
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	-	9,697	-9,697	-	7,065	-7,065
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	41,791	23,265	18,525	51,585	31,421	20,164
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	23	11	12	55	13	43
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	68	116	-48	60	155	-95
1.अ.ख.3 परिवहन	4,226	3,694	533	4,688	4,941	-253
1.अ.ख.4 यात्रा	6,720	3,655	3,065	7,710	4,728	2,983
1.अ.ख.5 निर्माण	564	244	320	535	585	-50
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	591	439	153	638	370	268
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1,007	1,431	-424	1,686	1,171	515
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	140	1,342	-1,203	212	1,704	-1,492
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	19,253	1,278	17,975	20,574	1,708	18,866
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	8,320	8,239	81	9,936	9,433	503
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	328	454	-126	480	616	-136
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	136	146	-10	179	305	-126
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	414	2,217	-1,803	4,830	5,691	-861
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	4,482	10,045	-5,562	4,781	12,601	-7,820
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1,116	646	470	1,129	617	513
1.आ.2 निवेश आय	2,624	9,182	-6,558	2,844	11,841	-8,997
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1,319	4,376	-3,057	1,337	5,968	-4,631
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	46	1,677	-1,630	56	2,347	-2,292
1.आ.2.3 अन्य निवेश	243	3,129	-2,886	268	3,515	-3,247
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	1,015	0	1,015	1,183	11	1,173
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	742	217	525	807	143	664
1.इ दिवतीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	15,734	1,529	14,205	18,099	1,868	16,231
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	15,701	1,333	14,368	18,070	1,668	16,402
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	15,155	1,075	14,080	17,484	1,260	16,224
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	546	259	288	586	408	178
1.इ.2 सामान्य सरकार	33	196	-163	29	200	-171
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	96	72	24	62	105	-43
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	49	13	36	6	5	1
2.2 पूँजी अंतरण	47	60	-13	56	100	-44
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	145,033	142,030	3,003	171,430	159,620	11,811
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	13,999	9,001	4,997	13,840	7,432	6,408
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	12,342	3,201	9,141	13,097	4,492	8,605
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	11,209	2,818	8,390	12,489	4,458	8,031
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	7,968	2,818	5,149	9,096	4,458	4,638
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3,241	-	3,241	3,393	-	3,393
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1,133	383	750	608	34	574
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1,133	383	750	608	34	574
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	1,657	5,800	-4,143	743	2,941	-2,198
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	1,657	4,202	-2,545	743	1,976	-1,234
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	1,657	3,471	-1,814	743	1,263	-520
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	-	731	-731	-	713	-713
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1,598	-1,598	0	964	-964
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	-	1,598	-1,598	-	964	-964
3.2 संविभाग निवेश	71,080	60,282	10,799	71,937	69,661	2,276
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	70,858	59,727	11,131	71,802	69,427	2,376
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	57,118	50,678	6,440	58,274	56,148	2,126
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	13,739	9,049	4,691	13,528	13,279	249
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	223	554	-332	135	235	-100
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	4,371	1,458	2,914	5,010	5,114	-104
3.4 अन्य निवेश	55,583	63,978	-8,395	80,643	64,175	16,468
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	15,011	12,308	2,702	20,151	15,432	4,719
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	5	0	5	83	0	83
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	15,006	12,308	2,698	20,068	15,432	4,636
3.4.2.3 सामान्य सरकार	-	-	-	-	-	-
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	10,024	25,777	-15,753	27,951	25,618	2,333
3.4.3अ भारत को ऋण	8,274	24,045	-15,771	21,803	19,489	2,313
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	1,750	1,733	18	6,148	6,129	19
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	30	171	-142	41	951	-910
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	25,270	21,274	3,996	24,568	20,025	4,543
3.4.6 अन्य खाते प्राच्य/देय-अन्य	5,247	4,446	801	7,933	2,149	5,784
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	-	-	0	-	-	-
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	7,312	-7,312	0	13,237	-13,237
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	-	-	-	-	-	-
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	7,312	-7,312	0	13,237	-13,237
4. कुल आस्तियां / देयताएं	145,033	142,030	3,003	171,430	159,620	11,811
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	74,607	59,882	14,725	76,692	68,882	7,810
4.2 ऋण लिखत	65,178	70,390	-5,212	86,806	75,352	11,454
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	5,247	11,758	-6,510	7,933	15,386	-7,453
5. निवल भूल-चूक	-	472	-472	1,279	-	1,279

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(बिलियन ₹)

मद	जन.-मार्च 2017 (आं.सं)			जन.-मार्च 2018 (प्रा.)		
	जमा 1	नामे 2	निवल 3	जमा 4	नामे 5	निवल 6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	9,339	9,510	-171	10,082	10,921	-840
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	7,984	8,734	-750	8,609	9,990	-1,381
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	5,184	7,175	-1,992	5,290	7,968	-2,678
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	5,202	6,525	-1,324	5,332	7,514	-2,182
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	-18	0	-18	-42	0	-42
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	650	-650	0	455	-455
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	2,800	1,559	1,241	3,319	2,022	1,297
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	2	1	1	4	1	3
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	5	8	-3	4	10	-6
1.अ.ख.3 परिवहन	283	248	36	302	318	-16
1.अ.ख.4 यात्रा	450	245	205	496	304	192
1.अ.ख.5 निमोण	38	16	21	34	38	-3
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	40	29	10	41	24	17
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	67	96	-28	108	75	33
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	9	90	-81	14	110	-96
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	1,290	86	1,205	1,324	110	1,214
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	558	552	5	639	607	32
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	22	30	-8	31	40	-9
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	9	10	-1	12	20	-8
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	28	149	-121	311	366	-55
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	300	673	-373	308	811	-503
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	75	43	32	73	40	33
1.आ.2 निवेश आय	176	615	-439	183	762	-579
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	88	293	-205	86	384	-298
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	3	112	-109	4	151	-147
1.आ.2.3 अन्य निवेश	16	210	-193	17	226	-209
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	68	0	68	76	1	75
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	50	15	35	52	9	43
1.इ दिवतीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	1,054	102	952	1,165	120	1,044
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	1,052	89	963	1,163	107	1,055
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	1,016	72	944	1,125	81	1,044
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	37	17	19	38	26	11
1.इ.2 सामान्य सरकार	2	13	-11	2	13	-11
2. पूंजी खाता (2.1+2.2)	6	5	2	4	7	-3
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	3	1	2	0	0	0
2.2 पूंजी अंतरण	3	4	-1	4	6	-3
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	9,719	9,518	201	11,031	10,271	760
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	938	603	335	891	478	412
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	827	214	613	843	289	554
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	751	189	562	804	287	517
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	534	189	345	585	287	298
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	217	0	217	218	0	218
3.1.अ.2 ऋण लिखत	76	26	50	39	2	37
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	76	26	50	39	2	37
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	111	389	-278	48	189	-141
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	111	282	-171	48	127	-79
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	111	233	-122	48	81	-33
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	49	-49	0	46	-46
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	107	-107	0	62	-62
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	107	-107	0	62	-62
3.2 संविभाग निवेश	4,763	4,040	724	4,629	4,482	146
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	4,748	4,002	746	4,620	4,467	153
3.2.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	3,828	3,396	432	3,750	3,613	137
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	921	606	314	870	854	16
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	15	37	-22	9	15	-6
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	293	98	195	322	329	-7
3.4 अन्य निवेश	3,725	4,287	-563	5,189	4,129	1,060
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	1,006	825	181	1,297	993	304
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	0	0	5	0	5
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	1,006	825	181	1,291	993	298
3.4.2.3 सामान्य सरकार	-	-	-	-	-	-
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	672	1,727	-1,056	1,798	1,648	150
3.4.3अ भारत को ऋण	554	1,611	-1,057	1,403	1,254	149
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	117	116	1	396	394	1
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	2	11	-10	3	61	-59
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	1,693	1,426	268	1,581	1,288	292
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	352	298	54	510	138	372
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	-	-	-
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	490	-490	0	852	-852
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	-	-	-	-	-	-
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	490	-490	0	852	-852
4. कुल आस्तियां / देयताएं	9,719	9,518	201	11,031	10,271	760
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	5,000	4,013	987	4,935	4,432	503
4.2 ऋण लिखत	4,368	4,717	-349	5,585	4,848	737
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	352	788	-436	510	990	-480
5. निवल भूल-चूक		32	-32	82	-	82

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	वित्तीय वर्ष / समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2017-18		2017				2018	
			मार्च		दिसं.		मार्च	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	157,373	379,440	148,229	342,618	155,176	377,478	157,373	379,440
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	103,734	363,190	99,114	327,845	102,500	361,451	103,734	363,190
1.2 अन्य पूंजी	53,640	16,250	49,115	14,772	52,676	16,026	53,640	16,250
2 संविभाग निवेश	2,665	272,202	2,615	238,364	2,565	267,497	2,665	272,202
2.1 इक्विटी	1,246	155,106	1,593	153,978	2,281	155,675	1,246	155,106
2.2 ऋण	1,418	117,096	1,022	84,386	284	111,822	1,418	117,096
3 अन्य निवेश	48,235	401,516	49,072	377,356	46,281	390,267	48,235	401,516
3.1 व्यापार ऋण	1,696	103,154	1,794	88,897	1,572	98,442	1,696	103,154
3.2 ऋण	8,225	159,670	7,375	159,476	5,577	155,927	8,225	159,670
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	20,790	126,456	22,041	117,110	20,769	123,546	20,790	126,456
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	17,524	12,236	17,862	11,872	18,363	12,351	17,524	12,236
4 रिज़र्व्स	424,545	–	369,955	–	409,072	–	424,545	–
5 कुल आस्तियां/देयताएं	632,818	1,053,157	569,870	958,337	613,094	1,035,241	632,818	1,053,157
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-420,339		-388,467		-422,147		-420,339

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

प्रणाली	मात्रा (मिलियन)				मूल्य (बिलियन ₹)			
	2017-18	2018			2017-18	2018		
		मई	जून	जुलाई		मई	जून	जुलाई
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 आरटीजीएस	124.46	11.49	11.43	10.97	1,467,431.99	132,353.84	142,541.58	138,628.54
1.1 ग्राहक लेनदेन	120.71	11.19	11.14	10.69	1,036,698.74	93,765.34	101,133.89	99,646.35
1.2 अंतरबैंक लेनदेन	3.72	0.30	0.29	0.28	130,426.03	11,955.59	13,065.14	12,366.56
1.3 अंतरबैंक समाशोधन	0.024	0.002	0.002	0.002	300,307.22	26,632.91	28,342.55	26,615.63
2 सीसीआईएल परिचालित प्रणाली	3.50	0.33	0.30	0.31	1,074,802.02	94,214.93	92,619.44	95,221.90
2.1 सीबीएलओ	0.20	0.02	0.02	0.02	283,307.58	23,278.32	24,828.84	27,040.28
2.2 सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	1.12	0.08	0.08	0.08	370,363.78	29,277.16	30,639.42	29,828.79
2.2.1 एकमुश्त	0.92	0.06	0.06	0.06	113,998.80	6,045.64	6,670.83	6,654.82
2.2.2 रिपो	0.199	0.020	0.020	0.020	256,364.98	23,231.52	23,968.60	23,173.97
2.3 विदेशी समाशोधन	2.17	0.23	0.21	0.21	421,130.66	41,659.44	37,151.17	38,352.83
3 पेपर समाशोधन	1,171.31	96.71	97.30	95.03	81,934.93	7,215.22	7,196.71	6,860.74
3.1 चेक ट्रंक्शन प्रणाली	1,138.05	95.25	96.39	94.19	79,451.24	7,102.42	7,092.78	6,749.96
3.2 एमआईसीआर समाशोधन	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1 आरबीआई के केन्द्र	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2 अन्य केन्द्र	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 गैर-एमआईसीआर समाशोधन	33.27	1.46	0.91	0.84	2,483.68	112.81	103.92	110.78
4 खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन	5,467.29	527.20	533.60	565.02	192,017.98	19,214.69	21,262.17	19,621.63
4.1 ईसीएस नामे	1.54	0.08	0.13	0.12	9.72	0.27	0.77	0.78
4.2 ईसीएस जमा (एनईसीएस शामिल है)	6.14	0.50	0.42	0.57	118.64	10.29	12.56	13.69
4.3 ईएफटी/एनईएफटी	1,946.36	172.91	177.15	180.60	172,228.52	17,151.96	19,017.08	17,321.40
4.4 तुरंत भुगतान सेवाएं (आईएमपीएस)	1,009.80	116.62	120.49	127.38	8,924.98	1,085.75	1,130.12	1,171.67
4.5 राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	2,503.46	237.09	235.41	256.35	10,736.12	966.41	1,101.64	1,114.09
5 कार्ड	13,358.62	1,238.58	1,248.26	1,293.28	38,214.64	3,589.60	3,626.27	3,645.58
5.1 क्रेडिट कार्ड	1,412.97	138.41	136.73	145.80	4,626.33	474.01	466.29	481.33
5.1.1 एटीएम का प्रयोग	7.81	0.74	0.75	0.80	36.68	3.49	3.53	3.72
5.1.2 पीओएस का प्रयोग	1,405.16	137.66	135.98	145.00	4,589.65	470.52	462.76	477.61
5.2 डेबिट कार्ड	11,945.65	1,100.17	1,111.53	1,147.48	33,588.31	3,115.59	3,159.98	3,164.25
5.2.1 एटीएम का प्रयोग	8,602.26	748.04	752.71	780.73	28,987.61	2,647.51	2,680.75	2,682.06
5.2.2 पीओएस का प्रयोग	3,343.39	352.12	358.82	366.75	4,600.70	468.08	479.23	482.18
6 प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)	3,459.05	350.36	332.95	351.80	1,416.34	155.21	163.46	175.19
6.1 एम-वॉलेट	3,025.98	325.41	309.62	325.18	1,086.75	140.47	146.32	152.02
6.2 पीपीआई कार्ड	432.63	24.93	23.31	26.62	310.41	14.57	16.65	23.16
6.3 पेपर वाउचर	0.44	0.02	0.02	-	19.19	0.17	0.49	-
7 मोबाइल बैंकिंग	1,872.26	267.78	306.42	307.74	14,738.54	1,774.47	1,894.66	1,698.07
8 कार्ड बकाया	898.56	963.71	983.64	1,002.08	-	-	-	-
8.1 क्रेडिट कार्ड	37.48	38.60	39.37	40.12	-	-	-	-
8.2 डेबिट कार्ड	861.08	925.11	944.27	961.97	-	-	-	-
9 एटीएम की संख्या (वास्तव में)	222,247	226,216	226,452	227,758	-	-	-	-
10 पीओएस की संख्या (वास्तव में)	308,3067	324,7096	331,1184	334,0029	-	-	-	-
11 कुल जोड़ (1.1+1.2+2+3+4+5+6)	23,584.20	2,224.66	2,223.85	2,316.40	2,555,510.68	230,110.58	239,067.07	237,537.96

टिप्पणी: पिछले 12 माह अवधि का डाटा अनंतिम है।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक श्रृंखलाएं

सं. 44: लघु बचत

(बिलियन ₹)

योजना		2016-17	2017		2018	
			फर	दिसं	जन	फर
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	4,341.75	418.42	75.86	69.79	59.21
	बकाया	7,312.73	7,244.24	7,791.39	7,860.86	7,919.97
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	3,879.55	307.76	66.42	57.38	46.20
	बकाया	4,689.77	4,661.62	5,094.14	5,151.52	5,197.72
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	2,474.46	183.34	21.91	23.88	15.11
	बकाया	920.64	926.38	1,027.95	1,051.83	1,066.94
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	0.56	0.04	-0.25	-0.24	-0.19
	बकाया	33.01	32.73	30.75	30.51	30.32
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	0.01	0.00	-0.05	-0.04	-0.68
	बकाया	-0.48	-0.36	0.26	0.22	-0.46
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	353.34	32.40	4.64	6.35	5.27
	बकाया	1,800.66	1,800.78	1,796.39	1,802.74	1,808.01
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	100.02	10.23	9.24	10.16	10.39
	बकाया	294.53	284.14	385.35	395.51	405.90
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	476.65	44.02	20.38	19.88	15.00
	बकाया	796.58	782.52	939.02	958.90	973.90
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	518.38	514.82	577.61	585.35	590.68
	बकाया	36.58	35.66	44.30	45.07	45.59
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	51.77	51.22	58.38	59.50	60.36
	बकाया	189.85	180.82	258.73	268.98	277.27
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	474.51	37.83	11.11	-2.61	1.30
	बकाया	844.53	835.13	914.88	912.27	913.57
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	0.00	-0.10	-0.56	0.00	0.00
	बकाया	0.08	0.08	-0.68	-0.68	-0.68
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
	बकाया	289.85	34.64	6.60	8.35	7.90
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	1,989.35	1,976.30	2,043.70	2,051.73	2,059.53
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	120.63	18.11	3.81	6.15	5.83
	बकाया	872.39	869.85	850.07	856.22	862.05
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	0.00	0.00	2.35	0.00	-0.01
	बकाया	8.86	8.89	11.05	11.05	11.04
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-0.01	0.04	-19.25	-15.70	-12.80
	बकाया	535.72	548.69	417.27	401.57	388.77
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	169.23	16.49	19.72	17.95	14.89
	बकाया	460.23	435.58	654.99	672.94	687.83
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	0.00	0.00	-0.03	-0.05	0.00
	बकाया	-1.12	-1.09	-1.40	-1.45	-1.45
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
	बकाया	-0.62	-0.63	-0.63	-0.63	-0.64
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	113.89	115.01	112.35	112.03	111.93
	बकाया	172.35	76.02	2.84	4.06	5.11
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	172.35	76.02	2.84	4.06	5.11
	बकाया	633.61	606.32	653.55	657.61	662.72

टिप्पणी: अप्रैल 2017 से प्राप्तियों पर प्राप्त डाटा निवल प्राप्तियां अर्थात् सकल भुगतानों और सकल प्राप्तियों का अंतर हैं।
 स्रोत: महालेखाकार, डाक और तार।

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2017			2018	
	जून	सितं	दिसं	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ बिलियन में)	50430.94	51451.83	52813.50	53967.78	54556.81
1. वाणिज्यिक बैंक	39.68	40.37	41.40	42.68	41.84
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.31	0.33	0.33	0.29	0.33
3. बीमाकृत कंपनियां	23.13	23.49	23.63	23.49	24.24
4. म्यूच्युअल फंड	1.44	1.86	1.33	1.00	1.13
5. सहकारी बैंक	2.65	2.62	2.69	2.57	2.59
6. वित्तीय संस्थाएं	0.73	0.78	0.82	0.90	0.93
7. कॉरपोरेट	1.29	1.04	1.09	0.91	1.09
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	4.29	4.58	4.53	4.35	3.84
9. भविष्य निधियां	6.13	5.99	5.32	5.88	5.79
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	14.29	12.84	11.94	11.62	11.63
11. अन्य	6.07	6.11	6.92	6.30	6.58
11.1 राज्य सरकार	1.91	1.92	1.91	1.91	1.97

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2017			2018	
	जून	सितं	दिसं	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ बिलियन में)	21467.07	22488.35	23329.53	24288.29	24954.61
1. वाणिज्यिक बैंक	37.94	37.64	38.13	35.79	35.02
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.45	0.38	0.51	0.51	0.75
3. बीमाकृत कंपनियां	33.53	34.00	33.35	34.13	34.24
4. म्यूच्युअल फंड	1.89	1.92	1.68	1.64	1.20
5. सहकारी बैंक	4.82	4.82	4.78	4.78	4.79
6. वित्तीय संस्थाएं	0.27	0.22	0.22	0.35	0.35
7. कॉरपोरेट	0.11	0.11	0.13	0.15	0.16
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.08	0.16	0.21	0.23	0.15
9. भविष्य निधियां	18.10	18.37	17.05	19.67	20.34
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	2.81	2.37	3.94	2.76	2.99
11.1 राज्य सरकार	0.00	0.00	0.01	0.05	0.06

खज़ाना बिल					
श्रेणी	2017			2018	
	जून	सितं	दिसं	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ बिलियन में)	6135.01	5704.50	5102.82	3798.76	5280.07
1. वाणिज्यिक बैंक	53.96	52.15	48.40	60.74	55.30
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.14	1.38	1.67	2.17	1.41
3. बीमाकृत कंपनियां	3.20	4.32	5.22	4.17	3.66
4. म्यूच्युअल फंड	15.31	12.44	10.40	2.27	7.03
5. सहकारी बैंक	2.48	2.33	2.05	2.42	1.29
6. वित्तीय संस्थाएं	2.60	3.54	3.97	3.55	2.36
7. कॉरपोरेट	1.54	1.64	2.12	2.45	1.88
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. भविष्य निधियां	0.06	0.20	0.02	0.11	0.21
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	19.72	22.01	26.17	22.12	26.87
11.1 राज्य सरकार	16.71	18.73	21.81	16.35	23.11

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(बिलियन ₹)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2016-17 (स.अ.)	2017-18 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	30,002.99	32,852.10	37,606.11	42,659.69	48,579.90	53,611.81
1.1 गतिविधियां	17,142.21	18,720.62	22,012.87	25,379.05	29,324.08	32,025.64
1.1.1 राजस्व	13,944.26	14,830.18	16,682.50	18,784.17	22,525.73	24,390.87
1.1.2 पूंजी	2,785.08	3,322.62	4,120.69	5,012.13	5,857.77	6,745.79
1.1.3 ऋण	412.88	567.82	1,209.68	1,582.75	940.58	888.98
1.2 गैर गतिविधियां	12,427.83	13,667.69	15,108.10	16,726.46	18,542.53	20,762.79
1.2.1 राजस्व	11,413.65	12,695.20	13,797.27	15,552.39	17,684.36	19,839.32
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	5,342.30	5,845.42	6,480.91	7,244.48	8,166.36	8,851.50
1.2.2 पूंजी	990.37	946.87	1,273.06	1,157.75	844.41	909.08
1.2.3 ऋण	23.81	25.63	37.77	16.32	13.76	14.40
1.3 अन्य	432.95	463.79	485.14	554.17	713.29	823.38
2. कुल प्राप्तियां	30,013.72	31,897.37	37,780.49	42,884.32	47,718.59	52,780.35
2.1 राजस्व प्राप्तियां	22,114.75	23,876.93	27,483.74	31,322.01	35,923.82	41,185.41
2.1.1 कर प्राप्तियां	18,465.45	20,207.28	22,971.01	26,221.45	30,132.23	34,941.02
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	11,257.81	12,123.48	14,409.52	16,523.77	18,296.56	22,138.76
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	7,176.34	8,051.76	8,522.71	9,656.22	11,802.47	12,775.14
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	31.30	32.04	38.78	41.46	33.20	27.12
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	3,649.30	3,669.65	4,512.72	5,100.56	5,791.59	6,244.38
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	401.62	396.22	357.79	332.20	316.10	368.35
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	391.13	609.55	598.27	690.63	1,651.83	1,428.43
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	93.85	220.72	165.61	209.42	648.80	616.50
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	297.28	388.83	432.66	481.22	1,003.03	811.93
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	7,497.11	8,365.63	9,524.10	10,647.04	11,004.25	10,997.97
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	7,424.19	8,236.30	9,396.62	10,467.08	10,980.08	11,023.86
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	3,358.58	-374.76	2,310.90	6,171.23	1,447.92	..
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	1,081.30	-3,341.85	604.72	1,958.16	-1,448.47	..
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	4,065.61	8,611.06	7,085.72	4,295.85	9,532.16	..
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	72.92	129.33	127.48	179.97	24.18	-25.89
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	7,424.19	8,236.30	9,396.62	10,467.08	10,980.08	11,023.86
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	6,391.99	6,640.58	6,732.98	6,898.21	7,951.99	8,398.36
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	-142.81	-565.80	-785.15	-1,050.38	-1,653.29	-1,434.61
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	312.90	343.39	352.61	456.88	406.13	474.19
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	34.63	51.09	-33.22	-64.36	6.70	31.14
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	255.45	275.45	134.70	177.92	168.45	159.10
3ख.1.6 नकद शेष	-10.72	954.74	-174.38	-224.63	861.31	831.46
3ख.1.7 अन्य	582.75	536.84	3,169.08	4,273.43	3,238.79	2,564.21
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	72.92	129.33	127.48	179.97	24.18	-25.89
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	26.7	26.3	27.3	28.0	29.0	28.6
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	26.7	25.6	27.4	28.1	28.4	28.2
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	19.7	19.2	20.0	20.5	21.4	22.0
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	16.4	16.2	16.7	17.2	18.0	18.7
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.7	6.7	6.9	7.0	6.6	5.9

स्रोत: केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

...: उपलब्ध नहीं। आरई: संशोधित अनुमान; बीई: बजट अनुमान

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जुलाई 2018 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओव्हरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	5.17	18	10.85	17	2.66	7
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	0.34	13	0.06	2	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	2.06	3	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	4.55	5	-	-
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	0.64	2	0.51	2	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	4.27	4	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	-	-	-	-	-	-
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-
19	नगालैंड	0.45	5	1.24	5	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	0.07	17	3.73	16	1.18	2
23	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	1.42	3	-	-	-	-
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	0.13	10	3.71	11	2.47	2
29	पश्चिम बंगाल	14.68	16	-	-	-	-

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जुलाई 2018 के दौरान			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	70.47	6.97	0.10	0
2	अरुणाचल प्रदेश	8.17	0.00	--	0
3	असम	43.32	0.40	0	30.00
4	बिहार	52.71	--	0	100.00
5	छत्तीसगढ़	34.46	--	0.01	0
6	गोवा	4.91	2.46	--	0
7	गुजरात	116.70	4.09	0	0
8	हरियाणा	17.79	10.14	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	0
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	0
11	झारखंड	0	--	0	0
12	कर्नाटक	26.52	--	0	110.00
13	केरल	18.30	--	0	0
14	मध्य प्रदेश	--	7.88	0.00	0
15	महाराष्ट्र	297.69	--	--	420.00
16	मणिपुर	3.21	0.85	0	0
17	मेघालय	4.74	0.22	0.09	0
18	मिज़ोरम	4.44	0.21	--	0
19	नगालैंड	12.65	0.27	--	0
20	उड़ीसा	114.06	12.36	0.72	205.00
21	पुदुचेरी	2.69	--	--	9.64
22	पंजाब	0	0	0.08	0
23	राजस्थान	--	--	1.29	72.92
24	तमिलनाडु	56.38	--	0.46	308.85
25	तेलंगाना	40.94	5.99	0.07	0
26	त्रिपुरा	3.84	0.03	--	0
27	उत्तरप्रदेश	--	--	1.87	0
28	उत्तराखंड	25.53	0.67	0.01	0
29	पश्चिम बंगाल	90.37	3.58	2.14	30.00
	कुल	1049.88	56.12	6.83	1286.41

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19						2018-19 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	मई		जून		जुलाई		सकल	निवल
						सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	195.00	177.06	228.00	189.22	35.00	35.00	20.00	17.08	30.63	30.63	101.17	98.25
2	अरुणाचल प्रदेश	4.53	2.87	8.88	7.03	-	-	-	-	-	-	4.00	4.00
3	असम	30.90	19.94	77.60	67.97	-	-	-	-	10.00	10.00	25.00	25.00
4	बिहार	177.00	168.15	100.00	89.08	-	-	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	42.00	38.98	81.00	81.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	13.20	11.71	18.00	14.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	6.00	6.00
7	गुजरात	247.20	209.44	240.00	157.85	10.00	10.00	-	-	-	-	50.00	50.00
8	हरियाणा	158.00	153.59	166.40	158.40	-	-	-	-	45.00	40.00	50.25	45.25
9	हिमाचल प्रदेश	34.00	21.63	46.00	25.51	7.00	7.00	8.00	8.00	-	-1.03	15.00	13.97
10	जम्मू और कश्मीर	27.90	18.99	62.00	39.74	6.00	0.36	5.00	5.00	7.00	7.00	24.00	18.36
11	झारखंड	51.54	47.25	60.00	48.07	-	-	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	280.07	240.26	220.98	173.48	-	-	-	-	-	-	-	-
13	केरल	173.00	146.86	205.00	162.03	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	75.00	66.15
14	मध्य प्रदेश	161.00	145.51	150.00	131.25	10.00	10.00	-	-	10.00	10.00	40.00	40.00
15	महाराष्ट्र	400.00	364.72	450.00	364.80	34.85	34.85	-	-	18.84	18.84	68.69	68.69
16	मणिपुर	6.30	4.78	5.25	2.78	-	-	-	-	-	-	3.50	3.50
17	मेघालय	10.01	7.18	11.16	9.20	-	-	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	1.70	-0.35	4.24	2.77	-	-	-	-	-	-	-	-
19	नगालैंड	10.70	7.33	11.35	7.66	-	-	-	-	-	-	2.00	0.40
20	उड़ीसा	76.20	69.90	84.38	84.38	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	35.00	35.00
21	पुदुचेरी	5.25	5.25	8.25	4.88	-	-	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	136.00	121.44	174.70	133.49	11.75	11.75	5.00	5.00	20.29	15.29	61.54	56.54
23	राजस्थान	160.54	143.25	249.14	167.77	25.00	25.00	50.30	27.18	25.00	25.00	115.30	92.18
24	सिक्कीम	7.44	5.74	9.95	7.45	-	-	-	-	3.00	3.00	3.00	3.00
25	तमिलनाडु	372.50	349.94	409.65	360.23	31.70	31.70	25.00	25.00	30.00	30.00	111.70	111.70
26	तेलंगाना	218.61	205.79	246.00	218.28	25.00	25.00	10.00	7.92	12.50	12.50	87.50	85.42
27	त्रिपुरा	9.90	7.53	11.37	11.37	-	-	-	-	-	-	5.00	5.00
28	उत्तरप्रदेश	410.50	369.05	416.00	371.78	25.00	15.00	30.00	20.00	-	-	80.00	60.00
29	उत्तराखंड	54.50	50.81	66.60	58.30	6.00	4.00	5.00	5.00	10.50	10.50	26.50	22.00
30	पश्चिम बंगाल	344.31	312.30	369.11	253.04	-	-10.00	20.00	12.00	30.00	30.00	50.00	13.47
	कुल	3819.79	3426.92	4191.00	3402.81	248.80	216.16	199.80	153.68	274.26	263.23	1040.14	923.87

-: शून्य

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
4.1 से 4.4, 4.8, 4.12 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
4.9 से 4.11 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
4.13 आरबीआई के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/2017-18 के अनुसार फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) ने 31 मार्च 2018 से जी-सेक बेंचमार्क का प्रकाशन करना शुरू किया है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्जिम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

- अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

- एनएम2 और एनएम3 में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय संस्थाओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल1 और एल2 मासिक आधार पर और एल3 तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़ कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि . 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी. केका. प्लान .बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूंजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है। हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक । 6-मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

1.3: बहुपक्षीय निवल निपटान समूहों से संबंधित है।

3.1: मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नै - तीन केन्द्रों से संबंधित है।

3.3: 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित है।

6: दिसंबर 2010 से उपलब्ध ।

7: आईएमपीएस लेनदेन शामिल हैं।

9: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले गए एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम शामिल है। अप्रैल 2014 से व्हाइट लेबल एटीएम शामिल किए गए है।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं। वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

2011-12 से जीडीपी डाटा 2011-12 के आधार पर हैं। वर्ष 2015-16 का डाटा 29 राज्यों से संबंधित हैं।

2015-16 से जीडीपी डाटा 28 फरवरी 2018 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम से संबंधित है।

जीडीपी के लिए 2016-17 (आरई) और 2017-18 के लिए केंद्रीय बजट 2017-18 से लिए गए है।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

वर्तमान सांख्यिकी

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार हैं।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों और 364 दिन के खज़ाना बिलों के माध्यम से प्राप्त उधारियों सहित।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते हैं।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों (364-दिन के खज़ाना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाशिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

निलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/scripts/publicationsview.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2018	₹ 300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष का रियायती दर*) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित [@]) ₹2,520 (एक वर्ष का रियायती दर [@])	15 अमरीकी डॉलर एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंड बुक 2017-18	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंड बुक 2016-17	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित) ₹400 (रियायती) ₹450 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2017-18 और 2018-19 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	अमरीकी डॉलर 24 एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. मिंट रोड माइलस्टोन्स: आरबीआई ऐट 75	₹1,650 एक प्रति (काउंटर पर)	अमरीकी डॉलर 50 एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	अमरीकी डॉलर 25 एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
10. प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी - हिंदी)	₹110 एक प्रति (काउंटर पर)	
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	अमरीकी डॉलर 18 एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियाः

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
 3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

हाल के प्रकाशन

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं हैं।
4. प्रकाशनों की (सोमवार से शुक्रवार) तक बिक्री तथा वितरण प्रभाग, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 पर उपलब्ध हैं। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdcs@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रोपणपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, मुख्य महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंजिल, मुख्य भवन, मुम्बई - 400 001 को संबोधित होना चाहिए। एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है:

लाभार्थी का नाम	कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBISOMBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8691632-86
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रतापूर्वक भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdcs@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।